

ANNUAL REPORT - 2021-22

वार्षिक रिपोर्ट - 2021-22



WWW.NERAMAC.COM

**NORTH EASTERN REGIONAL AGRICULTURAL
MARKETING CORPORATION LIMITED**

(A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)

VISSION STATEMENT

"To become a preferred and trusted brand in national & international market for authentic agro-horticultural produce of the North Eastern Region of India."

MISSION STATEMENT

" To provide a comprehensive marketing solution to the farmers and entrepreneurs associated with agro-horticultural sector of the eight states of the North Eastern Region of India"

BOARD OF DIRECTORS

Chairman	:	Shri Saurabh Endley
Managing Director	:	Shri. Manoj Kumar Das (Addl. Charge)
Directors	:	Shri. Rajendra Prasad Gurung Shri Rajan Rohia Shri. M. Iboyaima Meitei Shri. Umesh Kumar

Company Secretary	:	Shri Sanjiv Kumar Rai
Statutory Auditors	:	M/s M.Borar & Company, Chartered Accountants, Guwahati
Bankers	:	State Bank of India Punjab National Bank Union Bank of India Bank of Borada
Registered Office	:	9, Rajbari Path, Ganeshguri G.S. Road, Guwahati-781005 Assam.

FROM THE DESK OF THE CHAIRMAN

With immense pleasure, I take this opportunity to present the 40th Annual Report of NERAMAC. This year your Corporation has successfully completed 40 years. During these years, the Corporation has witnessed milestones like, development and promotion of brands like 'NE Fresh', 'ONE-Organic North East', G.I. tagging of Agri-Horti produces of the region and executing large scale projects for Governments and Government Organization relating to Agri-Horti sector. However, there were certain years, when the business operations of the Company was not as projected and Company had faced the financial distress. Nevertheless, efforts of the Corporation were constant throughout for growth and holistic developments of the sectors and the farmers of the region.

As the Corporation has been incurring losses since 2012-13, the Govt. of India has announced Package of Rs. 77.45 Cr. (Rs. 17.00 Cr. fund based support and Rs. 60.45 Cr. non fund based support) for the revival of the Corporation on August 2021. Under the approved revival plan, comprehensive business plan for the coming 10 years has been prepared with the aim to turn NERAMAC into Rs. 500+ Cr. revenue generating company by the end of 2031.

During the year, NERAMAC has initiated a number of market driven business activities, apart from its traditional business of marketing of fresh Agri-Horti produces and market linkages to farmers. Such initiatives include, extension of the retail product basket by introducing innovative products like Organic Tea Box, Sumac Berry Powder, Outenga Juice, "Farm to table" initiative as part of COVID 19, exploring export markets etc.

Financial performance of the Company during the year was satisfactory as compared to the last few financial years. Your Corporation has generated revenue of Rs. 26.14 Cr as compared to 14.60 Cr. during the FY 2020-21. Revenue generated during the year is 57% higher than the previous year. Whereas, the losses incurred by the Corporation has also moderately reduced as compared to the previous year from Rs. 6.45 Cr. to Rs. 4.63 Cr. Profit ratio of the Corporation during the year was (17.71) % as compared to (44.77) % during FY 2020-21.

NERAMAC believes in prudent compliance with guidelines laid down for Corporate Governance, to ensure long term success and transparent sharing of information on the affairs of the Company with the Stakeholders. For 2021-22 NERAMAC was rated 'EXCELLENT' by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Finance for complying with the Guidelines on Corporate Governance.

During the year, strategies were also worked out by the Management for revival of the defunct processing plants. Draft Action plan for Revival of the Corporation also submitted in the Administrative Ministry.

Though, the year was also impacted by the COVID-19 imposed lockdowns and movement restriction, business operations were continued to serve the interest of the farmers and small entrepreneurs of the region and financial performance of the Company was also remain satisfactory with highest ever turnover in last five years. Whereas, with the implementation of the Revival Package and dedicated business plan, now we are on the path of growth trajectory and assured of earning profits and self sufficiency in the coming years.

Angshuman Dey
Chairman

CONTENTS

SL NO.	REPORTS/STATEMENTS	PAGE NO.
1	NOTICE OF THE 40TH ADJOURNED ANNUAL GENERAL MEETING	5
2.	DIRECTORS REPORT	7
3.	CORPORATE GOVERNANCE REPORT	19
4.	MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS REPORT	27
5.	MANAGEMENT REPLY TO AUDITORS REMARKS	34
6.	MANAGEMENT REPLY TO THE COMMENTS OF THE C&AG	39
7.	COMMENTS OF COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA	42
8.	CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE	43
9.	INDEPENDENT AUDITORS REPORT	46
10.	FINANCIAL STATEMENT AND NOTES TO ACCOUNTS	66

NOTICE

Shorter Notice is hereby given that the **40th (Fortieth) Adjoined Annual General Meeting** of the Members of **M/s North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited** is scheduled to be held on **Monday, the 29th of January 2024** at the registered office of the Company at **Rajbari Path, G.S.Road, Ganeshguri, Guwahati-781005, Assam, India** at **03.00 p.m** to transact the unfinished business of the **40th Annual General Meeting:**

As Ordinary Business

ITEM NO. 1: TO RECEIVE, CONSIDER AND ADOPT THE FINANCIAL STATEMENT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDING 31ST MARCH, 2022 AND DIRECTOR'S REPORT AND INDEPENDENT AUDITORS' REPORT THEREON AND THE COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA(C&AG):

The Members will be requested to pass the following resolution with or without modification as Ordinary resolution.

"RESOLVED THAT the Audited Financial Statement as on 31st, March, 2022 together with the Directors Report, Independent Auditors Report thereon and the Comments of Comptroller & Audit General of India be and is hereby received, considered and adopted"

By order of the Board of Directors
M/s North Eastern Regional Agricultural
Marketing Corporation Ltd

Sd/-
Sanjiv Kumar Rai
Company Secretary

Date: 24.01.2024
Place: Guwahati

Encl :
1. Copy of Annual Report 2021-22
2. Proxy Form (MGT-11)
3. Attendance Slip

NOTE

1. A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE ON A POLL INSTEAD OF HIM/HER SELF AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY.
2. THE INSTRUMENT APPOINTING A PROXY, TO BE EFFECTIVE, MUST BE DULY FILLED, SIGNED AND STAMPED AND MUST REACH THE COMPANY'S REGISTERED OFFICE NOT LATER THAN 48 HOURS BEFORE THE COMMENCEMENT OF THE MEETING. A BLANK PROXY FORM IS ANNEXED TO THIS NOTICE.

To

1. The President of India.
C/o Angshuman Dey, Joint Secretary to the Govt. of India.
Ministry of Development of North Eastern Region,
Vigyan Bhawan Annexe, Maulana Azad Road,
New Delhi-110011, Delhi.
Email: angshuman.dey@nic.in
2. The Secretary,
North Eastern Council.
NEC Secretariat, New office Complex,
Nongrim Hills, Shillong-793003, Meghalaya,
Email: sect-nec-meg@nic.in
3. The Deputy Secretary,
North Eastern Council.
NEC Secretariat, New office Complex
Nongrim Hills, Shillong-793003, Meghalaya
Email: muong.gangte@gov.in
4. To All Members of the Board of Directors at their registered email ids
5. To M/s M. Borar & Co., Statutory Auditors for the FY 2021-22@ mborarco@gmail.com

DIRECTORS' REPORT

To

The Members,
M/s North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd
Rajbari Path, G.S. Road, Ganeshguri, Guwahati-781005, Assam.

Your Directors take the opportunity to presenting the 40th Annual Report of the Company along with the audited financial statement for the financial year 2021-22.

1. FINANCIAL PERFORMANCE

The financial performance of the Company based on the audited accounts for the financial year 2021-22 produced hereunder :

Particulars	2021-22 (Rs.)	2020-21 (Rs.)
Revenue from operations	2,61,420,000/-	146,067,000/-
Other income	5,497,000/-	4,165,000/-
Total Revenue	2,66,917,000/-	1,50,232,000/-
Operation Expenses	2,47,598,000/-	136,867,000/-
Administrative Expenses	41,799,000/-	36,103,000/-
Finance Cost & Depreciation	23,453,000/-	4,3295,000/-
Total Expenses	3,12,850,000/-	21,626,5000/-
Profit before extraordinary items	(45,934,000/-)	(66,033,000/-)
Extraordinary items	(380,000/-)	6,33,000/-
Profit before tax	(46,314,000/-)	(65,400,000/-)
Tax expenses		
Current tax	0.00	0.00
Deferred tax	0.00	0.00
Profit for the year	(46,314,000/-)	(65,400,000/-)

2. BRIEF DESCRIPTION OF THE COMPANY'S AFFAIR WORKING DURING THE YEAR/ STATE OF COMPANY'S AFFAIR.

During the year under review the performance of the Company in terms of revenue generation was satisfactory comparing to the last few financial years, your Corporation has generated Rs. 26.14 Cr. as revenue, which is highest in the last three financial years and 57% higher than the previous year revenue.



Revenue figures of last four financial years

Whereas, loss incurred by the company was stand at Rs. 4.59 Crore (excluding the extraordinary items), which is 30% less as compared to the previous financial year. Your Directors are motivated to earn higher revenues with profits in the years to come.

Major reasons for incurring losses during the year:

- a) **High Volatility in the prices of the Agri-Horti produces** : Reduction in the market rates of the common procurements items like Ginger, Large Cardamom and Black Rice has largely impacted the revenue during the year.
- b) **Procurement activities were restricted to prevent the major anticipated losses** : Due to high fluctuation in prices, number of procurement activities was avoided where the volume of anticipated losses was high.
- c) **High cost of operation** : Due to hilly terrain and less connectivity with the farm gates results in high logistic cost which directly impact the profit margins.

d) Lockdowns and movements restrictions: Due to the COVID-19 pandemic, during the first two quarters of the Financial Year, there was a strict lockdown and movement restriction, which has impacted the marketing activities and execution of projects.

e) Lack of adequate funds for large scale procurements : With limited working capital the procurement activities are very much restricted, low volume procurements often resulted in less revenue generation with losses.

3. HIGHLIGHTS OF MAJOR ACTIVITIES DONE DURING THE YEAR

a) Bulk Marketing of Agri-Horti produces and spices : Queen Pineapple, Water Melon, Jackfruit, Pumpkin, Black Pepper, Black Rice, Large Cardamom.

b) Direct export consignment of 50 MT maize to Bangladesh

c) Product Basket Extension : Increased the strength of product basket to 75+ from the earlier 38; Introducing innovative products like Organic Tea Box, Sumac Berry Powder, Outenga Juice, Safety Spray, Tea in Bamboo Trunk amongst others.

d) Emergency services during lockdown period "Farm to Plate": NERAMAC has initiated and done the first " Farm to Plate " Initiative of Vegetables during Covid in Guwahati (2.5 MT) by direct delivery to over 600 households.

e) Market Linkage : Ensured Market Linkage of Ginger from Sikkim(25 MT) and GI Tagged Large Cardamom (2 MT)

f) Implementation of Projects :

i. NERAMAC has been appointed as Additional Implementing Agency under 'Formation and Promotion of 10000 FPOs' of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare: For the year 2020-21, 50 nos. of Agro -Horti FPOs and 5 nos of Bamboo and Agro-forestry allotted to NERAMAC, out of which 54 nos. of FPOs successfully registered.

ii. Implementing Agency for Bamboo Plantation Project of SBDA : NERAMAC has taken up bamboo block plantation program in three clusters of Assam during the year comprising 300 ha area for each cluster. The project was funded by State Bamboo Development Agency under National Bamboo Mission. The project districts are Golaghat, Nagaon and Kokrajhar.

iii. **ORGANIC Farming and certification project UNDER NHM, Department of Horticulture, Government of Odisha** : The Horticulture department, Government of Odisha has awarded NERAMAC a project titled ORGANIC FARMING and certification project UNDER NHM. In this project 600 ha of farmers land were given in Dhenkanal and Kandhamal district of Odisha.

g) **Agri-Business** : During the year NERAMAC supplied Vermi compost, Bio-Fertilizers, Rhizomes, Agro shade net etc to State Governments.

4. ANNOUNCEMENT OF REVIVAL PACKAGE BY GOVT. OF INDIA

Govt. of India on 16th August, 2021 announced Revival package of Rs. 77.45 Crore for NERAMAC. The package consists of the following components:

a. **Fund Based Support** : Fresh infusion of Rs. 17.00 Cr. as grant to be released in 2 instalments during FY 2021-22 and 2022-23, roughly in 2/3rd : 1/3rd ratio, for following activities:

Heads	Rs. in Cr.
Funds for VRS for Regular Employees	4.96
Working Capital Support	6.36
Supporting the operations	2.20
Computer & ERP System, E-commerce portal	2.23
Other statutory dues, committed and current liabilities	1.25
Total	17.00

b. Non-based support :

Heads	Rs. in Cr.
Conversion of outstanding Govt. of India loan (as on 31.03.2021) into equity shares of the Company	28.23
Writing off of interest and penal interest calculated upto 30.09.2021 on outstanding Govt. of India loan	32.22
Total	60.45

c. Increase in authorised share capital of the Corporation from Rs. 10.00 Cr. to Rs. 60.00 Cr. in order to accommodate the conversion of the outstanding long-term borrowings into equity.

5. IMPLEMENTATION OF THE REVIVAL PACKAGE DURING THE YEAR :

a. Under fund based support of Rs.17.00, NERAMAC received two-third amount of Rs. 11.33 Crore for the FY 2021-22 in February, 2022.

b. Scheme for the Voluntary Retirement of 21 regular employees of the Corporation was approved by the Board of Directors in its 141st Meeting held on 10.03.2022. The approved scheme was floated on 01.04.2022 inviting application from the eligible employees for VRS. Total 20 application received and w.e.f. 31.05.2022 all of them given voluntary retirement under the Revival package.

c. Proposal for Implementation of ERP system was also moved during the financial year.

d. Under non-fund based support, outstanding Govt. of India working capital loan of Rs. 28.23 Crore was converted into equity shares of the Company pursuant to section 62(4) of the Companies Act, 2013 w.e.f 26.11.2021 and authorized capital of the Company is also stand altered and increased from Rs.10.00 Cr. to Rs. 38.23 Cr. pursuant to section 62(6) of the Companies Act, 2013.

e. In compliance with the revival package announced by the Govt. of India, authorized share capital of the Company has been further increased from Rs. 38.23 Cr. to Rs. 60.00 Cr. pursuant to section 61(1)(a) of the Companies Act, 2013 with the approval of the members in the 39th Annual General Meeting held on 30.11.2021.

f. With respect to the writing off of interest and penal interest of Rs. 32.22 Cr. The amount has been reflected as non-interest bearing liability in the balance sheet. Necessary effect will be given in the FY 2022-23 in consultation with the auditors and the Administrative Ministry.

6. DIVIDEND

As the company has not earned any profits during the reporting financial year and the company has no any accumulated profits in its reserves, therefore the Board do not recommends the payments of dividend for FY 2021-22.

7. TRANSFER TO GENERAL RESERVE

As there were no profits earned during the reporting financial year, therefore no amount proposed to be transferred to General Reserve.

8. SHARE CAPITAL

During the year under review, the capital structure of the company was revised based on the approved revival package.

The authorised share capital of the Company was increased from Rs. 10,000,000/- to Rs. 3,82,300,000/- on 26.11.2021 pursuant to section 62(6) of the Act, on conversion of Rs. 28,230,000/- outstanding Govt. of India loan into equity share capital. Later on 30.11.2021 based on the approved revival plan, the authorised share capital further increased from Rs. 3,82,300,000/- to Rs. 600,000,000/- pursuant to section 61(1)(a) of the Companies Act, 2013.

As on 31.03.2022, the authorised share capital of the Company is Rs. 600,000,000/- divided into 600,000 equity shares of Rs. 1000/- each.

Whereas upon conversion of Rs. 28,23,00,000/- of outstanding Govt. of India loan into equity share capital, 2,82,300 equity shares was issued to the Govt. of India on 26.11.2021 as per section 62(4) of the Companies Act, 2013. Therefore paid-up share capital of the Company increased from Rs. 7,62,00,000/- to Rs. 35,85,00,000/-.

As on 31.03.2022, the issued, subscribed and paid-up share capital of the Company is Rs. 35,85,00,000/- comprised of 3,58,500 fully paid-up equity shares of Rs. 1,000/- each.

9. COPY OF ANNUAL RETURN

Copy of Annual Return for the FY 2021-22 hosted at www.neramac.com/annual-return

10. DETAILS OF DIRECTORS OR KEY MANAGERIAL PERSONNEL WHO WERE APPOINTED OR RESIGNED DURING THE YEAR.

Your Company being a Public Sector Enterprise, all appointments and cessations in the Board of Directors are made by the Govt. of India only.

During the year under review following appointments/cessations made in the Board of Directors of your Company

Shri Umesh Kumar, Director, Ministry of DoNER was appointed as Government Nominee on the Board of the Company vide order no. NERAMAC-11/2/0217-O/o US(NEC) w.e.f. 20.10.2021 in place of Shri Atul Basumatary upon his relieving from the Ministry.

Whereas appointment of Prof. Charu Lata Mahanta, Independent Director ceased vide Ministry of DoNER order no. NERAMAC-11/2/0217-O/o US(NEC) w.e.f. 03.11.2021 upon completion of maximum term prescribed for the Independent Directors in the DPE Guidelines.

11. NUMBER OF MEETINGS OF BOARD AND ITS COMMITTEE

The disclosures have been made under the Corporate Governance report annexed to this report as Annexure A.

12. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS UNDER SECTION 186

The Company has not granted any Loan and provided no guarantee and made no investment under section 186 of the Act during the year.

13. PARTICULARS OF CONTRACT AND ARRANGEMENTS WITH THE RELATED PARTIES UNDER SECTION 188

During the year under review, the Company has not entered into any contract and arrangement covered under section 188 of the Act.

14. CHANGE IN THE NATURE OF THE BUSINESS, IF ANY

During the reporting period, there was no change in the nature of the business.

15. NAMES OF COMPANIES WHICH HAVE BECOME OR CEASED TO BE SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES OR ASSOCIATE COMPANIES DURING THE YEAR.

During the year under review, no company became or ceased to become the subsidiary, joint venture or associate of NERAMAC Ltd.

16. MATERIAL CHANGES IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY WHICH HAVE OCCURRED WHICH HAVE OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR UNDER REVIEW AND THE DATE OF REPORTING.

The Govt of India announced Rs. 77.45 Crore of Revival Package for NERAMAC in August, 2021. The package consists of Rs. 17 Crore fund based support for business operations, implementation of ERP and E-commerce Portal and paying off the committed liabilities. Non-fund based support of Rs. 60.45 Crore in the form of conversion of outstanding Govt. of India working capital loan of Rs. 28.23 Crore into the equity share capital and writing off the Interest and Penal Interest of Rs. 32.22 Crore. Non fund based support will help in financial restructuring of the Company and to achieve positive net worth in the years to come.

17. DETAILS RELATING TO DEPOSITS COVERED UNDER CHAPTER V OF THE ACT

The Company have not accepted or renewed any deposited covered under chapter V of the Act.

18. DETAILS OF SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDER PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS AND COMPANY'S OPERATIONS IN FUTURE

During the year under reporting, no significant and material order passed by any Regulators or courts or Tribunals impacting the going concern status and Company's operations in future.

19. RISK MANAGEMENT SYSTEM

The management in consultation with the financial heads of the organization evaluates the involvement of risks before any business transactions. During the year proposal was moved by the management to implement the Risk Management Policy to strengthen the risk management system.

20. INTERNAL FINANCIAL CONTROLS

The Company has internal financial control system is in place. All financial decisions are taken centrally at the head office with the approval of the Competent Authority. Laid down financial Guidelines of the Govt. of India are duly adhered.

21. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

During the financial year under reporting, as the turnover/net worth/net profit of the Company were below the threshold limit as prescribed under section 135 of the Act, hence the clause is not applicable to the Company.

22. CORPORATE GOVERNANCE

A Corporate Governance Report prepared in accordance with Guideline on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by Department of Public Enterprises (DPE) enclosed as **Annexure A**

23. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

In accordance with the DPE Guidelines on Corporate Governance, 2010, Management Discussion and Analysis Report is forming integral part of this report and annexed as **Annexure B**.

24. STATUTORY AUDITORS OF THE COMPANY FOR THE FY 2021-22

M/s M.Borar & Co., Chartered Accountants, Guwahati were appointed by the Comptroller & Auditor General of India as the Statutory Auditors for the FY 2021-22 as per section 139 of the Act.

QUALIFICATION OF AUDITORS REPORT

The Auditors report contains few adverse remarks, qualifications, each of such remarks/qualifications of the Statutory Auditors has been duly replied by the Management and the management reply is annexed as **Annexure-C**

25. COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA AUDIT

The comptroller & Auditor General (C&AG) has conducted supplementary Audit under section 143(6)(a) of the financial statements for the year ending 31.03.2022. Certificate of the C&AG enclosed as **Annexure- D**

26. DECLARATION GIVEN BY INDEPENDENT DIRECTORS UNDER SECTION 149(6)

The Independent Directors have given declarations that they meet the criteria of Independence as laid down under section 149(6) of the Companies Act, 2013.

27. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

Conservation of Energy

Your Company at it level has adopted best practices for conservation of energy.

Technology absorption

There were no such events of technology absorption during the reporting financial year.

Foreign exchange and outgo

The Company during the reporting financial year does not have any foreign exchange and outgo

28. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

NERAMAC constantly put best efforts for promotion and implementation of 'Hindi' as official language as per the directives of the Official Language Department, Ministry of Home Affairs. NERAMAC ensures to achieve the targets set for use of 'Hindi' in official communications for 'Region C'.

NERAMAC quarterly organise internal Hindi workshops for its employees and also participate in such workshops organized by the Central Govt. Dept./PSUs in the region. Hindi learning through 'Aajka Shabd' for employees are being displayed on Display Boards daily. Hindi Saptah (Week) also organized during the year from 9th September to 15th September. During the week, competition like 'Tippani Lekhan' (Note sheet writing), 'Patra lekhan (Letter writing), Kavita lekhan (Poem writing) etc. was organized and prize was distributed to the winners. Cash award of Rs. 500/- each was also given to three employees for best performance to use Hindi in official communications.

NERAMAC received certificate for implementation of official language by the TOLIC (PSUs), Guwahati.

29. VIGILANCE MECHANISM AND IMPLEMENTATION

NERAMAC promote effective vigilance administration and ensure zero tolerance approach towards corrupt and unethical practices. Guidelines prescribed by the DPE and CVC for prevention, control and detection of the corrupt/unethical practises are implemented time to time.

Shri Iboyaima Meitei, Advisor, Horticulture, NEC and Board Member, NERAMAC has been appointed as part time Chief Vigilance Officer (CVO) of NERAMAC w.e.f. 20.12.2020 by the Ministry of DoNER.

Vigilance Awareness week was observed during the reporting period from 26.10.2021 to 01.11.2021 with theme "Independent India@75: Self Reliance with Integrity".

During last five financial years no cases reported under CVC.

30. PARTICULARS OF EMPLOYEES

The Company did not employ any such person whose particulars are required to be given under Rule 5(2) and (3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Management Personnel) Rules, 2014.

31. DISCLOSURE UNDER SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION , PROHIBITION & REDRESSAL) ACT, 2013

The Company has constituted the Internal Complaint Committee in the manner as prescribed under section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

During the year under review, no complaint was reported relating to the sexual harassment of women at workplace.

32. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

As required under Section 134 of the Companies Act 2013, the Directors hereby confirm that:

- i. In the preparation of the annual accounts for the Financial year ending 31st March, 2022, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;
- ii. the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as on 31st March, 2022 and of the profit or loss of the Company for that period ;
- iii. the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

iv. the Directors have prepared the annual accounts on a going concern basis.

v. the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

33. MAINTENANCE OF COST RECORDS

Provisions of section 148(1) of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company hence no cost records are maintained.

34. DETAILS OF FRAUD REPORTED BY THE AUDITORS UNDER SECTION 143(12)

The Auditors' disclosed a fraud as reported by the Management occurred during the reporting period in the Zonal Office, Agartala. Mr. Rahul Bhattacharjee Ex-employee of NERAMAC deputed as Zonal in-charge Agartala, made unauthorized withdrawals and deposits in the Bank Accounts of Company and submitted forged Bank Statement at Head office for Annual Accounts compilation. Due to fraudulent banking transaction by Mr. Rahul Bhattacharjee, the Company has incurred a loss of Rs. 1,198,646/-. The Management has lodged FIR against Mr. Rahul Bhattacharjee at A.D.Nagar Police Station, West Tripura. The Case is at present under investigation with the SIT, Agartala Police.

However, the Auditor has not reported the matter to the Central Government pursuant to section 143(12) of the Act, as the amount involved in the fraud is below the prescribed amount of Rs. 1.00 Cr. for reporting.

ACKNOWLEDGEMENT

Your Directors take this opportunity to express their gratitude to the shareholders, Ministry of DoNER, North Eastern Council, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare and other Ministries and State Governments and other Government Agencies who have maintained trust and lend their support to NERAMAC. Your Directors also place on record their sincere thanks and appreciation to Company's Bankers for their assistance, co-operation and encouragement and to the Dealers, Business Associates for their continuing support and unstinting efforts and to the Employees of the Corporation in ensuring efficient performance during the year.

**For and on behalf of the Board of Directors
NERAMAC Ltd**

**Sd/-
Cmde Rajiv Ashok (Retd)
Managing Director
DIN: 09598427**

**Sd/-
Rajendra Prasad Gurung
Director
DIN: 06711139**

**Date: 16.01.2024
Place: Guwahati / Gangtok**

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

1. COMPANY'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

Your Company's philosophy on Corporate Governance strive to meet its business objectives efficiently and accomplishing its responsibility towards its stakeholders. Your Company believes that Corporate Governance is not just complying with regulatory requirements but also to create highest standards of transparency in its every endeavour. In our commitment to practice sound governance principles, we are guided by the following core principles :

- ✓ Transparency
- ✓ Commitment
- ✓ Accountability
- ✓ Ethical conduct
- ✓ Safeguarding Stakeholders' interests

2. BOARD OF DIRECTORS & THEIR COMMITTEES

The Board of your Company consists of six members, the Board has the pool of such Directors each of them either having expertise in the field of core business of the Corporation or in the management and Governance. Therefore the Board has been perfectly constituted for efficient operation of the Corporation.

A. Board of Directors

i. Composition of Board of Directors

The Board of Directors comprises of One Functional Director, two Government Directors and two Non-Official Directors/Independent Directors and one representative from the North Eastern Council with a total of six Directors in the Board as on 31.03.2022. However the

maximum tenure of six years of both the Independent Director expired. Request has been made to the Administrative Ministry for appointment of new Independent Directors.

ii. Number of Board Meeting

During the Financial Year 2021-22, the Board of Directors Meeting was held four times on the following dates:

Ser	Number of Meeting	Date of Meeting
1.	138 th Board Meeting	13/08/2021
2.	139 th Board Meeting	24/09/2021
3.	140 th Board Meeting	26/11/2021
4.	141 st Board Meeting	10/03/2022

Due second wave of the COVID-19 during the first quarter of the FY 2021-22, first meeting could not be held within the quarter. However Ministry of Corporate Affairs vide General Circular dated 03.05.2021 extended the maximum gap of 120 days between the two consecutive meetings to 180 days for the quarter April-June, 2021 and July-September, 2021. Following is the list of Directors of the Company showing their categories and also attendance in the Board Meeting of the Company :

Ser	Name	Category	Date of Appointment	No of Board meetings held	No of Board meetings attended
1	Shri Saurabh Endley	Nominee Director	27/07/2018	04	03
2	Shri Manoj Kumar Das	Executive	30/03/2020	04	04
3	Shri Rajendra Prasad Gurung	Independent Non-Executive	12/09/2013	04	03
4	Shri. Rajan Lohia	Independent Non-Executive	12/09/2013	04	00
5	Shri. Mangsatabam Iboyaima Meitei	Nominee Director	11/11/2013	04	04
6	Shri Umesh Kumar	Nominee Director	20/10/2021	02	02.

iii. Code of Conduct

The Company is committed to conducting business in accordance with the highest standard of business ethics and complying with applicable laws, rules and regulations.

iv. Remuneration

Our Company being a Central Public Sector Undertaking, the appointment, tenure and remuneration of Directors are decided by the President of India (delegated power to Ministry of DoNER). Hence, the Board does not decide remuneration of the Directors. Independent Directors are paid only sitting fees for attending the Board Meetings. Rs. 1500/- for each Board of Directors and its Committee Meetings. Remuneration to the Executive Directors are fixed by the Administrative Ministry. **During the year, office of the Managing Director (Only Executive Director in NERAMAC during the year) was held by Shri Manoj Kumar Das, DGM, NEDFi on additional charge. No remuneration was paid to him.**

B. COMMITTEES OF THE BOARD

In order to carry out the responsibilities & decision making smoothly and in prudent manner, the Board has constituted an Audit Committee which is headed by an Independent Director of the Board having expertise and of experience in the field of finance, legal, accounts, marketing, etc.

3. AUDIT COMMITTEE

Audit Committee has been constituted as per the DPE guidelines on the Corporate Governance. All the members of the committee are financially literate and have decent accounting or related knowledge.

A. Terms of Reference

The terms of reference of the Audit Committee is in consistency with the DPE Guidelines and other statutory requirements, the gist of terms of reference is as follows:

- a. The Audit Committee has power, to investigate any activity, seek information from any employee and to obtain outside legal or other professional advice when ever consider fit and proper by the Committee.
- b. Oversight of the Company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible.
- c. Recommending the Board, the fixation of audit fees and other payments payable to Auditor for other services rendered by him.
- d. Reviewing, with the management, the annual financial statements before submission to the Board for approval.
- e. Reviewing, with the management and performance of statutory and internal. auditors, and adequacy of the internal control systems and internal audit function, if any, including staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure coverage.
- f. Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.

- g. To review the functioning of the Whistle Blower mechanism, in case the same is existing.
- h. To review the follow up action on the audit observations of the CAG audit.
- i. The Audit Committee is empowered to review the Management Discussion and Analysis of financial condition and results of operations, statement of significant related party transactions, submitted by management, internal audit reports relating to internal control weaknesses, etc.

B. Composition

The Audit Committee is headed by Shri.Rajendra Prasad Gurung as the Chairman who is also an Independent Director. During the reporting financial year the Audit Committee consists of three members, two of them are the Independent Directors and One Non-executive Government Nominee.

C. Meetings

During the Financial year 2021-22 the Audit Committee two times on the following dates:

Ser	Number of Meeting	Date of Meeting
1.	25th Audit Committee Meeting	27/07/2021
2.	26th Audit Committee Meeting	05/02/2022

List of audit committee members along with their attendance in the meetings held :

Ser	Name of the Member	Designation in Committee	Category	Attendance
1	Sh. Rajendra Prasad Gurung	Chairman	Independent Director	2/2
2	Umesh Kumar	Member	Govt. Nominee	1/1
3	Shri. Rajan Lohia	Member	Independent Director	2/1

4. GENERAL BODY MEETINGS

A. Annual General Meeting

The details of the last three AGMs held are as follows:

Ser	Year	Date of AGM	Day & Time	Venue	Details of Special Resolution, if any
2	2018-19	30.09.2019	Monday, 11:00 A.M.	Registered Office i.e. at 9, Rajbari Path, Ganeshguri, G.S. Road, Guwahati	NIL
3	2019-20	01.07.2021	Monday, 11:00 A.M.	Registered Office i.e. at 9, Rajbari Path, Ganeshguri, G.S.Road,Guwahati through VC mode.	To revise the fees of Statutory Auditors for the FY 2016-17, 2017-18 and 2018-19.
3	2020-21	30.11.2021	Tuesday, 11:00 A.M.	Registered Office i.e. at 9, Rajbari Path, Ganeshguri, G.S.Road, Guwahati through VC mode.	To approve the increase in the authorised share capital of the Company from Rs. 38.23 Cr. to Rs. 60.00 Cr.

i. Due date for AGM for the FY 2019-20 and 2020-21 extended by the Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs to 31.12.2020 and 30.11.2021 respectively because of the COVID-19 Pandemic.

ii. AGM for the FY 2019-20 was called on 31.12.2020, however due to the want of quorum the meeting was adjourned to the same day in the next week at the same time pursuant to section 103 of the Companies Act, 2013. Hence the meeting was held on 01.07.2021.

B. Extra-ordinary General Meeting.

No Extra-Ordinary meeting was held during the reporting year.

5. DISCLOSURES

There were no transactions of material nature with the promoters or Directors or the Management etc, which have potential conflict with the interest of the Company at large. The Company has been particular in adhering to the provisions of the laws and guidelines of regulatory authorities.

6. MEANS OF COMMUNICATION

The Financial Results & other information about the Company are available on its [website www.neramac.com](http://www.neramac.com)

7. AUDIT QUALIFICATIONS

The qualification of the Statutory Auditors in its report has been duly replied by the Management and has been attached as **Annexure - D** to this report.

8. COMPLIANCE WITH THE DPE GUIDELINES ON CORPORATE GOVERNANCE

NERAMAC comply with the guidelines on Corporate Governance laid down by Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Finance. NERAMAC was rated 'EXCELLENT' by the DPE for the FY 2021-22 for complying with the prescribed guidelines.

9. DISCLOSURES AND COMPLIANCE

a. During the Financial year under review, there were no materially significant related party transactions that may have potential conflict with the interests of company at large.

b. During the year, no expenses were incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors and Top Management.

c. Administrative and office expenses as a percentage of total expenses were 13.36% during the year.

d. The Company has framed Whistle Blower Policy to report about unethical behavior, actual or suspected fraud. During the year under review no personnel has been denied access to the Audit Committee.

10. WHISTLE BLOWER POLICY

The Company framed the "Whistle Blower Policy" for employees to report to the management concerns about unethical behaviour, actual or suspected fraud, or violation of the company's General guidelines on conduct or ethics policy. The Whistle Blower Policy is available at the website of the Company at www.neramac.com.

**For and on behalf of the Board of Directors
NERAMAC Ltd**

**Sd/-
Cmde Rajiv Ashok (Retd)
Managing Director
DIN: 09598427**

**Sd/-
Rajendra Prasad Gurung
Director
DIN: 06711139**

**Date: 16.01.2024
Place: Guwahati / Gangtok**

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS REPORT

1. Industry Structure & Development:

Agriculture being the predominant business of the region, NERAMAC is playing vital role to support and grow the said business to the maximum reach. Particularly the horticulture sector of the region constitutes the major portion of the business and huge potential for growth. The agro-climatic conditions of the North-Eastern Region (NER) is favourable for production of good quality Agri-Horti produces like Pineapple, Jackfruit, Orange, Lemon, Chilli, Ginger and some exotic fruits like kiwi, Passion Fruit and Dragon Fruit.

North Eastern Region accounts for 72.3% of the area under pineapple production and 54.5% of India's pineapple production. NER accounts for 10% of the India Orange Production. Out of the total jackfruit production in the Country about 23.6% is contributed from the two north eastern State of Assam and Tripura, Tripura with 300,000 MT of production is the second largest producer in the country. India is the largest producer of Lemon, the NER produces nearly 226 thousand tons which is around 9% of the India's total lemon production. Ginger is the Key agricultural crops that is grown in almost all eight states of NER, together the region accounts for 24.1% of India's ginger production. NER is famous for its Naga King Chilli and Cherry pepper. The cultivation of Bhut Jholokiya is mainly practiced in Manipur and Assam. Arunachal Pradesh is the highest producer of kiwi in India producing around 6000 MT followed by Nagaland which is producing 2400 MT.

Despite huge potential there are number of challenges, which hinders the growth of Industry like remoteness of farm lands, hilly terrain, lack of proper infrastructure, lack of post-harvest management facilities, cluster based farmers, underdevelopment facilities for fruits and vegetables markets.

With the Intervention of number of programmes/schemes launched by the Government of India many of above mentioned problems are being addressed and NERAMAC under such programmes/schemes playing essential roles to elevate the Agri-Horti sector of the NER.

NERAMAC intervene in the Agri-Horti sector of the region through following business verticals for holistic growth of the sector:

a. Bulk Marketing of Agri-Horti produces : Fresh Agri-Horti produces in bulk are sourced from FPOs/Farmers grow and marketed.

b. Retail Sale of Agri-Horti produces : Processed and value added Agri-Horti products are marketed under retail segment.

c. Agri-Business : Supplies agri-inputs and planting implements to State Governments.

d. Implementing Agency for Government Projects : Functioning as Implementing Agency under 'Formation and Promotion of 10000 FPOs' of Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Bamboo Plantation Project of State Bamboo Development, Assam are the major one.

e. Skill Development & Livelihood training : Capacity building and livelihood generation in Agri-Horti and related sector through skill development programmes & livelihood training.

f. Event Management : Organising and participating in exhibitions/events/buyer-seller meet for promotion of Agri-Horti produces of the region.

2. Strengths and weakness

The Corporation has presence and is operating in all eight states of the region and procuring the locally grown produces and working in collaboration with the State Governments, FPOs/FPCs, entrepreneurs and SHGs creating widespread linkages in different corners of the region. The Corporation has vast experience in operating in the agro-horti sector of the region and also acting as the nodal agency in implementing the Central Government schemes and programmes.

Lack of adequate funds to undertake large scale operations as the Corporation is facing financial distress, besides the Corporation has no post harvest management facilities of its own, lack of proper co-ordination with the state Governments and no processing plants are in operation.

3. Opportunities and threats

The Corporation has number of opportunities in the sector to explore in the region. As the region is emerging as the organic basket, the corporation has all possibilities to become the market leader in organic food sector. Whereas, under the "Act East policy" of the Government, new ventures can be explored and export promotions can be encouraged.

The potential threats are existence of the middle man and participation of Corporate Groups and local entrepreneurs in the marketing of agri-horticultural produce of the region, high cost of maintaining the supply chain due to geographical remoteness and lack of infrastructure in the region, unpredictable price fluctuation of agro-commodity and chances of early damages of the produces procured as being the highly perishable in nature as lack of proper back-end infrastructure to maintain and preserve the produces.

4. Outlook:

Food security has emerged as global challenge because of the rapid climate factor and constant population growth, whereas, COVID-19 Pandemic has also disrupted the global food chain during the last two years. There is huge demand-supply gap has emerged in the market. Further, a new market has also evolved with huge potential demand for naturally and organically grown produces. Under the prevailing situation, NERAMAC has the advantage to popularize the naturally and organically grown produces/products of the region in the domestic market. The agri-horti produces/products of the north eastern region have not been adequately placed in the national markets for long. However, with the change in the markets dynamics of preference and taste of the consumers and demand-supply gap, NERAMAC should be working to build this gap by placing the produces/products of the region in domestic markets. On the other hand, favourable opportunities are also available for NERAMAC to explore the foreign markets, particularly in the south-east Asia countries. The Government policies are also encouraging as far as the agri-horti sector and food processing sector is concerned. NERAMAC should align its future strategies for business development and expansion with the developmental policies of the Central/State Governments to achieve the target of development of the agro-horti sector of north eastern region and increase in the income of the farmers.

5. Performance :

The Corporation has earned revenue of Rs. 26.14 Crore during the reporting period, which is highest in the last three financial years and 57 % higher than the previous year revenue. Whereas, loss incurred by the company was stand at Rs. 4.59 Crore (excluding the extraordinary items), which is 30% less in compared to the previous financial years.

6. Product-wise Performance

SL NO	PRODUCTS	2021-22		2020-21	
		QTY	VALUE (RS)	QTY	VALUE (RS)
1.	Large Cardamom	9049.19 kg	35,59,914.00	5400.00 kg	25,40,292.00
2.	Fresh Ginger	4275.00 kg	51,300.00	1440.00 kg	66,355.00
3.	Black Pepper	30180.9 kg	105,12,265.00	-	-
4.	Black Rice	2551.60 kg	366943.00	1300.00 kg	1,51,000.00
5.	Black Pepper (Rooted Cutting)	6550 nos.	74997.00	1007645 nos.	1,15,37,535.00
6.	Ginger Rhizome	38094 nos.	2,999,902.00	-	-
7.	Agro Shade Net	640345 sq.mt	19,912,763.00	-	-
8.	Dry Turmeric flakes	1000 nos.	1,33,300.00	-	-
9.	Tissue culture Banana seedlings	6250 nos.	1,68,750.00	256246 nos.	69,18,642.00
10.	Turmeric Rhizome	63491 kg	2,999,950.00	-	-
11.	Vermi Compost	13287 qt.	110,37,339.00	-	5,90,14,170.00
12.	Fresh Pineapple	13846 nos.	2,51,353.00	81000.00 qt.	7,66,862.00
13.	Fresh Watermelon	21600 kg	1,94,400.00	42573 nos.	85,490.00
14.	Maize/Corn	50000 kg	9,39,749.00	10000 kg	-
15.	Sesame Banana sucker (Malbhog)	796 kg	83,611.00	-	-
16.	Dragon fruit cutting Tissue Culture orchid seedling	672090 nos.	11,996,807.00	-	-
17.	Black mustard seeds	248445 nos.	89,100.00	-	-
18.	Cinnamon	7112 nos.	39,458.00	-	-
19.	Cashew nuts	1550 kg	20,476.00	10000 kg	9,00,000.00
20.	Fresh Avocado	1000 kg	-	665 kg	94,295.00
21.	Kiwi Fresh	50 kg	-	3964 kg	3,07,931.00
22.	Passion Fruit	-	-	482 kg	15,707.00
23.	Turmeric powder	-	-	958 kg	2,10,814.00
24.	Gift hamper (Basket of assorted retail products)	-	-	500 nos.	4,46,430.00
25.	Other agri-input and planting implements	-	1,73,733,277.00	-	58,842,455.00
26.	Processed Food Items	-	3,665,843.00	-	36,83,942.00
Total (Rs)			2,60,432,116.00		145,581,920.00

7. Internal Control System & their adequacy :

The Company formed the Audit Committee as a sub-committee of the Board of Directors on 13/12/2011 after the Ministry of DoNER has reconstituted the Board of Directors. Company has appointed Internal Auditor to put its best endeavour to strengthen the internal control system to ensure adequate control.

There is an adequate internal control system commensurate with the size of the Company and the nature of its business, for the purchase of inventory and fixed assets and for the sale of goods and services. Financial Powers are centralised at the Head office. The Audit Committee and the Internal Auditors put in their best endeavour to strengthen the internal control system time to time.

8. Approval of Revival Package by Govt. of India :

a. Process for a fresh revival package initiated in March 2015 based on recommendation of Task Force of DPE (During the negotiation meeting of MoU).

b. In 2015-2017, NEDFi was entrusted by the MoDONER to prepare a revival plan for the organization. Part I and Part-II of the report were examined at the Ministry. The report of NEDFi recommended for revival of NERAMAC by infusing fresh fund and conversion of outstanding Govt. of India loan into equity and writing off the interest and penal interest and VRS for the 50% of its regular employees.

c. The report of the NEDFi validated by the IIM, Shillong in the year 2018. The validation report recommended for review of the existing value chain, adoption of new initiative like facilitating contract farming, e-commerce, GI promotion etc. Introduction of VRS, Infusion and fund management working capital, salary and administrative expenses. Recommended one time interest free loan to be paid within five years. No further investment to be made into the processing plants. They should either be handed over to other parties to run with profit sharing agreement, or in absence thereof be divested off.

d. Thereafter the proposal was reviewed by the Committee of Secretaries consisting of Secretary, DoNER, Secretary, DPE and Secretary DIPAM.

e. Action plan for revival of NERAMAC was prepared by NEDFi in January, 2021. The Action Plan recommended for fund based support of Rs. 17 Crore and Non-Fund based support of Rs. 60.45 Crore.

f. Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA) approved the Revival proposal of NERAMCA on 16th August, 2021. The package consists of Rs. 17 Crore fund based support for business operations, implementation of ERP

and E-commerce Portal and paying off the committed liabilities. Non-fund based support of Rs. 60.45 Crore in the form of conversion of outstanding Govt. of India working capital loan of Rs. 28.23 Crore into the equity share capital and writing off the Interest and Penal Interest of Rs. 32.22 Crore. Non fund based support will help in financial restructuring of the Company and to achieve positive net worth in the years to come.

9. Status of Processing Plants

a. Fruit Juice Concentration Plant, Nalkata, Tripura : The Fruit Juice Concentration Plant at Nalkata, Tripura was commissioned in year 1988. Since 2012 the plant was non-operational as incurring losses due to Single product line operation. However recently the plant has been handed over to private partner selected through open tender process for Operation & Management (O&M).

b. Ginger Processing Plant, Byrnihat, Meghalaya : The unit with a capacity of processing 5 MT of ginger per day started operating from 2002-03 to cater the needs of ginger growers of North East. The plant was non operational since 2012 due to Obsolete Technology and fund Constraint to upgrade the technology. However recently the plant has been handed over to private partner selected through open tender process for Operation & Management (O&M).

c. Cashew Processing Unit, Agartala, Tripura : The unit was commissioned in 1994 to cater to the cashew growers of Tripura. The plant was closed by Pollution Control due to smoke in roasting section under the stricture of Pollution Control Board of Tripura. Presently the processing Unit is being revived with the financial support from NEC. The new plant shall have the processing capacity of 500 kg of raw cashew per day. The plant is expected to be commissioned by end of June.

d. Cashew Processing Plant, Mancachar, Assam : Construction of the Cashew nut Processing Plant was initiated in the year 2009 with capacity to process 4 MT of Raw Cashew per day. 95% of the construction was completed by 2013-14, but could not be commissioned. Delay in disbursement of fund resulting in escalation of project cost and time over run. Options are being examined to commissioned the plant under schemes of Govt. of India or through PPP mode.

e. Construction of Market Complex at Six Mile, Guwahati.

Construction of first phase of NEC funded Marketing Complex has been completed in January, 2023. The building is designed as Green Building Project and State-of-the -Art Landmark Buildings in the region. Construction for first phase consist of B+G+4 (Commercial Building) and B+G+1 (Guest House) started in September, 2020. M/s Hindustan Prefab Ltd was the Project Management Consultant for the project.

**For and on behalf of the Board of Directors
NERAMAC Ltd**

**Sd/-
Cmde Rajiv Ashok (Retd)
Managing Director
DIN: 09598427**

**Sd/-
Rajendra Prasad Gurung
Director
DIN: 06711139**

**Date: 16.01.2024
Place: Guwahati / Gangtok**

MANAGEMENT REPLY TO AUDITORS REMARKS (2021-22)

S.I. NO.	Adverse opinions/Qualifications	Management Reply																																																											
Observations/comments relating to the maintenance of accounts and other matter connected therewith																																																													
1.	Old & Obsolete stocks																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sl.</th> <th>Item</th> <th>Location</th> <th>Qty</th> <th>Value</th> <th>Remarks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Large Cardamom</td> <td>Z/o Nagaland</td> <td>100kg</td> <td>92290</td> <td>Purchased in 2016-17.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Chilly Pickle</td> <td>FJCP Nalkata</td> <td>54nos</td> <td>6210.00</td> <td rowspan="9">10 years above</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Chilly Pickle (200 Gms Bottle)</td> <td>FJCP Nalkata</td> <td>244 nos</td> <td>9760.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Chilly Pickle (400 Gms Bottle)</td> <td>FJCP Nalkata</td> <td>103 nos</td> <td>7004.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Jackfruit Pickle</td> <td>FJCP Nalkata</td> <td>313nos</td> <td>34430.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Jackfruit Pickle (200 Gms Bottle)</td> <td>FJCP Nalkata</td> <td>55 nos</td> <td>2145.00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Jackfruit Pickle(400gms Bottle)</td> <td>FJCP Nalkata</td> <td>109 nos</td> <td>7303.00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Mango Pickle</td> <td>FJCP Nalkata</td> <td>23nos</td> <td>2320.00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Mango Pickle (200 Gms Bottle)</td> <td>FJCP Nalkata</td> <td>219 nos</td> <td>8103.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Total</td> <td>169565.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Sl.	Item	Location	Qty	Value	Remarks	1	Large Cardamom	Z/o Nagaland	100kg	92290	Purchased in 2016-17.	2	Chilly Pickle	FJCP Nalkata	54nos	6210.00	10 years above	3	Chilly Pickle (200 Gms Bottle)	FJCP Nalkata	244 nos	9760.00	4	Chilly Pickle (400 Gms Bottle)	FJCP Nalkata	103 nos	7004.00	5	Jackfruit Pickle	FJCP Nalkata	313nos	34430.00	6	Jackfruit Pickle (200 Gms Bottle)	FJCP Nalkata	55 nos	2145.00	7	Jackfruit Pickle(400gms Bottle)	FJCP Nalkata	109 nos	7303.00	8	Mango Pickle	FJCP Nalkata	23nos	2320.00	9	Mango Pickle (200 Gms Bottle)	FJCP Nalkata	219 nos	8103.00				Total	169565.00		
Sl.	Item	Location	Qty	Value	Remarks																																																								
1	Large Cardamom	Z/o Nagaland	100kg	92290	Purchased in 2016-17.																																																								
2	Chilly Pickle	FJCP Nalkata	54nos	6210.00	10 years above																																																								
3	Chilly Pickle (200 Gms Bottle)	FJCP Nalkata	244 nos	9760.00																																																									
4	Chilly Pickle (400 Gms Bottle)	FJCP Nalkata	103 nos	7004.00																																																									
5	Jackfruit Pickle	FJCP Nalkata	313nos	34430.00																																																									
6	Jackfruit Pickle (200 Gms Bottle)	FJCP Nalkata	55 nos	2145.00																																																									
7	Jackfruit Pickle(400gms Bottle)	FJCP Nalkata	109 nos	7303.00																																																									
8	Mango Pickle	FJCP Nalkata	23nos	2320.00																																																									
9	Mango Pickle (200 Gms Bottle)	FJCP Nalkata	219 nos	8103.00																																																									
			Total	169565.00																																																									
	<p>As per 'AS-2' Inventories are to be value at cost or Net Realizable Value, whichever is less, taking into account the damaged stocks, if any, as per physical verification report. Scrutiny of records revealed that the physical status of the above items was not obtained from respective units before valuation and the same were valued at historical cost. As mentioned above, most of the items are perishable in nature which cannot be utilized for its real purpose after elapse of time.</p> <p>Thus, as per prudence practice of accounting, provision should have been made against these inventories to reflect true & fair view of the financial statements. Non provision of the above has resulted in overstatement of inventories and understatement of Loss for the year by Rs.1.69 lakh</p> <p>Management Reply: Matter will be placed before the Board of Directors for writing off.</p>																																																												

2 Pending Debtors

SN	Name of Unit/Party	Amount Rs	Remarks
1	Director of Horticulture Khanapara,Zonal Office, ASSAM	1,94,11,040	More than 5 years old
2	M/s Prime Edible (P) Ltd, New Delhi FJCP, Nalkata	4,14,754	More than 5 years old
3	Cashew Processing Unit, Agartala	4,10,166	Lying unadjusted from more than 5 years receivable from 36 Nos of parties
4	MDoNER Vibrant North East 2017	17,85,278.00	More than 5 years old
5	MDoNER World Food India 2017	9,90,495.00	More than 5 years old
6	Zonal Office, Agartala	77,14,746	Lying unadjusted from more than 5 years receivable from 19 Nos of parties
7	Zonal Office Sikkim	8,43,459	Lying unadjusted from more than 5 years receivable from 26 Nos of parties
	Total	3,15,69,938	

The above table shows that an amount of Rs. 315.69 lakh was due from various parties which was outstanding for a period exceeding 5 years. Non provision of the above resulted in overstatement of trade receivables by Rs. 315.69 lakh with understatement of provision as well as Loss for the year by similar amount.

Management Reply:

Matter will be placed before the Board of Directors for writing off.

3 Note10 of Balance Sheet- Cash & Cash Equivalent

1. Cash & Cash Equivalent' was overstated by Rs. 18,81,70,273.00 due to inclusion of fixed deposits above 3 months maturity due to inclusion of a fixed deposit. This has also resulted in understatement of Other Bank Balances by Rs.49.07 lakh.

Noted

4 **Pending Creditors**

SN	Location	Amount
1	HEAD OFFICE	408848.05
2	ZONAL OFFICE, ASSAM	1,88,08,155.00
3	ZONAL OFFICE, AGARTALA	1,14,15,097.00
4	KOLKATA UNIT	4,46,47,377.64
5	ZONAL OFFICE SIKKIM	9,07,559.45
	Total	80195245.66

The above table shows that an amount of Rs. 315.69 lakh was due from various parties which was outstanding for a period exceeding 5 years. Non provision of the above resulted in overstatement of trade receivables by Rs. 315.69 lakh with understatement of provision as well as Loss for the year by similar amount.

Management Reply:

Matter will be placed before the Board of Directors for writing off.

5 **Goods & Services Tax (GST)**

Following are the late fees paid on late submission of GST returns which has not been debited in profit & Loss account and thus understatement of Loss for the year by Rs. 3409.00

SI No	State	GST No.	Late fees Amount	Interest on late payment of tax
1	Guwahati	18AABCN2315B1Z3	2350	459
2	Tripura	16AABCN2315B2Z6	120	
3	Delhi	07AABCN2315B1Z6	260	
4	Manipur	14AABCN2315B1ZB	60	
5	Sikkim	11AABCN2315B1ZH	160	

Management Reply:

Noted.

6 **Fixed Assets**

As per Ministry of Company Affairs notification dated 11.10.2018, Schedule III to the Companies Act 2013 has been amended to replace "Fixed Assets" with the words "Property, Plant and Equipment". The Balance Sheet and Note 22.1 of the accounts as on 31.03.2021 have not used the words "Property, Plant and Equipment".

Noted for compliance

7	<p>Grant related</p> <p>a. Grant of Rs 1600000.00 was sanctioned by NEC for awareness program in FY 2017-18 but total expenditure amounts to Rs 1775547.00 balance amount Rs 175547.00(1775547-1600000) is still lying under grants (dr. balance) which needs to be adjusted.</p> <p>b. Marketing support/Sale Subsidy of Rs 38,52,000.00 Still lying unadjusted in the Balance Sheet.</p>	Noted for compliance
8	<p>Non Provision of Expenses</p> <p>a) Provision for tax audit fees payable to auditor amounting to Rs. 19,000.00 is not made resulting to understatement of Loss & current liabilities by the same amount .</p> <p>b) Legal Fees paid to Appu Raj Gogoi amounting to Rs. 32650/- where TDS has not been deducted</p> <p>c) Amount of Rs. 395000.00 paid to AmikRangia farmer producer co. ltd. On 23.03.2022 for management cost from 27.12.2021 to 27.06.2022 resulting overbooking of expenditure amounting to Rs. 197500.00</p>	Noted for compliance
Reply to observations made in the CARO		
9	The procedures of physical verification of inventories followed by the management are not adequate in relation to the size of the company and nature of its business.	Noted for compliance
10	Manual records of inventory are maintained by the management. The discrepancies noticed on verification between physical stocks and the book records were not properly dealt with in the books of account.	Noted
11	According to the information and explanations given to us and based on the company examined by us, the extent of arrears of outstanding on the last day of the financial year for a period of more than six months from the date they become payable are given below.	TDS Amount paid in next financial year. Professional Tax of Rs.17,302/- has been paid in next financial year and for the balance amount details are being traced and accordingly amount will be deposited.

Particulars	Amount													
TDS	61,314.00	VAT dues are payable since FY 2014-15, which pertains to ZO Arunachal Pradesh. However transaction details are not traceable hence payment is still pending. No demand received from the Department												
Professional Tax	91541.56													
Assam Vat	2,24,807.00													
Income Tax	Disputed amount against which protest amount is paid.													
12	<p>According to the records of the company examined by us and as per the information and explanations given to us, the company has taken Working Capital Loan from NEDFI / MoDONER. Pending principal amount Rs. 28.23 cr has been converted into equity and interest/penal interest is still lying unadjusted pending for want of approval from MoDONER has been made till date. The company has not issued debentures.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Particulars</th> <th>Period (Since)</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Principal</td> <td>01/10/2021</td> <td>2,00,00,000.00</td> </tr> <tr> <td>Interest</td> <td>01/04/2016</td> <td>27,25,08,521.00</td> </tr> <tr> <td>PENAL INTEREST ON WORKING CAPITAL</td> <td>01/04/2016</td> <td>6,73,98,276.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Management Reply : As per the approval given under the revival package approved in the year 2021, outstanding Govt. of India loan of RS. 28.23 Crore has been converted into equity share capital in the FY 2021-22 and interest and penal interest amount will be written off.</p>	Particulars	Period (Since)	Amount	Principal	01/10/2021	2,00,00,000.00	Interest	01/04/2016	27,25,08,521.00	PENAL INTEREST ON WORKING CAPITAL	01/04/2016	6,73,98,276.00	
Particulars	Period (Since)	Amount												
Principal	01/10/2021	2,00,00,000.00												
Interest	01/04/2016	27,25,08,521.00												
PENAL INTEREST ON WORKING CAPITAL	01/04/2016	6,73,98,276.00												
13	<p>Amount of Rs 11.33 cr received as a revival grant has not been routed through profit & loss account resulting to non creation of provision for Income Tax and overstatement of profit by Rs 3.40 cr. The management is following a Third Party expert opinion from M/S SaurabhAgarwal& Associates on taxability on writing off interest payable to MoD NER.</p>	Grant received not utilised during the FY 2021-22, hence no amount of grant transferred to the Profit & Loss A/c.												

**Management Reply to the Para of CAG in the Comments Certificate issued
under section 143(6)(a) of the Companies Act, 2013 for the FY 2021-22.**

Para No	CAG Para	Management Reply
A. COMMENTS ON PROFITABILITY, Statement of profit and loss		
A.I	Other Income Interest Interest- Rs. 33. 79 lakh : This includes Rs. 19.55 lakh earned as interest on Grant in Aid kept as FDs but in violation of grant conditions, the same have been accounted for as other income instead of 'current liabilities as any interest earned on recurring/non-recurring grants should be returned to the Government. Thus, Other Income is overstated with consequent understatement of 'Loss for the year' and 'Current Liabilities' both by Rs. 19.55 Lakh.	The said amount of Rs. 19.55 transferred to 'Current Liabilities' (Grant Head) in the accounts for the FY 2022-23 and deposited with the sanctioning organization (North Eastern Council) on 30.01.2023.
B. OTHER COMMENTS		
B.1.	The Company adopted the previous year's accounts without comments of C&AG in AGM held on 12 July 2023 which is not as per section 143(6) of the Companies Act, 2013.	(a) The 39th Annual General Meeting (AGM) held on 30.11.2021 was adjourned as the Statutory Audit and Supplementary Audit of the C&AG was pending. (b) It was decided by the Members to call the Adjourned AGM on receipt of the C&AG Comments. (c) The Comments of C&AG were received on 04.07.2023 and accordingly the 39th Adjourned AGM was called on 12.07.2023 on shorted Notice. (d) Comments Certificate of C&AG was made part of the Annual Report 2020-21as

Para No	CAG Para	Management Reply
		<p>Annexure-D to the Directors' Report. The Copy of said Annual Report was circulated to the Members of the Company along with the Notice calling the 39th Adjourned Annual General Meeting (AGM) pursuant to section 137(1) of the Companies Act, 2023.</p> <p>(e) In the AGM, the members confirmed the receipt of the copy of Annual Report circulated along with the notice and only after the perusal of the Annual Report 2020-21 (including Annexure-D of the Directors Report), the Members approved and adopted the Annual Accounts.</p>



कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)
डी जी ए सी आर भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002
DGACR Building, Indraprastha Estate, New Delhi -110 002

No. CW/2-14/NERAMAC/2022-23/342

Date: 12.01.2024

सेवा में,
प्रबंध निदेशक,
नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
एच नंबर-09, राजबाड़ी पथ, गणेशगुड़ी,
गुवाहाटी -781005, असम

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

इस पत्र के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited के वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ/लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

निदेशक(CAW)

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NORTH EASTERN REGIONAL AGRICULTURAL MARKETING CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

The preparation of financial statements of **North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited** for the year ended 31 March 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 (6) (b) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143 (10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 31.01.2023, revised auditor report dated 09.03.2023 and 06.12.2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted the supplementary audit of the financial statements of North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited for the year ended 31 March 2022 under section 143 (6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143 (6) (b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

A. COMMENTS ON PROFITABILITY

Statement of profit and loss

A. 1 Other Income

Interest- Rs. 33.79 lakh

This includes Rs. 19.55 lakh earned as interest on Grant in Aid kept as FDs but in violation of grant conditions, the same have been accounted for as other income instead of 'current liabilities as any interest earned on recurring/ non- recurring grants should be returned to the Government.

Thus, Other Income is overstated with consequent understatement of 'Loss for the year' and 'current Liabilities' both by Rs. 19.55 Lakh.

B. OTHER COMMENTS

B.1 The Company adopted the previous year's Accounts without comments of C&AG in AGM held on 12 July 2023 which is not as per Section 143 (6) of the Companies Act, 2013.

Place: New Delhi

Date: 12.01.2024

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sd/-

(Rajiv Kumar Pandey)
Director General of Audit
(Central Expenditure)

SUDHA & Associates

Practising Company Secretaries II

CERTIFICATE OF COMPLIANCE OF CORPORATE GOVERNANCE

To,

The Members

North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited

9, Rajbari Path, Ganeshguri, G. S. Road, Guwahati - 781005

We have examined the records and compliances of **NORTH EASTERN REGIONAL AGRICULTURAL MARKETING CORPN LTD** bearing CIN : U01409AS1982GOI001932 (referred to as the 'Company') for the financial year ended 31st March, 2022, in terms of the "Guidelines of Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises" circulated by the Department of Public Enterprises in the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises of the Government of India vide Memo No. 18(8)2005-GM dated 14.05.2010 (here-in-after referred to as 'Guidelines').

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance as stipulated in above mentioned guidelines. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we hereby certify that Company has complied with the conditions of corporate governance as stipulated in the above mentioned Guidelines, except the following clauses :

Clause 3.1.1 relating to Composition of Board : Though the number of Board members are more than the minimum number of 5 directors, however the board is not constituted as per Article 23 of the Articles of Association of the Company, as the Company has appointed only one representative from North Eastern States and not two representatives from North Eastern States. However, the maximum tenure of Independent Directors has expired.

Clause 3.3.1 relating to Number of Board Meetings: Four Board meetings were held during the year and the meetings were held in compliance to the Companies Act, 2013. However, the provisions of clause 3.3.1 was not complied with in full as the gap between 137th and 138th Meeting is 192 days which exceeds 3 (three) months and the gap between 140th and 141st Board meeting is 104 days which exceeds 3 (three) months. The Agenda of the Board meetings did not cover the minimal information on quarterly results on the operating business of the Company.

Clause 3.3.3 relating to compliances of laws to be reviewed: Compliance and review of only few laws applicable to the Company are being reported.

Clause 3.4.2 relating to affirmation of Compliance with Code of Conduct on an annual basis : No documentary proof regarding affirmations by the board as to compliance of Code of Conduct could be traced.

Clause 3.6 relating to Risk Management: The company has not highlighted about the Risks effecting the company and measures/ policy to mitigate the Risk and Risk Management. However, a proposal was moved to implement the Risk Management Policy by the management.

Clause 3.7 relating to Training of Directors: Various Training to Directors to enable them to impart their roles and regulations have not been provided and recorded in Corporate Governance Report.

Clause 4.4 relating to Meeting of Audit Committee: Two meetings of Audit Committee was held instead of minimum 4 (four) Audit committee meetings, and the gap between 25th and 26th Audit Committee Meeting is 194 days which exceeds 4 (four) months.

Clause 5.1 relating to Remuneration Committee: The Company has not constituted a Remuneration Committee considering that the company is at loss.

Clause 7.3 relating to Board Disclosures -Risk Management: The Company did not lay down procedures about risk management and minimization procedures to the Board and hence there was no periodical review of risk managements both business risk and internal risk.

Clause 7.5.1 relating to Management: The Management Discussion and Analysis Report do not cover the Risks and concerns of the Organisation.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the further viability of the Company nor the efficiency or the effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Company.

For Sudha & Associate

Sd/

CS Sudha Sarma

Practicing Company Secretary

M.No. F6278 /COP: 15754

UDIN: **F006278E003248385**

!

Date: 18th January, 2024

Place: Guwahati

REVISED INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To
The Members of
North East Regional Agricultural Marketing Corporation Limited
Report on the Standalone Financial Statements

We have issued an audit report dated 31.01.2023 ("the original Report") on the financial statements. Pursuant to provisional comments of Comptroller & Auditor General of India u/s 143(6)(b) of Companies Act 2013 the original report has been amended in certain items of report on other legal and regulatory requirements point no 3(c),(d),(e),6, 7(1),7(2) ,8 and Basis of adverse opinion point no (1) to comply with their observations.

We have issued an revised audit report dated 09.03.2023(Revised Independent Auditor's Report) on the financial statements. Pursuant to additional provisional comments of Comptroller & Auditor General of India u/s 143(6)(b) of Companies Act 2013 the revised report has been amended in certain items of report i.e. opinion/basis of opinion, Para 3 of other legal and regulatory requirements point & CARO 2020

Opinion

We have audited the accompanying financial statement of North East Regional Agricultural Marketing Corporation Limited ("the Company"), which comprise the Balance sheet as at 31st March 2022, the statement of profit & loss and the cash flow statement for the year ended, and the summary of the significant accounting policies and the explanatory information (hereinafter referred to as "the standalone financial statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Companies Act, 2013, as amended ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the State of Affairs of the Company as at March 31, 2022, and its Loss and its Cash Flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit of the standalone financial statements in accordance with the Standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act (SAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of

the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the independence requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements under the provisions of the Act and the Rules made there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report Thereon The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, and cash flows of the Company in accordance with accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the companies included in the group are responsible for overseeing the Financial reporting process of the Group

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.
- We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

- We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
- From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore, the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication

Other Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Key audit matters	How our audit addressed the key audit matter
<p>Valuation of Trade Receivables</p> <p>Trade Receivables comprises a significant portion of the liquid assets of the company Accordingly, the estimation of the allowance for trade receivable is a significant judgement area and is therefore considered a key audit matter</p> <p>Existence & valuation of inventory</p> <p>Inventory Comprises a significant portion of the liquid assets of the company various procedures are involved in validating inventory quantities across locations</p>	<p>Our audit approach was a combination of test of internal controls and substantive procedures which included the followings :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluate and test the controls for managing segment-wise trade receivable and subsequent recovery • Assess the recoverability and provision of long outstanding / disputed receivable where considered doubtful for recovery • Assess the appropriateness and completeness of the related disclosure <p>Confirmation of balances of Trade Receivables are to be checked at reasonable interval.</p>

Existence & valuation of inventory	
<p>Inventory Comprises a significant portion of the liquid assets of the company various procedures are involved in validating inventory quantities across locations</p>	<p>Our audit approach was a combination of test of internal controls and substantive procedures which included the followings :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identify and assess segment-wise slow moving material for valuation and process of providing provision to capture obsolescence. • Overall inventory reconciliation including opening stock, purchases consumption and closing stock • Review the policy of physical verification of inventory and its operational implementation • Assess the appropriates and completeness of the related disclosure <p>The inventories are to be physically verified at reasonable intervals Stock Audit is recommended for physical stock verification</p>

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act, we give in "Annexure A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
2. Based on verification of books of accounts of the company and according to information and explanations given to us, we give below a report on the Directions and Sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of Section 143 (5) of the Act.

Directions / Sub-Directions u/s 143(5) for the year 2021-22	Auditor's Remark	Impact on Financial Statements
1. Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	Yes the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system namely Tally ERP .Based on the Audit procedure carried out and as per the explanations and information given to us ,no transactions have been processed / carried outside the IT system . Accordingly there are no implications on the integrity of the Accounts.	Nil
2. Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts /loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.	Loan / Debt where company is a borrower: MoD NER has granted a revival package which states to convert Gol loan of 28.23 cr into equity share and write off interest and penal interest amounting to Rs 32.22 cr	Paid up share capita increased by Rs 28.23 cr. And write off is pending for want of approval from MoD NER
	Loan / Debt where Company is lender : Based on the audit procedures carried out and as per information and explanations given to us, there were no cases of restructuring or waivers / write-off of debts/loans/interest etc during the year 2020-21 with regards to amounts lent by the company to the other parties.	
3. Whether funds received/receivable for specific schemes from central/ state agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	Based on the audit procedures carried out and as per the information and explanations given to us, the funds (Grant / Subsidy) received / receivable for specific schemes from from Central / State Agencies were properly accounted for / utilized as per its term and conditions.	Nil

3. (A) As per Section 143 (3) of the Companies Act, 2013 we report that :-

a. We have obtained all the information and explanations which to the best our knowledge and belief were necessary for the purpose of our Audit.

b. In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the company so far as appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us.

c. In our opinion the financial statements comply with the accounting standards prescribed U/s 133 of the Act, as Applicable.

d. The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss including the Statement of Cash Flow dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account

e. Section 164(2) of the Companies Act 2013 is not applicable on the Company.

f. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure B". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting.

g. Except for the matter described in the Basis for Opinion paragraph, in our opinion, the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, read with rule 7 of the companies (Accounts) Rules 2014.

h. The directors of the Government Companies were exempted from the provisions of Section 164(2) of the Companies Act 2013, vide notification no GSR 463 dated 5th June, 2015.

(B) With respect to the other matters to the included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Company (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion to best of our information and according the explanations given to us ;

a. The company has disclosed the impact of pending litigations on its Financial position in its Financial Statements-Refer to the Financial Statement,

b. The Company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any no long-term contracts including derivative contracts.

c. No amount was required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

d. i) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other persons or entities, including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall:

- directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever ("Ultimate Beneficiaries") by or on behalf of the Company or
- provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

ii) The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been received by the Company from any persons or entities, including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall:

- directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever ("Ultimate Beneficiaries") by or on behalf of the Funding Party or
 - provide any guarantee, security or the like from or on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and
- iii) Based on such audit procedures as considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (d) (i) and (d) (ii) contain any material mis-statement.
- e) The Company has not declared or paid any dividend during the year. Hence, the Company is not required to comply with the provision of the Section 123 of the Act.

(C) With respect to the matter to be included in the Auditor's Report under Section 197(16) of the Act:

The Provisions of section 197(16) as amended read with schedule V to the Act are applicable only to the public companies. Accordingly, reporting under Section 197(16) of the Act, as amended is not applicable to the company.

Our observations/ comments relating to the maintenance of accounts and other matter connected therewith which doesnot change the opinion are given :-

Sl.	Item	Location	Qty	Value	Remarks
1	Large Cardamom	Z/o Nagaland	100kg	92290	Purchased in 2016-17
2	Chilly Pickle	FJCP Nalkata	54nos	6210.00	
3	Chilly Pickle (200 Gms Bottle)	FJCP Nalkata	244 nos	9760.00	
4	Chilly Pickle (400 Gms Bottle)	FJCP Nalkata	103 nos	7004.00	
5	Jackfruit Pickle	FJCP Naikata	313nos	34430.00	10 years above
6	Jackfruit Pickle (200 Gms Bottle)	FJCP Nalkata	55 nos	2145.00	
7	Jackfruit Pickle(400gms Bottle)	FJCP Nalkata	109 nos	7303.00	
8	Mango Pickle	FJCP Nalkata	23nos	2320.00	
9	Mango Pickle (200 Gms Bottle)	FJCP Nalkata	219 nos	8103.00	
			Total	169565.00	

As per 'AS-2' Inventories are to be value at cost or Net Realizable Value, whichever is less, taking into account the damaged stocks, if any . Scrutiny of records revealed that the physical status of the above items was not obtained from respective units before valuation and the same were valued at historical cost. As mentioned above, most of the items are perishable in nature which cannot be utilized for its real purpose after elapse of time,

Thus, as per prudence practice of accounting, provision should have been made against these inventories to reflect true & fair view of the financial statements. Non provision of the above has resulted in overstatement of inventories and understatement of Loss for the year by Rs.1.69 lakh

2. Pending Debtors

SN	Name of Unit/Party	Amount Rs.	Remarks.
1	Director of Horticulture, Khanapara, Zonal Office, ASSAM	1,94,11,040	More than 5 years old
2	M/s Prime Edible (P) Ltd, New Delhi, FJCP, Nalkata	4,14,754	More than 5 years old
3	Cashew Processing Unit, Agartala	4,10,166	Lying unadjusted from more than 5 years receivable from 36 Nos of parties
4	MDoNER Vibrant North East 2017	17,85,278.00	Lying unadjusted from more than 3 years receivable from MDoNER
5	MDoNER World Food India 2017	9,90,495.00	Lying unadjusted from more than 3 years receivable from MDoNER
6	Zonal Office, Agartala	77,14,746	Lying unadjusted from more than 5 years receivable from 19 Nos of parties
7	Zonal Office Sikkim	8,43,459	Lying unadjusted from more than 5 years receivable from 26 Nos of parties
Total		3,15,69,938	

The above table shows that an amount of Rs. 315.69 lakh was due from various parties which was outstanding for a period exceeding 5 years. Non provision of the above resulted in overstatement of trade receivables by Rs. 315.69 lakh with understatement of provision as well as Loss for the year by similar amount.

3. Note10 of Balance Sheet - Cash & Cash Equivalent

'Cash & Cash Equivalent' was overstated by Rs. 18,81,70,273.00 due to inclusion of fixed deposits above 3 months maturity due to inclusion of a fixed deposit, This has also resulted in understatement of Other Bank Balances by the same amount

4. Pending Creditors

Sl No	Location	Amount
1	HEAD OFFICE	4088482.05
2	ZONAL OFFICE, ASSAM	1,88,08,155.00
3	ZONAL OFFICE, AGARTALA	1,14,15,097.00
4	KOLKATA UNIT	4,46,47,377.64
5	ZONAL OFFICE SIKKIM	9,07,559.45
Total		80195245.66

The above table shows that an amount of Rs 801.95 lakh was due to various parties which was outstanding for a period exceeding 5 years.

5. Goods & Services Tax (GST)

Following are the late fees paid on late submission of GST returns which has not been debited in profit & Loss account and thus understatement of Loss for the year by Rs. 3409.00

Sl No	State	GST No.	Late fees Amount	Interest on late payment of tax
1	Guwahati	18AABCN2315B1Z3	2350	459
2	Tripura	16AABCN2315B2Z6	120	
3	Delhi	07AABCN2315B1Z6	260	
4	Manipur	14AABCN2315B1ZB	60	
5	Sikkim	11AABCN2315B1ZH	160	

6. Fixed Assets

As per Ministry of Company Affairs notification dated 11.10.2018, Schedule III to the Companies Act 2013 has been amended to replace "Fixed Assets" with the words "Property, Plant and Equipment". The Balance Sheet and Note 22.1 of the accounts as on 31.03.2021 have not used the words "Property, Plant and Equipment".

7. Grant related

a. Grant of Rs 1600000.00 was sanctioned by NEC for awareness program in FY 2017-18 but total expenditure amounts to Rs 1775547.00 balance amount Rs 175547.00(1775547-1600000) is still lying under grants (dr. balance) which needs to be adjusted.

b. Marketing support/Sale Subsidy of Rs 38,52,000.00 still lying unadjusted in the Balance Sheet.

8. Prior period Items

As per para 15 of As-5 Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies-" The nature and amount of prior period items should be separately disclosed in the statement of profit and loss in a manner that their impact on the current profit or loss can be perceived."

Profit & Loss account has been debited /credited with the following items

Particulars	Debit	Credit
ZO Agartala		8273.58
Electricity Bill	258804.00	
New Delhi Unit	113388.00	
SS Jha (GST Payment)	6772	
Bank Charges	9970.00	

9. Non Provision of Expenses

a) Provision for tax audit fees payable to auditor amounting to Rs.19,000.00 is not made resulting to understatement of Loss & current liabilities by the same amount .

b) Legal Fees paid to Appu Raj Gogoi amounting to Rs. 32650/- where TDS has not been deducted

c) Amount of Rs. 395000.00 paid to Amik Rangia farmer producer co. ltd. On 23.03.2022 for management cost from 27.12.2021 to 27.06.2022 resulting overbooking of expenditure amounting to Rs. 197500.00

10. Revival Package

1. Revival grant sanctioned by Ministry of DoNER for Rs 28.23 cr. directed to convert the non fund support into equity and write off interest/penal interest but it still lying unadjusted pending for want of approval from MoDONER

2. Amount of Rs 11.33 cr received as a revival grant has not been routed through profit & loss account resulting to non creation of provision for Income Tax and overstatement of profit by Rs 3. 40 cr. The management is following a Third Party expert opinion from M/S Saurabh Agarwal & Associates on taxability on writing off interest payable to MoD NER

Sd/-

For M. Borar & Co.
Chartered Accountants
FRN : 314255E

Date : 06.12.2023

Place : Guwahati

Sd/-

(CA. Manish Bagaria)
Partner

Membership No. 303339

UDIN- 23303339BGVLLI5229

**North East Regional Agricultural Marketing Corporation Limited.
“Annexure A” of the Auditors’ Report**

Annexure referred to in Paragraph VI of the report of even date of the Auditor’s Report to the members of North Eastern Agricultural Marketing Corporation Limited on the accounts for the year ended 31.03.2022.

(1) a) (A) The company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment;

(B) The company has maintained proper records showing full particulars of intangible assets;

b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Property, Plant and Equipment have been physically verified by the management at reasonable intervals; no material discrepancies were noticed on such verification;

c) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the title deeds of all the immovable properties disclosed in the financial statements are held in the name of the company

d) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the company has not revalued its Property, Plant and Equipment (including Right of Use assets) or intangible assets during the year. Accordingly, the reporting under Clause 3(i)(d) of the Order is not applicable to the Company.

e) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, there are no proceedings have been initiated or are pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder.

(2)(a) According to the information and explanations provided to us the inventories are not physically verified at reasonable intervals, hence we could not report on any discrepancy in physical inventory verification and such are not taken into adjustments for the preparation of Standalone Financial Statements for the year ended 31.03.2022.

(b) The procedures of physical verification of inventories followed by the management are not adequate in relation to the size of the company and nature of its business.

(c) Manual records of inventory are maintained by the management. The discrepancies noticed on verification between physical stocks and the book records were not properly dealt with in the books of account.

(3) (a) The Company has not granted any loans secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the Register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013.

(b) According to the information & explanations given to us and records of the Company examined by us the Company has not made any loans, guarantees and security covered under Section 185 of the Act during the year.

(c) As per information and explanations given to us, The company has not provided loans & advances in nature of loans ,Accordingly the provision of clause 3(iii)(c) of order is not applicable

(d) As per information and explanations given to us, there is no Overdue Amount for more than ninety days during the reporting period, Accordingly, the provision of clause 3 (iii)(d) of order is not applicable.

(e) As per information and explanations given to us, the company has not granted loans & advances in nature of loan which has fallen due during the year Accordingly, the provision of clause 3 (iii)(e) of order is not applicable.

(f) As per information and explanations given to us, the company has not granted loans or advances in nature of loans either repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment. Accordingly, the provision of clause 3(iii)(f) of order is not applicable.

(4) As per information and explanations given to us, the company has complied with the provisions of Section 185 and 186 of the companies Act, wherever applicable, in respect of loans, investments, guarantees and security given by the company during the year.

(5) According to the information and explanations given to us, the company has not accepted any deposits or amounts which are deemed to be deposits in terms of the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act 2013 and the rules framed there under. Accordingly, the provision of clause 3 (v) of the order is not applicable.

(6) To the best of our knowledge and belief, the Central Government has not specified maintenance of cost records under sub-section (1) of Section 148 of the Act, in respect of Company's products/ services. Accordingly, the provisions of clause 3 (vi) of the Order is not applicable

(7) (a) According to the information and explanations given to us, in respect of statutory dues: the company except the dues as reported therein is regular in depositing the undisputed statutory dues, including Provident Fund, Employees' State Insurance, Income-tax, Sales-tax, Wealth Tax, Service Tax, Custom Duty, Excise Duty, value added tax, cess and other material statutory dues, as applicable to it, with the appropriate authorities.

(b) According to the information and explanations given to us and based on the records of the company examined by us, the extent of arrears of outstanding statutory dues as on the last day of the financial year for a period of more than six months from the date they become payable are given below :

Particulars	Amount
TDS	61,314.00
Professional Tax	91541.56
Assam Vat	2,24,807.00
Income Tax	Disputed amount against which protest amount is paid.

(8) As per information and explanations given to us, there is no transaction which is not recorded in the books of accounts and have been Surrendered or disclosed as income during the year in tax assessments under income tax Act 1961 (43 of 1961). Accordingly, the provisions of clause 3 (viii) of the Order is not applicable.

(9) (a) According to the records of the company examined by us and as per the information and explanations given to us, the company has taken Working Capital Loan from NEDFI / MoDONER. Pending principal amount Rs. 28.23 cr has been converted into equity and interest/penal interest is still lying unadjusted pending for want of approval from MoDONER has been made till date. The company has not issued debentures.

Particulars	Period (Since)	Amount
Principal	01/10/2021	2,00,00,000.00
Interest	01/04/2016	27,25,08,521.00
PENAL INTEREST ON WORKING CAPITAL	01/04/2016	6,73,98,276.00

(b) As per information and explanations given to us the company is not a declared willful defaulter by any Bank or financial institution or other lender. Accordingly the provision of clause 3(ix)(b) of the order is not applicable.

(c) As per information and explanations given to us, the company has not raised loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries, joint ventures or associate companies. Accordingly, the provision of clause 3(ix)(f) of the order is not applicable.

(d) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the balance sheet of the Company, we report that no funds raised on short term basis have been used for long term purposes by the company.

(e) The Company does not hold any investment in any subsidiary, associate or joint venture (as defined under the Act) during the year ended 31 March 2022. Accordingly, clause 3(ix)(e) is not applicable.

(f) The Company does not hold any investment in any subsidiary, associate or joint venture (as defined under the Act) during the year ended 31 March 2022. Accordingly, clause 3(ix)(f) is not applicable.

(10) (a) As per information and explanations given to us, the company did not raise any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year. Accordingly, the provision of clause 3 (x)(a) of the Order is not applicable.

(b) As per information and explanations given to us and based on our examination of the records, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partially or optionally convertible debentures during the year under review. Accordingly, the provisions of clause 3(x)(b) of the Order is not applicable..

(11) (a) Based upon the audit procedures performed and information and explanations given by the management, we report that, no fraud by the Company or on the company has been noticed or reported during the period covered by our audit. Accordingly, the provision of clause 3(xi)(a) of the order is not applicable.

(b) Based upon the audit procedures performed, in the absence of any observation relating to suspected offence involving fraud, the provision of clause 3 (xi)(b) of the order is not applicable.

(c) As per information and explanations given to us, the company has not received any whistle blower complaints during the year, Accordingly, the provisions of clause 3(xi)(c) of the Order is not applicable to the Company.

(12) The company is not a Nidhi Company. Accordingly, clause 3(xii)(a), 3(xii)(b) and 3(xii)(c) of the Order is not applicable.

(13) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, transactions with the related parties there are no related party transactions during the year

(14) (a) According to the information and explanations given to us, the company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.

(b) We have considered the report of the internal auditors for the period under audit

(15) As per information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with them. Accordingly, the provisions of clause 3 (xv) of the Order is not applicable.

(16) (a) In our Opinion and based on our examination, the Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934). Accordingly, clause 3(xvi)(a) of the Order is not applicable.

(b) In our Opinion and based on our examination, the Company has not conducted any Non-Banking Financial or Housing Finance activities without a valid Certificate of Registration (CoR) from the Reserve Bank of India as per the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, clause 3(xvi)(b) of the Order is not applicable.

(c) In our Opinion and based on our examination, the Company is not a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations made by the Reserve Bank of India. Accordingly, clause 3(xvi)(c) of the Order is not applicable.

(d) According to the information and explanations given by the management, the Group does not have any CIC as part of the Group.

(17) There is a cash loss of Rs 4,54,24,725.00 in the current FY

(18) As per information and explanations given to us, there has been no instance of resignation by the statutory auditors during the year. Accordingly, the provisions of clause 3(xviii) of the Order is not applicable to the Company.

(19) Material uncertainty exists as on the date of the audit report that company is capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of 1 year from the balance sheet date

(20) As per information and explanations given to us, the provision of section 135 of companies act 2013 are not applicable to the company during the financial year. Accordingly, the provision of clause 3(xx) of order is not applicable.

(21) As per information and explanations given to us, There are no qualifications or adverse reveals in the CARO report of the company(ies) included in the financial statement

Sd/-

For M. Borar & Co.
Chartered Accountants
FRN : 314255E

Sd/-

(CA. Manish Bagaria)
Partner
Membership No. 303339

Date : 06.12.2023

Place : Guwahati

Annexure 'B' to Independent Auditors' Report

(Referred to in Paragraph 1 under Report on Other Legal and Regulatory Requirements of our report of even date) Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of North East Regional Agricultural Marketing Corporation Limited ("the Company") as on 31st March 2022 in conjunction with our audit of the financial statement of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining Internal Financial Controls based on the Internal Control over Financial Reporting criteria established by the Company considering the essential components of Internal Control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate Internal Financial Controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its Business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its Assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable Financial Information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's Internal Financial Controls over Financial Reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of Internal Financial Controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Notes require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate Internal Financial Controls over Financial Reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the Internal Financial Controls system over Financial Reporting and their operating effectiveness. Our audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting included obtaining an understanding of Internal Financial Controls over Financial Reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of Internal Control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's Internal Financial Controls System over Financial Reporting

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepting accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that

(1) pertain to the maintenance of records, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;

(2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company;

(3) Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statement.

Inherent Limitation of Internal financial controls over financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Adverse Opinion

In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Internal Control System is commensurate with the size of the Company except at branch level and the nature of its business with regard to purchase of Inventory, Fixed Assets and Sale of Goods & Services, rights to sign cheques.

Sd/-
For M. Borar & Co.
Chartered Accountants
FRN : 314255E

Sd/-
(CA. Manish Bagaria)
Partner
Membership No. 303339

Date : 06.12.2023
Place : Guwahati

North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2022

Particulars	Note No.	As at 31.03.2022 (Rs. in '000)	As at 31.03.2021 (Rs. in '000)
I. EQUITY AND LIABILITIES			
1. Shareholders' funds			
(a) Share capital	1	3,58,500	76,200
(b) Reserves and surplus	2	-5,78,257	-5,92,695
		<u>-2,19,757</u>	<u>-5,16,495</u>
2. Non-current liabilities			
(a) Long Term Borrowings	3	20,000	1,72,300
(b) Long Term Provision	4	17,872	19,426
		<u>37,872</u>	<u>1,91,726</u>
3. Current liabilities			
(a) Short Term Borrowings			
(b) Trade payables	5	1,48,541	1,62,261
(c) Other current liabilities	6	6,34,396	6,34,181
		<u>7,82,937</u>	<u>7,96,442</u>
	TOTAL	<u>6,01,051</u>	<u>4,71,673</u>
II. ASSETS			
1 Non-current assets			
(a) Fixed assets			
(i) Tangible assets	7	15,934	16,663
(ii) Capital Work In Progress		84,804	24,052
(b) Long-term loans and advances			
(c) Other non-current assets			
		<u>1,00,738</u>	<u>40,716</u>

Particulars	Note No.	As at 31.03.2022 (Rs. in '000)	As at 31.03.2021 (Rs. in '000)
2 Current assets			
(a) Inventories	8	3,789	3,341
(b) Trade Receivables	9	1,25,743	1,14,561
(c) Cash and Cash equivalents	10	2,84,899	2,14,672
(d) Short-term loans and advances	11	79,598	92,754
(e) Other Current Assets	12	6,283	5,630
		<u>5,00,313</u>	<u>4,30,957</u>
	TOTAL	<u><u>6,01,051</u></u>	<u><u>4,71,673</u></u>

The Accompanying Notes 1 to 22 are an integral part of the Financial Statements.

For, North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation

For, M. Borar & Co.

Sd/-
Cmde Rajiv Ashok (Retd)
Managing Director
DIN : 09598427

Sd/-
I.Meitei
DIN: 08220500
Director

Sd/-
Sanjiv Kumar Rai
Company Secretary
M. No. A52998

Sd/-
CA Manish Bagaria
Partner
M.No. 303339

Date : 1/12/2022
Place : Guwahati

North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation

Notes forming part of the Financial Statements for the Year ended 31.03.2022

NOTE 1 SHARE CAPITAL

Particulars	As at 31.03.2022 (Rs. In '000)	As at 31.03.2021 (Rs. In '000)
Authorised		
600000 Equity Shares of 1000/- each	6,00,000	1,00,000
Issued, Subscribed & Paid-UP		
358500 Equity Shares of 1000/- each	3,58,500	76,200
Total	3,58,500	76,200

The Company has only one class of shares referred to as equity share having a par value of 1000/-. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share.

NOTE 1 A

The reconciliation of the number of shares outstanding and the amount of share capital as at March 31, 2021 is set out below:

Particulars	As at 31.03.2022		As at 31.03.2021	
	Equity Shares Number (Rs. In '000)	Equity Shares Number (Rs. In '000)	Equity Shares Number (Rs. In '000)	Equity Shares Number (Rs. In '000)
Shares outstanding at the beginning of the year	76,200	76,200	76,200	76,200
Add:- Issued during the Year	2,82,300	2,82,300	-	-
Shares outstanding at the end of the year	<u>3,58,500</u>	<u>3,58,500</u>	<u>76,200</u>	<u>76,200</u>

NOTE 1 B

The Shareholders holding more than 5% of total paid up capital as at March 31, 2022 are as under :
As at 31.03.2022

Sl No	Name of Shareholder	No. of Shares held	% Holding
1	President of India	3,58,480	99.99
2	Secretary, North Eastern Council	10	0.0027
3	Deputy Secretary, North Eastern Council	10	0.0027

Notes forming part of the Financial Statements for the Year ended 31.03.2022 (contd.)

NOTE 2 RESERVE & SURPLUS

Particulars	As at	As at
	31.03.2022	31.03.2021
	(Rs. In'ooo)	(Rs. In'ooo)
Surplus/(Deficit) in the Profit & Loss Statement		
Opening balance	-6,29,886	-5,64,486
(+) Net Profit/(Net Loss) For the current year	-46,314	-65,400
Revaluation of Provision for Interest		
Closing Balance	<u>-6,76,200</u>	<u>-6,29,886</u>
Building Grant	94,393	33,641
Capital Reserve- For Employees Benefit (VRS)	-	-
Depreciation Reserve	-358	-358
Subsidy Reserve- Sale Subsidy	3,852	3,852
Grant-in Aid-Seminar under NMFP	56	56
Total	<u><u>- 5,78,257</u></u>	<u><u>- 5,92,695</u></u>

NOTE 3 LONG TERM BORROWINGS

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
Unsecured		
Ministry of DoNER (unmatured)	20,000	1,52,300
NEDFI	-	20,000
Total	<u><u>20,000</u></u>	<u><u>1,72,300</u></u>

NOTE 4 LONG TERM PROVISION

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
Long Term Provision		
Provision for Gratuity	11,593	12,557
Provision for Leave Encashment	6,279	6,868
Total	<u><u>17,872</u></u>	<u><u>19,426</u></u>

Notes forming part of the Financial Statements for the Year ended 31.03.2022(contd.)

NOTE 5 TRADE PAYABLES

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
Others	1,48,541	1,62,261
	1,48,541	1,62,261

NOTE 6 OTHER CURRENT LIABILITIES

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
Interest Accrued and due on Borrowings	17,707	2,56,372
Penal Interest accrued and due on Borrowings	-	60,972
Other Payables*	2,89,880	2,05,374
Liability for Damage of Stock	-	7
Gratuity Payable	3,069	885
Leave Encashment Payable	1,541	571
Unsecured loan-Ministry of DoNER(Matured)	-	1,10,000
Revaluation of WC Loan and Interest/penal Interest	3,22,200	
Total	6,34,396	6,34,181

*Other Payables includes Statutory dues , security deposit, grant and advances from customers.

NOTE 7 FIXED ASSETS

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
Opening Balance	16,663	12,345
Add: Additions	160	5,385
Less: Transferred to Depreciation Reserve/sold		
Less: Depreciation	890	1,067
	15,934	16,663

NOTE 8 INVENTORIES

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
Raw Materials	-	-
Finished Goods	3,338	2,890
Stores and Spares	182	181
Others*	269	269
	3,789	3,340

*Others includes Stocks of packing Materials and Stock of Power and fuel Inventories are carried at cost

Notes forming part of the Financial Statements for the Year ended 31.03.2022 (contd.)

NOTE 9 TRADE RECEIVABLES

Particulars	As at 31.03.2022 (Rs. In '000)	As at 31.03.2021 (Rs. In '000)
Trade receivables outstanding for a period less than six months from the date they are due for payment		
Trade receivables outstanding for a period exceeding six months from the date they are due for payment	1,25,743	1,14,561
Total	1,25,743	1,14,561

NOTE 10 CASH & BANK BALANCES

Particulars	As at 31.03.2022 (Rs. In '000)	As at 31.03.2021 (Rs. In '000)
a. Balances with banks		
b. Cash in hand	95,441	88,814
c. Remittance in Transit	1,288	225
d. Fixed Deposits with Banks		
e. Fixed Deposits held against B.G.pledge with PNB, Zoo Road.BR	1,83,264 4,907	1,20,939 4,694
Total	2,84,899	2,14,672

NOTE 11 SHORT-TERM LOANS & ADVANCES	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
Particulars	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
b. Others		
Deposits	3,249	2,840
Loans and Advances	32,485	31,982
Others	43,864	57,932
Total	79,598	92,754

NOTE 12 OTHER CURRENT ASSETS	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
Particulars	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
Income Tax Receivable	6,214	5,561
Indirect taxes Receivable	69	69
Total	6,283	5,630

North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited
STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2022

Particulars	Note No.	For the year ended 31.03.2022 (Rs. in '000)	For the year ended 31.03.2022 (Rs. in '000)
Continuing Operations (1)			
I Revenue from operations	13	2,61,420	1,46,067
II Other income	14	5,497	4,165
III Total Revenue (1+ 2)		2,66,917	1,50,232
IV Expenses:			
Cost of Material Consumed			-
Purchase of Stock-in-Trade		2,48,046	1,37,280
Changes in inventories of Stock-in-Trade	15	-448	-414
Employee benefits expenses	16	27,518	27,482
Finance costs	17	22,563	42,228
Depreciation	7	890	1,067
Other expenses	18	14,281	8,621
Total expenses		3,12,851	2,16,265
V Profit / (-) Loss before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)		- 45,934.45	-66,033
VI Exceptional items	-		
VII Profit / (-) Loss before extraordinary items and tax (V-VI)		- 45,934	-66,033
VIII Extraordinary Items	20	380	633
IX Profit before tax (VII+VIII)		- 46,314	-65,400
X Tax expense:			
(1) Current tax			
(2) Deferred tax			
XI Profit for the Year from Continuing Operations (IX-X)		- 46,314	-65,400

XII Profit for the Year from Discontinuing Operations		
XIII Tax Expense for Discontinuing Operations		
XIV Profit for the Year from Discontinuing Operations after Tax (XII-XIII)	- 46,314	- 65,400
XV Profit for the Year	- 46,314	- 65,400
XIV Earnings per equity share (of Rs 1,000 each):		
1. Basic	-0.61	- 0.86
2. Diluted		
XII Earnings per equity share (excluding extraordinary items) (of Rs 1,000 each):		
1. Basic	- 0.60	- 0.87
2. Diluted	- 0.60	- 0.87

The Accompanying Notes 1 to 22 are an integral part of the Financial Statements

For, **North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation**

For, **M. Borar & Co.**

Sd/-
Cmde Rajiv Ashok (Retd)
Managing Director
DIN : 09598427

Sd/-
I.Meitei
DIN: 08220500
Director

Sd/-
Sanjiv Kumar Rai
Company Secretary
M. No. A52998

Sd/-
CA Manish Bagaria
Partner
M.No. 303339

Date : 1/12/2022
Place : Guwahati

North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited
Notes forming part of the
Financial Statements for the Year ended 31.03.2022 (cont...)

NOTE 13	For the year ended	For the year ended
REVENUE FROM OPERATIONS	31.03.2022	31.03.2021
Particulars	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
	2,59,442	1,45,581
Sales	990	
Inter-Branch Sale	988	485.87
Other Operating Revenue		
Sale of Services		
Total	2,61,420	1,46,067

NOTE 14	For the year ended	For the year ended
OTHER INCOME	31.03.2022	31.03.2021
Particulars	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
Franchisee Fees		
Interest	3,379	2,807
Income from Hiring of Vehicles		
Misc. Receipt	117	60
Gratuity		496
Event and Exhibition Project	2,001	802
Total	5,497	4,165

North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited
Notes forming part of the Financial Statements
for the Year ended 31.03.2022 (cont...)

NOTE 15 CHANGES IN INVENTORIES OF STOCK-IN-TRADE	For the year ended 31.03.2022 (Rs. In '000)	For the year ended 31.03.2021 (Rs. In '000)
Particulars		
Closing Stock	3338	2,890
Opening Stock	2890	2,476
Total	-448	-414

NOTE 16 EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES	For the year ended 31.03.2022 (Rs. In '000)	For the year ended 31.03.2021 (Rs. In '000)
Particulars		
Wages and Salaries (Including Bonus)	23,297	24,951
Staff Welfare	2,346	468
Contribution to Provident & Other Funds including charges	1,875	2,063
Total	27,518	27,482

NOTE 17 FINANCE COST	For the year ended 31.03.2022 (Rs. In '000)	For the year ended 31.03.2021 (Rs. In '000)
Particulars		
Interest on Working Capital Loan	16,137	30,819
Penal Interest on Working Capital Loan	6,426	11,410
Total	22,563	42,228

North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited
Notes forming part of the Financial Statements
for the Year ended 31.03.2022(cont...)

NOTE 18 OTHER EXPENSES	For the year ended	For the yearended
Particulars	31.03.2022	31.03.2021
	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
Advertisement Expenses	188	139
Administrative Expenses	76	84
Accounting Fees	40	40
Auction Expenses		
Auditor's Remuneration		173
Bank Charges	33	16
Board Meeting Expenses	2	19
Books & Periodicals	7	5
Consultancy Charges	4	-
Electricity Expenses	749	656
Exhibition & Trade Fair	-	35
Event & Exhibition	1,811	784
Freight and Transportation	172	542
Fuel Cost (Coal, LPG and Diesel)	312	276
GST Fees	7	200
Insurance	36	13
Interview Expenses	10	
Labour Charges	64	14
Lease Rent		8
Legal Fees	399	
Meeting & Conference	8	179
Miscellaneous Expenses	40	7
Office Expenses	139	17
Packing Materials	10	165
Penalty		158
Postage & Courier	24	
Printing & Stationery	255	25
Prior Period Adjustment	-	163
Processing Charges	128	
Professional Fees	290	287
Rate and Taxes		428
Renewal Fees	16	15
Rent	2,114	2,324
Repairs and Maintenances	149	198

ROC Expenses	4,237	9
Commission Charges		4
Stall Expenses	103	135
TA Expenses	839	418
Telephone and Internet Expenses	53	254
Travelling and Conveyances	91	113
Upkeepment of Vehicle	470	374
Other Exp	1,405	342
Vehicle Hiring & Running Expenses		
Total	14,281	8,621

North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited

Notes forming part of the Financial Statements for the Year ended 31.03.2022 (cont...)

NOTE 19 Auditor's Remuneration paid during the year	For the year ended 31.03.2022 (Rs. In '000)	For the year ended 31.03.2021 (Rs. In '000)
(a) Statutory Audit fees	80	80
(b) Tax Audit fees		
Total	80	80

NOTE 20 Extraordinary Items	For the year ended 31.03.2022 (Rs. In '000)	For the year ended 31.03.2021 (Rs. In '000)
(a) Impairment loss		
(b) Prior Period Adjustment	380	-633

NORTH EASTERN REGIONAL AGRICULTURAL MARKETING CORPORATION LTD.
CASH FLOW STATEMENT
For the year ended 31st March, 2022

Particulars	2021-22		2020-21	
	(Rs in '000)	(Rs in '000)	(Rs in '000)	Rs in '000)
Cash Flows from Operating activities				
Net Profit during the year				
Add:	-46,314		-65,400	
Depreciation	890		1,067	
Provision for Gratuity	1,220		-3,460	
Provision for Leave Encashment	380		1,736	
Provision for Damage stock	-7		-	
Profit on Sale of Fixed Assets	0		-	
Interest Paid	22,563		42,228	
Interest Received	-3,379		-2,807	
Cash Generated from operations before working capital changes	-24,648		-30,108	
(Increase)/Decrease in Stock	-449		-413	
(Increase)/ Decrease in Debtors	-11,183		14,760	
(Increase)/ Decrease in Advances	13,156		-10,289	
(Increase)/Decrease in Other Current Assets	-654		-235	
Increase/(Decrease) in Trade Creditors	-13,720		10,886	
Increase/(Decrease) in Reserve & Surplus	60,752		440	
Increase/(Decrease) in Other Current Liabilities	-2,932		1,56,969	
Net Cash Flow from Operating activities (A)	20,324		1,42,010	
Cash Flows from Investing activities		20,324		
Purchase of Fixed Assets			-5,385	
Disposal of Fixed Assets			-	1,42,010
Interest Received	-160		-	
Increase in Capital Work-in- Progress	-		2,807	
Net Cash Flow from Investing activities (B)	3,379		1,389	
	-60,752			
		-57,534		-1,189

**NORTH EASTERN REGIONAL AGRICULTURAL MARKETING CORPORATION LTD.
CASH FLOW STATEMENT**

For the year ended 31st March, 2022

	2021-22		2020-21	
	(Rs in '000)	(Rs in '000)	(Rs in '000)	(Rs in '000)
Cash Flows from Financing activities				
Long term loan Borrowings	(152,300)			
Share Capital	282,300			
Interest Paid	(22563)		-42,228	
Net Cash Flow from Financing activities (C)		1,07,437		- 42,228
		70,227		98,592
Cash at the beginning of the period		214672		1,16,080
Cash at the end of the period		2,84,899		2,14,672

For, North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation

For, M. Borar & Co.

Sd/-
Cmde Rajiv Ashok (Retd)
Managing Director
DIN : 09598427

Sd/-
I.Meitei
DIN: 08220500
Director

Sd/-
Sanjiv Kumar Rai
Company Secretary
M. No. A52998

Sd/-
CA Manish Bagaria
Partner
M.No. 303339

Date : 1/12/2022
Place : Guwahati

**NORTH EASTERN REGIONAL AGRICULTURAL MARKETING CORPORATION LIMITED
DEPRECIATION SCHEDULE FOR F. Y. 2021-22**

Particulars	Opening WDV as on 01/04/2021	Additions During the Year	Depreciation	Adjusted with Retained Earning	" WDV as on 31/03/2022"
Building	1,25,36,045.00	-	6,10,505.00		1,19,25,540.00
Office Equipments	1,50,131.00	10,030.00	39,265.00		1,20,896.00
Computers	1,65,478.00	13,000.00	69,628.00		1,08,850.00
Electricals	4,86,592.00	-	87,044.00		3,99,548.00
Furnitures	2,94,830.00	85,145.00	67,337.00		3,12,638.00
Electrical Equipments	45,491.00	52,300.00	12,789.00		85,002.00
Plant & Machinery	4,70,754.00		3,113.00		4,67,641.00
Vehicle	60,662.00				60,662.00
Land	24,53,932.00				24,53,932.00
Total	1,66,63,915	1,60,475.00	8,89,681.00		1,59,34,709

For, North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation

For, M. Borar & Co.

Sd/-
Cmde Rajiv Ashok (Retd)
Managing Director
DIN : 09598427

Sd/-
I.Meitei
DIN: 08220500
Director

Sd/-
Sanjiv Kumar Rai
Company Secretary
M. No. A52998

Sd/-
CA Manish Bagaria
Partner
M.No. 303339

Date : 1/12/2022
Place : Guwahati

NORTH EASTERN AGRICULTURAL MARKETING CORPORATION LTD. GUWAHATI
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENT AS AT 31.03.2022

Note: 19

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a) BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENT

- The Financial Statements have been prepared in accordance with on the historical cost convention on an accrual basis and in conformity with the relevant Accounting Standards as notified under the Companies (Accounting Standard) Rules, 2006 as amended by Companies (Accounting Standards) Amended Rules, 2016 and the Companies Act, 2013.
- The Company follows the mercantile system of accounting and recognizes Income & Expenditure on accrual basis.
- Accounting policies unless specifically stated to be otherwise are consistent and are in consonance with generally accepted accounting principles.

b) USE OF ESTIMATE:

The preparation of financial statement in conformity with generally accepted accounting principles require the management to make estimates and assumptions that affect the reported balances of assets and liabilities as of the date of the financial statement and reported amounts of income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of financial statement are prudent and reasonable. Difference between actual result and estimates are recognized in the period in which result are known/materialized.

c) FIXED ASSETS (PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT):

- Property, plant and equipment are stated at acquisition cost net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance are charged to the Statement of Profit and Loss during the period in which they are incurred.
- Gains or losses arising on retirement or disposal of property, plant and equipment are recognized in the Statement of Profit and Loss.

- Property, plant and equipment (if any) which are not ready for intended use as on the date of Balance Sheet are disclosed as "Capital work-in-progress".
 - Depreciation is provided on a pro-rata basis on written down value method based on estimated useful life as prescribed under Part C of Schedule II to the Companies Act, 2013. However, the assets costing Rs 5,000 or less are fully depreciated in the year of purchase.
 - Freehold land is not depreciated.
 - The residual values, useful lives and method of depreciation of property, plant and equipment is reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.
 - The figures in balance sheet doesn't includes three leasehold land details as mentioned below because the ownership and title deed are not transferred in the name of NERAMAC
- a) Land on lease at Silchar measuring 2,30,400 sqft allotted by Govt of Assam on 05.01.2009-The allocation of the same was cancelled by the Govt. of Assam, O/o the General Manager, District Industries and Commerce Centre, Cachar vide its letter (12/2/2018).The plot was taken over by GM DI & CC on January 2020
 - b) Land on lease at Byrnihaat measuring 4000 sq meter allotted by Govt of Meghalaya on 30.03.2001
 - c) Land on lease at Nalkata measuring 3.64 hectare allotted by Govt of Tripura on 05.09.1986

d) DEPRECIATION:

Depreciation has been provided based on the useful life as referred to in the Part C of Schedule II of the Companies Act, 2013.

e) IMPAIRMENT OF ASSETS:

An asset is treated as impaired when the carrying the cost of assets exceed its recoverable value. An impairment loss is charged to the profit & loss account in the year in which an asset is identified as impaired.

f) INVENTORIES :

Inventories are valued at the lower of cost (on FIFO/ Weighted Average, as the case may be) and the net realizable value after providing for obsolescence and other losses, where considered necessary. Cost includes all charges in bringing the goods to the point of sale, including octroi and other levies, transit insurance and receiving charges. Stocks of consumable stores are valued at lower of cost or net realizable value.

g) REVENUE RECOGNITION :

Revenue from the sale of goods is recognized, net of returns and trade discounts, when the significant risks & rewards of ownership of the goods/services has been transferred to the buyer, which generally Revenue coincides with the delivery of goods to customers.

Other Incomes like interest income is recognized on accrual / time basis whereas dividend (if any) is recognized when the Company's right to receive the payment has been established.

Interest on refund of any tax, duty or cess etc is accounted for as and when they are received.

h) EMPLOYEE BENEFITS :

Short-term employee benefits based on expected obligation on undiscounted basis are recognized as expenses in the statement of profit & loss of the period in which the related service is rendered.

Post-Employment Benefits :

Defined Contribution Plan:

Post-employment and other long term employee benefits are recognized as an expense in the profit & loss account for the year in which the employee has rendered services. The employees of the Corporation make monthly fixed contributions to the above schemes equal to a specified percentage of the covered employee's salary.

Defined Benefit Plan :

Gratuity : Provision towards gratuity is made on the basis of actuarial valuation at the end of the financial year, by an actuary in terms of Accounting Standards (AS) 15 – Employees Benefits

Leave Encashment : Provision towards Leave Encashment is made on the basis of actuarial valuation at the end of the financial year, by an actuary in terms of Accounting Standard (AS) 15- Employees benefits

i) EMPLOYEE SEPARATION COST:

Compensation to employees who have opted for retirement under the voluntary retirement scheme of the Company is charged to the Profit & Loss account in the year of option.

j) EARNING PER SHARE:

Basic earnings per share is computed by dividing the profit / (loss) after tax (including the post tax effect of extraordinary item, if any) by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. Diluted earning per share is computed by dividing the profit / (loss) after tax (including the post tax effect of extraordinary item, if any) as adjusted for dividend, interest and other charges to expense or income relating to the dilutive potential equity shares,) by the weighted average number of equity shares considered for deriving basic earnings per share and the weighted average number of equity shares which could have been issued on the conversion of all dilutive potential equity shares.

k) GOVERNMENT GRANTS AND SUBSIDIES :

Government Grants or Subsidies relating to an expense item are recognized as Asset at the time of its receipt. Government Grants in relation to Fixed Assets are reduced from the actual cost of concerned Fixed Assets.

l) PROPOSED DIVIDEND

In compliance with Revised Accounting Standard 4 "Contingencies and Events Occurring after the Balance Sheet Date", Proposed Dividend on equity shares and tax thereon subject to the approval of the shareholders of the Company at the Annual General Meeting is not recognized as liability as at the Balance Sheet date and will be recognized as and when it is declared.

m) BORROWING COST :

Borrowing cost that attributable to the acquisition or construction of qualifying assets are capitalized as part of such assets. A qualifying asset is an asset that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale. Other borrowing costs are recognized as an expense in which they are incurred.

n) CONTINGENT LIABILITIES :

Contingent liabilities are disclosed in respect of present possible obligation that arise from past events but their existence is confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the company.

o) SEGMENT REPORTING :

The company has single business segment namely "Processing & marketing of agriculture based products". As such the company business does not fall under the different segment reporting as defined in AS-17 issued under the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006

p) ACCOUNTING FOR INVESTMENT :

Investments are carried at cost. Investments in Fixed Deposit represent unutilized funds to be deployed for capital expenditure as well as revenue expenditures

NORTH EASTERN AGRICULTURAL MARKETING CORPORATION LTD. GUWAHATI

NORTH EASTERN AGRICULTURAL MARKETING CORPORATION LTD. GUWAHATI
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENT AS AT 31.03.2022 Contd.

Note : 20

ADDITIONAL INFORMATION TO THE FINANCIAL STATEMENTS

1. The figures have been regrouped/reclassified whenever necessary to confirm with current year presentation.
2. The Corporation owns 4000 Sq. m. a plot bearing No. 12 in the EPIP, Byrnihat for setting up a Ginger Processing Unit, which has been provisionally allotted by the Govt. of Meghalaya and whose value has been taken as nil.
3. The Corporation owns 1.54 Bighas of land under Dispur Revenue Circle in the District of Kamrup, Assam for construction of Office building which has been allotted by the Govt. of Assam for a total cost of Rs. 22,50,000/-. This payment was released in the month of May 2011 along with land revenue and taxes for twenty five years amounting to Rs. 28,210/-.
4. The Corporation owns 6 bighas 2 khata and 4 lacha land at Mankachar, District Dhubri for setting up of Cashew nut factory which is valued at Rs. 2,03,932/-.
5. The Corporation is establishing Mancachar Cashew Processing Plant which is Sanctioned through Central Financial Assistance under NLCPR towards the project of "Establishment of Cashew processing plant at Mancachar " in Assam amounting to Rs.248.34 Lac out of which total amount received is Rs 203.19 Lac till the end of FY 2018-2019. Due to escalation of the Project Cost, the construction could not be completed and is at halt. Request for the financial assistance has made to NEC for completion of the remaining work due to the escalation.

6. NERAMAC is Constructing Marketing Complex at Six Mile, Guwahati which is being sanctioned by North Eastern Council (NEC) vide letter Dtd.14/03/2017, NEC with provision of B+G+5 for Office Cum Commercial Building(Block 1) and G+3 for Guest House (Block 2) with a total built up area of 6040.00 sq. m. Sanctioned project cost Rs. 12.89 Crore .The Architect Consultant, M/s Designers' Guild was appointed on 16/11/2017 through competitive bidding. Considering the commercial viability of the site and permissible F.A.R Considering the commercial viability of the site and permissible F.A.R with provision of B+G+7 for Office Cum Commercial Building and B+G+5 for Guest House, total built up area of 6835.45 Sq.m was approved by the Board of Directors on 31/01/2018 and placed for obtaining necessary permission for construction to GMDA/GMC Authorities on 28/03/2018.

7. In the absence of Taxable Profits no deferred Tax liability has been created. Also because of uncertainty of future profits no deferred tax Asset has been created.

8. During the financial year 2004 – 05 the Company has issued two Bank Guarantee drawn on Punjab National Bank, Zoo Road Branch, Guwahati in favour of the Registrar General, Calcutta High Court (Appellate Suite) for an amount of Rs.19,62,430.85 against pledging Term Deposit bearing No. 18/2004 dt. 06.08.2004 and 1/2005 dt. 11.01.2005. Subsequently renewed on yearly basis as the case is still sub-judice. The current value of the said Bank guarantee is Rs49,06,754

9. The carrying amounts of assets are reviewed at each Balance Sheet date. If there is any indication of impairment based on internal/external factors, impairment is recognized whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.

10. Trade receivables includes receivables from West Bengal State Seed Corporation Limited amounting Rs 496.97 Lakhs towards supply of 1500.76 MT certified wheat seeds vide order reference no 920/WBSSC dated 31.10.2011, The amount is yet to settled even after 7 years and also the matter is under litigation and the receipt of the amount is doubtful.

11. Contingent liabilities not provided for (Rs in '000)

Creditors	Amount Claimed	Liabilities Provided	Contingent Liabilities
Sobhayaga Advertising, Kolkata	1,990.00	1,262.00	728.00
M/s Harvel Agua Pvt Ltd	3534	1224	2310
M/s R & Z Distributor	2324	0	2324
Ratnagirimpex Pvt Ltd	41492	18725	22767
Total	49340	21211	28129

12. Under the Revival Package approved by the Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA) outstanding Govt. of India loan of Rs. 28.23 Crore as on 31.03.2021 has been converted into the equity share capital and 282300 equity shares of Rs.1000/- each issued in the name of the President of India.

As approved in the Revival Package Authorised share capital of the Company increased from Rs. 10.00 to 60.00 to accommodate the conversion of outstanding loan.

13. As per the approved Revival Package the outstanding loan and the interest and penal interest up to 30.09.2021 to be frozen and converted into non interest bearing liability till the conversion of loan into equity and interest and penal interest written off.

14. Actuarial Valuation of Liability in respect of Gratuity payable to Employees at the time of Retirement has been worked out & provided for as per requirements of

AS-15 amounting to Rs14,661,865. (Previous Year Rs 13442129).

A. Expenses recognized in the Statement	2021-2022	2020-2021 of P &
L for the period ended 31.03.2022		
1. Current Service Cost	4,49,2354.00,	24,860.00
2. Interest Cost	7,79,643.00	10,14,148.00
3. Expected return on plan assets	---	---
4. Past Service Cost	---	---
5. Actuarial Loss/ (Gains)	14,20,923.00	13,940.00

15. Actuarial Valuation of Liability in respect of Leave Encashment payable to Employees at the time of Retirement has been worked out & provided for as per requirements of AS-15 amounting to Rs. 7439723(Previous Year Rs. 9176196).

DISCLOSURE RELATING TO EMPLOYEE BENEFIT IN ACCORDANCE WITH ACCOUNTING STANDARD 15:

A. Expenses recognized in the Statement of P & L for the period ended 31.03.22	2021-2022	2020-2021
1. Current Service Cost	2,44,799.00	2,40,606.00.00
2. Interest Cost	4,31,504.00	5,50,572.00
3. Expected return on plan assets	--	--
4. Actuarial Loss/ (Gains)	57,976 .00	(387370.00)
	-----	-----
Total expenses recognized in the Statement of Profit & Loss	734279.00	4,03,808.00
B. Net Asset/(Liability) recognized in the Balance Sheet – 31.03.2022	2021-2022	2020-2021
1. Present value of Defined Benefit Obligation	7819258.00	74,39,723.00
2. Fair Value of Plan Asset	--	--
3. Funded Status [Surplus/(Deficit)]	(78,19,258.00)	(74,39,723.00)
4. Net Asset/ (Liabilities) recognized in the Balance Sheet	(78,19,258.00)	(74,39,723.00)

C. Change in Defined Benefit Obligations :

1. Present Value of DBO on 01.04.2021	174,39,723
D. Current Service Cost	2,44,799.00
E. Interest Cost	4,31,504.00
F. Actuarial (Gains)/ Losses	57,976.00
1. Benefit Paid	(3,54,744.00)

Present Value of DBO on 31.03.2022	78,19,258.00

D. Actuarial Assumption :

1. Discounting Rate	5.85% p.a
2. Rate of increase in Salaries	5.00% p.a.
3. Expected Rate of Return on Plan Asset	NA
4. Mortality	100% IALM 12-14 Ultimate
5. Withdrawal Rate	2.00%p.a

5. Actuarial Valuation of Liability in respect of Leave Encashment payable to Employees at the time of Retirement has been worked out & provided for as per requirements of AS-15 amounting to Rs. 7439723(Previous Year Rs. 9176196).

DISCLOSURE RELATING TO EMPLOYEE BENEFIT IN ACCORDANCE WITH ACCOUNTING STANDARD 15:

A. Expenses recognized in the Statement of P & L for the period ended 31.03.22	2021-2022	2020-2021
	2,44,799.00	2,40,606.00.00
1. Current Service Cost	4,31,504.00	5,50,572.00
2. Interest Cost	-----	-----
	57,976 .00	(387370.00)
3. Expected return on plan assets	-----	-----
4. Actuarial Loss/ (Gains)		
	734279.00	4,03,808.00
Total expenses recognized in the Statement of Profit & Loss		
B. Net Asset/(Liability) recognized in the Balance Sheet – 31.03.2022	2021-2022	2020-2021
1. Present value of Defined Benefit Obligation	7819258.00	74,39,723.00
2. Fair Value of Plan Asset	--	--
3. Funded Status [Surplus/ (Deficit)]	(78,19,258.00)	(74,39,723.00)
4. Net Asset/ (Liabilities) recognized in the Balance Sheet	(78,19,258.00)	(74,39,723.00)

C. Change in Defined Benefit Obligations:

1. Present Value of DBO on 01.04.2021	174,39,723	
D. Current Service Cost		2,44,799.00
E. Interest Cost		4,31,504.00
F. Actuarial (Gains)/ Losses		57,976.00
1. Benefit Paid (3,54,744.00)		

Present Value of DBO on 31.03.2022		78,19,258.00

D. Actuarial Assumption :

1. Discounting Rate		5.85% p.a
2. Rate of increase in Salaries		5.00% p.a.
3. Expected Rate of Return on Plan Asset		NA
4. Mortality	100%	IALM 12-14 Ultimate
5. Withdrawal Rate		2.00%p.a

For, **North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation**

Sd/-
Cmde Rajiv Ashok (Retd)
Managing Director
DIN : 09598427

Sd/-
I.Meitei
Director
DIN : 08220500

Sd/-
Sanjiv Kumar Rai
Company Secretary
M. No. A52998

Date : 01/12/2022

Place : Guwahati



North Eastern Regional Agricultural Marketing
Corporation Limited

Registered Head Office

North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)

9 Rajbari Path, Ganeshguri, Guwahati - 781005, Assam
Phone : 0361-2341427, Fax : 0361-2341428

www.neramac.com

विजन वक्तव्य

भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की प्रामाणिक कृषि-बगवानी उपज के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक पसंदीदा और भरोसेमंद ब्रांड बनना।

मिशन वक्तव्य

भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आठ राज्यों के कृषि-बगवानी क्षेत्र से जुड़े किसानों और उद्यमियों को एक व्यापक विपणन समाधान प्रदान करना

निदेशक मंडल

अध्यक्ष	श्री सौरभ एंडले
प्रबंध निदेशक	श्री. मनोज कुमार दास (अतिरिक्त प्रभार)
निदेश	श्री. राजेंद्र प्रसाद गुरुंग श्री. एम. इबोयिमा मेइतेई श्री उमेश कुमार श्री राजन लोहिया
कंपनी सचिव सांविधिक लेखापरीक्षक	श्री. संजीव कुमार राय मैसर्स एम. बोरार एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, गुवाहाटी
पंजीकृत कार्यालय	9, राजबाड़ी पथ, गणेशगुड़ी, जी.एस. रोड, गुवाहाटी-781005, असम।
बैंकर्स	भारतीय स्टेट बैंक पंजाब नेशनल बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई बैंक बैंक ऑफ बोराडा

अध्यक्ष के डेस्क से

मुझे NERAMAC की 40 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अवसर मिलते हुए अत्यंत खुशी हो रही है। इस वर्ष आपके निगम ने सफलतापूर्वक 40 वर्ष पूरे कर लिये हैं। इन वर्षों के दौरान निगम ने प्रसंस्करण संयंत्रों को चालू करने, एनई फ्रेश, वन-ऑर्गेनिक नॉर्थ ईस्ट, जी.आई. जैसे ब्रांडों के विकास और प्रचार जैसे मौल के पत्थर देखे हैं। क्षेत्र के कृषि-बागवानी उत्पादों की टैगिंग करना और कृषि-बागवानी क्षेत्र से संबंधित सरकारों और सरकारी संगठनों के लिए बड़े पैमाने पर परियोजनाओं को क्रियान्वित करना। हालाँकि, कुछ ऐसे वर्ष भी थे, जब कंपनी का व्यवसाय संचालन अनुमान के अनुरूप नहीं था और कंपनी को विषीय संकट का सामना करना पड़ा। फिर भी क्षेत्र के क्षेत्रों और किसानों के विकास और समग्र विकास के लिए निगम के प्रयास लगातार जारी रहे।

चूंकि निगम 2012-13 से घाटे में चल रहा है, सरकार। भारत ने रुपये के पैकेज की घोषणा की है। 77.45 करोड़ अगस्त 2021 को निगम के पुनरुद्धार के लिए (17.00 करोड़ रुपये का फंड आधारित समर्थन और 60.45 करोड़ रुपये का फंड आधारित समर्थन और 60.45 करोड़ रुपये का गैर-फंड आधारित समर्थन)। अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के तहत, आने वाले 10 वर्षों के लिए व्यापक व्यवसाय योजना तैयार की गई है। NERAMAC को रुपये में बदलने के लिए 500+ करोड़ 2031 के अंत तक राजस्व उत्पन्न करने वाली कंपनी।

वर्ष के दौरान, एनईआरएएमएसी ने ताजा कृषि-बागवानी उत्पादों के विपणन और किसानों को बाजार से जोड़ने के अपने पारंपरिक व्यवसाय के अलावा, कई बाजार संचालित व्यावसायिक गतिविधियां शुरू की हैं। इस तरह की पहलों में ऑर्गेनिक टी बॉक्स, सुमैक बेरी पाउडर, आउटिंग जूस, सेउटी स्मै, फार्म टू प्लेट पहल के तहत सीओवीआईडी-19 के दौरान आपातकालीन आपूर्ति, निर्यात बाजारों की खोज आदि जैसे नवीन उत्पादों को पेश करके खुदरा उत्पाद टोकरी का विस्तार शामिल है।

वर्ष के दौरान कंपनी का विषीय प्रदर्शन पिछले कुछ विषीय वर्षों की तुलना में संतोषजनक रहा। आपके निगम ने रु. का राजस्व अर्जित किया है। 14.60 करोड़ की तुलना में 26.14 करोड़। विषय वर्ष 2020-21 के दौरान, वर्ष के दौरान उत्पन्न राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 57% अधिक है। वहीं, निगम को होने वाला घाटा भी पिछले वर्ष की तुलना में मामूली कम है। 6.45 करोड़ से रु. 4.63 करोड़, वर्ष के दौरान निगम का लाभ अनुपात-17.71% था, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान-44.77% था।

NERAMAC कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के विवेकपूर्ण अनुपालन में विश्वास करता है, ताकि हितधारकों के साथ कंपनी के मामलों पर जानकारी की दीर्घकालिक सफलता और पारदर्शी साझाकरण सुनिश्चित किया जा सके। वर्ष 2021-22 के लिए NERAMAC को कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए विषय मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा उत्कृष्ट दर्जा दिया गया था।

वर्ष के दौरान, प्रबंधन द्वारा निष्क्रिय प्रसंस्करण संयंत्रों के पुनरुद्धार के लिए रणनीतियों पर भी काम किया गया। निगम के पुनरुद्धार के लिए मसौदा कार्य योजना भी प्रशासनिक मंत्रालय में प्रस्तुत की गई।

हालाँकि, यह वर्ष COVID-19 द्वारा लगाए गए लॉकडाउन और आंदोलन प्रतिबंध से भी प्रभावित था, क्षेत्र के किसानों और छोटे उद्यमियों के हितों की सेवा के लिए व्यवसाय संचालन जारी रखा गया और कंपनी का वित्तीय का वित्तीय प्रदर्शन भी अब तक के उच्चतम करीब के साथ संतोषजनक रहा। पिछले पांच साल, जबकि, रिवाइवल पैकेज और समर्पित व्यवसाय योजना के कार्यान्वयन के साथ, अब हम विकास पथ पर हैं और आने वाले वर्षों में मुनाफा और आत्मनिर्भरता अर्जित करने का आश्वासन दिया है।

अंगशुमन डे
अध्यक्ष

सुची

Sl No. रिपोर्टों	Page No.
1 एजीएम की सूचना	5
2 निदेशकें की रिपोर्ट	7
3 कॉरपोरेट शासन पर रिपोर्ट	17
4 प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	23
5 वैधानिक लेखा परीक्षकों की प्रतिकूल राय पर प्रबंधन का जवाब	29
6 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	37
7 कॉर्पोरेट प्रशासन के अनुपालन का प्रमाण पत्र	38
8 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की संशोधित रिपोर्ट	41
9 वित्तीय विवरण और खातों के नोट	61

सूचना

इसके द्वारा संक्षिप्त सूचना दी जाती है कि मेसर्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की 40वीं (चालीसवीं) स्थगित वार्षिक आम बैठक सोमवार, 29 जनवरी 2024 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित होने वाली है। राजबाड़ी पथ, जी.एस.रोड, गणेशगुरी, गुवाहाटी-781005, असम, भारत, 40वीं वार्षिक आम बैठक के अधूरे कार्यों को निपटाने के लिए अपराह्न 03.00 बजे:

साधारण व्यवसाय के रूप में

मद संख्या। 1: 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण और निदेशक की रिपोर्ट और उस पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियों को प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना;

सदस्यों से निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करने का अनुरोध किया जाएगा।

"यह संकल्प लिया गया है कि 31 मार्च, 2022 तक लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट, स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ प्राप्त किया जाएगा, विचार किया जाएगा और अपनाया जाएगा"

निदेशक मंडल के आदेश से
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम
लिमिटेड

Sd/-
संजीव कुमार राय
कंपनी सचिव

दिनांक: 24.01.2024

स्थान: गुवाहाटी

संलग्न

1. वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 की प्रति
2. प्रॉक्सी फॉर्म(MGT-11)
3. उपस्थिति पर्ची

टिप्पणी:

1. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपने स्थान पर मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है।
2. प्रॉक्सी नियुक्त करने वाला दस्तावेज प्रभावी होने के लिए विधिवत भरा हुआ, हस्ताक्षरित और मोहरदार होना चाहिए और बैठक शुरू होने से 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। इस नोटिस के साथ एक खाली प्रॉक्सी फॉर्म संलग्न है।

को

1. भारत के राष्ट्रपति.

सी/ओ अंगशुमन डे, संयुक्त सचिव, सरकार। भारत की।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय,

विज्ञान भवन एनेक्सी, मौलाना आज़ाद रोड,

नई दिल्ली-110011, दिल्ली।

ईमेल: angshuman.dey@nic.in

2. सचिव,

उत्तर पूर्वी परिषद.

एनईसी सचिवालय, नया कार्यालय परिसर,

नॉग्रिम हिल्स, शिलांग-793003, मेघालय,

ईमेल: sect-nec-meg@nic.in

3. उप सचिव,

उत्तर पूर्वी परिषद

एनईसी सचिवालय, नया कार्यालय परिसर

नॉग्रिम हिल्स, शिलांग-793003, मेघालय

ईमेल: muong.gangte@gov.in

4. निदेशक मंडल के सभी सदस्यों को उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर

5. मेसर्स एम. बोरार एंड कंपनी को, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक@

mborarco@gmail.com

निदेशक की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्य गण,
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
राजबाड़ी पथ, जी.एस.रोड, गणेशगुरी, गुवाहाटी-781005, असम

आपके निदेशकों को वित्त वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ कंपनी की 40 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का विशेषाधिकार है।


1. वित्तीय निष्पादन

वित्त वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षित लेखों पर आधारित कंपनी के वित्तीय निष्पादन का संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत है-

विवरण	2021-22 (₹.)	2020-21 (₹.)
प्रचालन से राजस्व	26,1,420,000/-	146,067,000/-
अन्य आय	5,497,000/-	4,165,000/-
कुल राजस्व	2,66,917,000/-	150,232,000/-
प्रचालन खर्च	2,47,598,000/-	136,867,000/-
प्रशासनिक खर्च	41,799,000/-	36,103,000/-
वित्तीय लागत और मूल्यहास	23,453,000/-	4,3295,000/-
कुल खर्च	3,12,850,000/-	21,626,5000/-
विशेष सामग्री से पहले लाभ	(45,934,000/-)	(66,033,000/-)
विशेष सामग्री	(380,000/-)	6,33,000/-
कर के पहले लाभ	(46,314,000/-)	(65,400,000/-)
कर व्यय		
चालू कर	0.00	
आस्थगित कर	0.00	0.00
		0.00
वर्ष के लाभ	(46,314,000/-)	(65,400,000/-)

2. वर्ष के दौरान कंपनी के कार्य संचालन/कंपनी की स्थिति का संक्षिप्त विवरण।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राजस्व सृजन के मामले में कंपनी का प्रदर्शन पिछले कुछ वित्तीय वर्षों की तुलना में संतोषजनक रहा। आपके निगम ने 26.14 करोड़ रुपये जेनरेट किए हैं राजस्व के रूप में, जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों में सबसे अधिक है और पिछले वर्ष के राजस्व से 57% अधिक है।



पिछले चार वित्तीय वर्षों के राजस्व के आँकड़े

जबकि कंपनी को हुआ घाटा था रुपये 4.59/- करोड़, (साधारण को छोड़कर) जो की पिछला वर्ष तुलना में वित्तीय वर्ष 30% कम है। आपके निदेशक आने वाले वर्षों में मुनाफे के साथ उच्च राजस्व अर्जित करने के लिए प्रेरित हैं।

वर्ष के दौरान हुए घाटे के मुख्य कारण :

- क) कृषि-बागवानी उत्पादों के अधिक परवर्तनशील दर- वर्ष के दौरान आम खरीद सामग्री जैसे बड़ी इलायसी और काले चावल की दामों में गिरावट के कारण निगम का राजस्व प्रभावित रहा।
 - ख) प्रमुख प्रत्याशित हानियों को रोकने को लिए खरीद गतिविधियों को प्रतिबंधित – कीमतों में उच्च उतार-चढ़ाव के कारण जंहा अनुमानित नुकसान की मात्रा अधिक थी वो प्रापण कार्य से दूर रहना पड़ा कि अधिक घाटा से बचा जा सके।
 - ग) संचालन की उच्च लागत – पहाड़ी इलाकों और फार्म गेट के साथ कम संयोग और संभारतंत्र पर अधिक खर्च जिसकी वजह से लाभराशि प्रभावित रही।
 - घ) लॉकडाउन और आने-जाने पर प्रतिबंध: कोविड-19 महामारी के कारण, वित्तीय वर्ष की पहली दो तिमाहियों के दौरान सख्त लॉकडाउन और आवाजाही पर प्रतिबंध था, जिसने विपणन गतिविधियों और परियोजनाओं के निष्पादन को प्रभावित किया है।
 - ङ) अपर्याप्त निधि के कारण खरीद पर सिमितता – सीमित कार्यशील पूंजी के कारण खरीद गतिविधियाँ ज्यादातर संकुचित, कम मात्रा में खरीद ने अक्सर राजस्व पर प्रभाव और नुकसान उत्पन्न करती है।
3. वर्ष के दौरान हुए मुख्य प्रदर्शन पर हाईलाइट
- क) कृषि-बागवानी उत्पादों का थोक विपणन: व्कीन अनन्नास, तरबूज, कटहल, कद्दू, काली मिर्च, काले चावल, बड़ी इलीयसी।
 - ख) बांग्लादेश को 50 मि.ट. मक्का की सीधी निर्यात।
 - ग) उत्पाद टोकरी विस्तार: प्रोडक्ट बास्केट की क्षमता को पहले के 38 से बढ़ाकर 75+ कर दिया; ऑर्गेनिक टी बॉक्स, सुमैक बेरी पाउडर, औटेंगा जूस, सेफ्टी स्प्रे, बांस ट्रंक में चाय जैसे नए उत्पादों को पेश करना।

- घ) लॉकडाउन अवधि के दौरान आपातकालीन सेवाएं "फार्म टू प्लेट": नेरामेक ने पहले "फार्म टू प्लेट" पहल शुरू की और गुवाहाटी में कोविड के दौरान सब्जियां (2.5 मीट्रिक टन) 600 घरों में सीधे पहुँचाया।
- ङ) मार्केट लिंकेज: सिक्किम से अदरक (25 मि.ट.) और जीआई टैग की गई बड़ी इलायची(2 मि.ट.) का बाजार लिंकेज सुनिश्चित किया।
- च) परियोजनाओं का कार्यान्वयन:
- नेरामेक को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के '10000 एफपीओ के गठन और प्रोत्साहन' के तहत अतिरिक्त कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। और नेरामेक को वर्ष 2020-21 के लिए 50 कृषि-बागवानी एफपीओ और 5 बांस और कृषि-वानिकी भी आवंटित की गई, जिनमें से 54 एफपीओ सफलतापूर्वक पंजीकृत हुई है।
 - एसबीडीए की बांस वृक्षारोपण परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी: वर्ष के दौरान नेरामेक ने असम में तीन बांस ब्लॉक वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया और समूहों में प्रत्येक के लिए 300 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है। परियोजना को राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत राज्य बांस विकास द्वारा वित्त पोषित किया गया और ये परियोजना गोलाघाट, नागांव और कोकराझार जिले में हैं।
 - एनएचएम के तहत जैविक खेती और प्रमाणन परियोजना, बागवानी विभाग, ओडिशा सरकार: जैविक खेती और प्रमाणीकरण पर केंद्रित एनएचएम के तहत नेरामेक के एक परियोजना को जो ओडिशा सरकार के बागवानी विभाग ने पुरस्कृत किया। ओडिशा के ढेंकनाल और कंधमाल जिले में दिया गया इस प्रोजेक्ट में किसानों की 600 हेक्टेयर जमीन थी।
- छ) कृषि-व्यवसाय: वर्ष के दौरान नेरामेक ने राज्य सरकारों को वर्मी कम्पोस्ट, जैव-उर्वरक, राइजोम, एग्रो शेड नेट आदि की आपूर्ति की।
4. भारत सरकार द्वारा पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा
भारत सरकार ने 18 अगस्त, 2021 को नेरामेक के लिए 77.45 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा की। पैकेज में निम्नलिखित घटक हैं :
- क) फंड आधारित समर्थन: वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान 2 किशतों में अनुदान राशि 17.00 करोड़ रुपये का मोटे तौर पर 2/3: 1/3 के अनुपात में निम्नलिखित गतिविधियों के लिए जारी की जाएगी:

शीर्ष	रु. करोड़ों में
रेगुलर कार्मिकों के लिए वीआरएस फंड	4.96
कार्यशील पूंजी लमर्थन	6.36
संचालन का समर्थन	2.20
कंप्यूटर और ईआरपी सिस्टम, ई-कॉमर्स पोर्टल	2.23
अन्य वैधानिक बकाया, प्रतिबद्ध और वर्तमान देनदारियां	1.25
कूल	17.00

ख) गैर-आधारित समर्थन:

शीर्ष	रु. करोड़ों में
भारत सरकार का ऋण (ए.एस 31.03.2021) कंपनी के बकाया को इक्विटी शेयरों में रूपांतरण	28.23
भारत सरकार के बकाया ऋण पर 30.09.2021 तक की गणना वाले ब्याज और दंडात्मक ब्याज को बट्टे खाते में डालना	32.22
कूल	60.45

ग) इक्विटी में बकाया लंबी अवधि के उधार के रूपांतरण को समायोजित करने के लिए निगम की अधिकृत शेयर पूंजी में 10.00 करोड़ रुपये से 60.00 करोड़ रुपये की वृद्धि।

5. वर्ष के दौरान पुनरुद्धार पैकेज का कार्यान्वयन:

- क. फरवरी, 2022 में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 17.00 रुपये की फंड आधारित सहायता के तहत नेरामेक को 11.33 करोड़ रुपये की दो-तिहाई राशि प्राप्त हुई।
- ख. निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 10.03.2022 को हुई 141वीं बैठक में निगम के 21 नियमित कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना को मंजूरी दी गई। वीआरएस के लिए पात्र कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित करते हुए 01.04.2022 को स्वीकृत योजना जारी की गई थी। कुल 20 आवेदन प्राप्त हुए और दिनांक 31.05.2022 से उन सभी को पुनरुद्धार पैकेज के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई।
- ग. वित्तीय वर्ष के दौरान ईआरपी सिस्टम के कार्यान्वयन का प्रस्ताव भी पेश किया गया था।
- घ. गैर-निधि आधारित समर्थन के तहत, 28.23 करोड़ रुपये के भारत सरकार के बकाया कार्यशील पूंजी ऋण को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62(4) के अनुसार 26.11.2021 से कंपनी के इक्विटी शेयरों में परिवर्तित कर दिया गया है और कंपनी की अधिकृत पूंजी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62(6) के अनुसार भी परिवर्तित किया गया और 10.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 38.23 करोड़ रुपये कर दिया गया।
- ङ. भारत सरकार द्वारा घोषित पुनरुद्धार पैकेज के अनुपालन में, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 61(1) (ए) के अनुमोदन से कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को दिनांक- 30.11.2021 को आयोजित 39वीं वार्षिक आम सभा में सदस्यगण ने 38.23 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 60.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- च. बट्टे खाते में डाले गए ब्याज और दंडात्मक ब्याज 32.22 करोड़ रुपये के संबंध में राशि को तुलन पत्र में गैर-ब्याज वाली देयता के रूप में दर्शाया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में लेखा परीक्षकों और प्रशासनिक मंत्रालय के परामर्श से आवश्यक प्रभाव दिया जाएगा।

6. लाभांश

क्योंकि कंपनी ने वित्त वर्ष में कोई लाभ अर्जित नहीं किया है और कंपनी के पास अपने आरक्षित धन में कोई संचित लाभ नहीं है, इसलिए यह बोर्ड वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश के भुगतान की सिफारिश नहीं करता है।

7. सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण

क्योंकि वित्त वर्ष के दौरान कोई लाभ अर्जित नहीं किया गया था, इसलिए सामान्य आरक्षित निधि में कोई भी राशि अंतरित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

8. शेयर पूंजी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, स्वीकृत पुनरुद्धार पैकेज के आधार पर कंपनी की पूंजी संरचना को संशोधित किया गया था।

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रुपये से बढ़ा दी गई थी। 10,000,000/- से रु. रुपये के रूपांतरण पर अधिनियम की धारा 62(6) के अनुसार 26.11.2021 को 3,82,300,000/- रु. 28,230,000/- बकाया सरकार। भारत का इक्विटी शेयर पूंजी में ऋण। बाद में 30.11.2021 को अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के आधार पर, अधिकृत शेयर पूंजी रुपये से और बढ़ गई। 3,82,300,000/- से रु. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 61(1)(ए) के अनुसार 600,000,000/- 31.03.2022 तक, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु. 600,000,000/- रुपये के 600,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित। 1000/- प्रत्येक।

जबकि रुपये के रूपांतरण पर, 28,23,00,000/- सरकार का बकाया। भारत का इक्विटी शेयर पूंजी में ऋण। सरकार को 2,82,300 इक्विटी शेयर जारी किए गए। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(4) के अनुसार 26.11.2021 को भारत की। इसलिए कंपनी की चुकता शेयर पूंजी रुपये से बढ़ गई। 7,62,00,000/- से रु. 35,85,00,000/-

31.03.2022 तक, कंपनी की जारी, सब्सक्राइब्ड और पेड-अप शेयर पूंजी रु। 35,85,00,000/- रुपये के 3,58,500 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर शामिल हैं। 1,000/- प्रत्येक।

9. वार्षिक प्राप्ति का प्रति

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिटर्न की प्रति www.neramac.com पर होस्ट की गई।

10. उन निदेशक अथवा महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों का विस्तृत ब्यौरा जिन्हें वर्ष के दौरान नियुक्त किया गया अथवा जिन्होंने त्यागपत्र दिया

आपकी कंपनी एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, निदेशक मंडल में सभी नियुक्तियां और समाप्ति की जाती है जो भारत सरकार द्वारा किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में की गई नियुक्तियों/समाप्तियों निम्नलिखित है।

श्री उमेश कुमार, निदेशक, डोनर मंत्रालय को आदेश सं. नेरमेक -11/2/2017-का./आइएएस(एनईसी) दिनांक 20.10.2021 से कंपनी के बोर्ड में सरकारी नामिती के रूप में श्री अतुल बासुमतारी मंत्रालय से मुक्त होने पर नियुक्त किया गया था। जबकि प्रोफेसर, चारु तता महंत, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति डोनर मंत्रालय के आदेश संख्या नेरमेक-11/2/2017-का/आ यूएस (एनईसी) द्वारा दिनांक 03.11.2021 से डीपीई के दिशानिर्श पर स्वतंत्र निदेशकों के लिए निर्धारित अधिकतम कार्यकाल पूरा होने पर कार्यकाल के अंत हुए है।

11. निदेशक मंडल और उसकी समिति की बैठकों की संख्या इसकी जानकारी इस रिपोर्ट के साथ संलग्नक - क के रूप में संलग्न कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट के तहत दी गई है

12. धारा 186 के तहत ऋण, गारंटियों अथवा निवेशों का विवरण

कंपनी ने धारा 186 के तहत कोई ऋण नहीं दिया है और कोई गारंटी नहीं दी है तथा कोई निवेश नहीं किया है।

13. धारा 188 के तहत संविदा के विवरण और संबंधित पार्टियों के साथ व्यवस्थाएं

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष में अधिनियम की धारा 188 के तहत कोई संविदा और व्यवस्था नहीं की है।

14. कारोबार के स्वरूप में परिवर्तन, यदि कोई हो

रिपोर्ट वर्ष की अवधि के दौरान, कारोबार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

15. उन कंपनियों के नाम जो वर्ष के दौरान सहायक कंपनियां, संयुक्त प्रतिष्ठान अथवा सहयोगी कंपनियां बनीं अथवा उनका बने रहना समाप्त हुआ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कोई भी कंपनी नेरामेक की सहायक कंपनी, संयुक्त प्रतिष्ठान अथवा सहयोगी कंपनी नहीं बनी अथवा उनका बने रहना समाप्त नहीं हुआ।

16. कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यदि कोई हों, जो समीक्षाधीन वित्त वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट देने की तारीख के बीच हुए हैं:

भारत सरकार ने अगस्त, 2021 को नेरामेक के लिए 77.45 करोड़ रुपये के पुनरूद्धार पैकेज की घोषणा की। पैकेज में शामिल है – व्यापार संचालन, इआरपी, और ई-कमर्स पोर्टल के कर््यान्वयन और प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए 17 करोड़ का फंड आधारित समर्थन। गैर-निधि आधारित 60.45 का समर्थन के जिसमें 28.23 करोड़ भारत सरकार का ऋण को इक्यूटी शेयर पूंजी में परिवर्तन करना और उस ऋण के उपर 32.22 करोड़ की ब्याज और दंडात्मक ब्याज को बट्टे खाते में डालना।

17. अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत शामिल जमा राशियों से संबंधित ब्यौरा

कंपनी ने अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत शामिल कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है अथवा उसका नवीकरण नहीं किया है।

18. प्रतिष्ठान की जारी स्थिति और कंपनी के भावी प्रचालनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने से संबंधित विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और मुख्य आदेशों का विस्तृत ब्यौरा

वर्ष के दौरान, प्रतिष्ठान की जारी स्थिति और कंपनी के भावी प्रचालनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण और मुख्य आदेश किसी विनियामक अथवा न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा पारित नहीं किया गया है।

19. जोखिम प्रबंधन प्रणाली

वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन नीति को लागू करने का प्रस्ताव भी प्रबंधन द्वारा लाया गया जो जोखिम प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करगी।

20. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है,। सभी वित्तीय निर्णय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रधान कार्यालय में केंद्रीय रूप से लिए जाते हैं। भारत सरकार के निर्धारित किए वित्तीय दिशानिदेश नियंत्रण प्रणाली को विधिवत पालन किया जाता है।

21. कार्पोरेट सामाजिक दायित्व

वित्त वर्ष के दौरान, क्योंकि कंपनी की कुल पूंजी/निवल मूल्य/निवल लाभ कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत यथा विहित निर्धारित सीमा से कम था, इसलिए, यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता है।

22. कार्पोरेट शासन

केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कार्पोरेट शासन के संबंध में लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार की गई कार्पोरेट्स शासन रिपोर्ट संलग्नक-क के रूप में संलग्न है।

23. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

लोक उद्यम विभाग के कार्पोरेट शासन, 2010 के संबंध में दिशा निर्देशों के अनुसार, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है और यह संलग्नक-ख के रूप में संलग्न है।

24. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा मैसर्स एम बोरा र औ कं., चार्टर्ड लेखाकार, गुवाहाटी को अधिनियम की धारा 139 के तहत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की अर्हता

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में प्रतिकूल अभिव्यक्ति, कमियां हैं, इसलिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की इस प्रकार की प्रत्येक अभिव्यक्ति का विधिवत जवाब प्रबंधन द्वारा गया है और प्रबंधन का जवाब संलग्नक-ग के रूप में संलग्न है।

25. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(सीएजी) ने धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 .03.2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की पूरक लेखा परीक्षा की है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र संलग्नक-घ के रूप में संलग्न है।

26. धारा 149(6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा

स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

27. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी विनिमय आय तथा व्यय उर्जा संरक्षण

आपकी कंपनी में अपने स्तर पर ऊर्जा संरक्षण के लिए सर्वोत्तम पद्धतियां अपनायी हैं।

प्रौद्योगिकी आमेलन

वित्त वर्ष के दौरान प्रौद्योगिकी आमेलन की कोई ऐसी घटना नहीं थी।

वैदेशिक विनिमय और व्यय

वित्त वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई विदेशी विनिमय और व्यय नहीं थे

28. राजभाषा का कार्यान्वयन

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार नेरामेक ने राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार और कार्यान्वयन के लिए लगातार सर्वोत्तम प्रयास किए। नेरामेक 'ग' क्षेत्र के लिए आधिकारिक संचार में 'हिंदी' के उपयोग के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करता है। नेरामेक ने हर तिमाही में अपने कर्मचारियों के लिए आंतरिक हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करता है और केंद्र सरकार के पीएसयू द्वारा क्षेत्र में आयोजित कार्यशालाओं में भी भाग लेता है। कर्मचारियों के लिए 'आजका शब्द' के माध्यम से हिंदी शिक्षण प्रतिदिन प्रदर्शन बोर्ड पर प्रदर्शित करते हैं। वर्ष के दौरान 14 सितंबर से 29 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ भी आयोजित किए गए। सप्ताह के दौरान, 'तिप्पनी लेखन' (नोट शीट लेखन), पत्र 'लेखन', कविता लेखन आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। आयोजित किया गया प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया है। रुपये का नकद पुरस्कार। आधिकाधिक कार्यालयी काम में हिंदी का उपयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी चार कर्मचारी - प्रत्येक को 500/- रुपये करके पुरस्कार भी दिया गया। नेरामेक को नराकास(नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) (उपक्रम), गुवाहाटी द्वारा सराहनीय कार्यान्वयन के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ

29. सतर्कता तंत्र और कार्यान्वयन

नेरामेक प्रभावी सतर्कता प्रशासन को बढ़ावा देता है और भ्रष्ट और अनैतिक प्रथाओं के प्रति शून्य सहिष्णुता दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है। भ्रष्ट/अनैतिक प्रथाओं की रोकथाम, नियंत्रण और पता लगाने के लिए डीपीई और सीवीसी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को समय-समय पर लागू किया जाता है।

श्री इबोयाइमा मेइती, सलाहकार, बागवानी, एनईसी और बोर्ड के सदस्य, नेरामेक के मंत्रालय द्वारा 20.12.2020 को अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में नियुक्त किया गया है।

26.10.2021 से 01.11.2021 की रिपोर्टिंग अवधि के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह "स्वतंत्र भारत@75: अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता" थीम के साथ मनाया गया।

29. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी ने किसी ऐसे कर्मचारी को नियुक्त नहीं किया जिसका विवरण कंपनी (प्रबंधन कार्मिक की नियुक्ति और पारश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 (2) और (3) के अंतर्गत दिया जाना अपेक्षित हो।

30. कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

निगम ने निर्धारित धारा 4 के अनुसार कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक आंतरीक समिति का गठन किया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित किसी भी शिकायत की सूचना नहीं मिली।

31. निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के अंतर्गत यथा अपेक्षित के अनुसार, निदेशक एतद् द्वारा निम्नलिखित पुष्टि करते हैं:

- i. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय, सामग्री निर्गत से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है।
- ii. निदेशकों ने इस प्रकार की लेखांकन नीतियों का चयन किया है और संगत रूप से लागू किया है तथा उन पर ऐसे निर्णय लिए हैं और उनका आकलन किया है जो तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण हों ताकि कंपनी के कार्यों की 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति और इस अवधि के दौरान के कंपनी के लाभ एवं हानि की स्थिति का वास्तविक और यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया जा सके।
- iii. कंपनी की परिसंपत्तियों के रक्षोपाय के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य प्रकार की अनियमितताओं का पता लगाने तथा उनकी रोकथाम करने के लिए, निदेशकों ने इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी वरती है।
- iv. निदेशकों ने वार्षिक लेखा-जोखा प्रचलित पद्धतियों को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया है।
- v. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यथोचित पद्धतियां विकसित की और इस प्रकार की पद्धतियां पर्याप्त थी तथा प्रभावी रूप से प्रचालन में हैं।

32. लागत अभिलेखों का रखरखाव

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 (1) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए लागत संबंधी अभिलेख नहीं रखे जाते हैं।

33. लेखा परीक्षकों द्वारा धारा 143(12) के तहत सूचित धोखाधड़ी का विस्तृत ब्यौरा

लेखापरीक्षकों ने प्रबंधन द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी का खुलासा किया जो क्षेत्रीय कार्यालय, अगरतला में रिपोर्टिंग अवधि के दौरान हुई थी। नेरामेक के पूर्व कर्मचारी भट्टाचार्य को जोनल प्रभारी के रूप में नियुक्त था, अगरतला के बैंक खातों में अनधिकृत निकासी और जमा किए और कंपनी का और वार्षिक खातों के अनुपालन के लिए प्रधान कार्यालय में जाली बैंक विवरण प्रस्तुत किया। लेखा संकलन. श्री राहुल द्वारा धोखाधड़ी वाले बैंकिंग लेनदेन के कारण, कंपनी को 1,198,646/- करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

प्रबंधन ने श्री राहुल भट्टाचार्य के खिलाफ ए.डी. नगर पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज करायी और, पश्चिम त्रिपुरा एसआईटी, अगरतला पुलिस में फिलहाल मामले की जांच चल रही है

आभारोक्ति

इस शुभ अवसर पर निदेशकगण पणधारियों, डोनर मंत्रालय, उत्तर पूर्व परिषद, कृषि मंत्रालय औ फारमार वेलफेयर और अन्य राज्य सरकार के मंत्रालय और अन्य सरकारी एजेंसियों तथा कंपनी को अपना हार्दिक आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने नेरामेक को उनके कार्य निर्वहन में सहायता, सहयोग और प्रोत्साहन प्रदान किया। कंपनी के कुशलता पूर्वक कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने में डीलर, बिजनेस एसोसिएट और कंपनी के बैंकरों को अपने निरंतर समर्थन और निगम के कार्मिको को अथक प्रयास और पर्याप्त प्रदर्शन के लिए धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

Sd/-

Sd/-

कमोडर राजीव अशोक(अवकास प्राप्त)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09598427

रोजेंद्र प्रसाद गूरुंग
निदेशक
डीआईएन: 06711139

दिनांक: 16/01/2024
स्थान: गुवाहाटी/ गंगटोक

कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट शासन प्रणाली पर कंपनी की धारणा :

कॉर्पोरेट शासन के संबंध में आपकी कंपनी की धारणा के अंतर्गत अपने कारोबार संबंधी उद्देश्यों को दक्षता पूर्वक पूरा करने और अपने पणधारियों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए प्रयास करना है। आपकी कंपनी यह मानती है कि कॉर्पोरेट शासन विनियामक अपेक्षाओं का पालन करना मात्र नहीं है बल्कि अपने प्रत्येक प्रयास में पारदर्शिता के उच्चतम मानक सुजित करना भी है। सशक्त शासन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता में, हम निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिद्धांतों से मार्गदर्शन लेते हैं:

- पारदर्शिता
- प्रतिबद्धता
- जवाबदेही
- नैतिक आचरण
- पणधारियों के हितों का रक्षोपाय

2. निदेशक मंडल और उनकी समितियाँ

आपकी कंपनी के बोर्ड में सात सदस्य हैं, बोर्ड में ऐसे निदेशकों का समूह है जिसमें प्रत्येक निदेशक या तो निगम के महत्वपूर्ण कारोबार के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है अथवा प्रबंधन और शासन के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है। अतः इस बोर्ड का गठन निगम के पूर्णतः कुशल प्रचालन के लिए किया गया है।

क. निदेशक मंडल

i. निदेशक मंडल का संघटन

बोर्ड निदेशकों में 31.03.2022 तक बोर्ड में कुल छह निदेशकों के साथ एक कार्यात्मक निदेशक, दो सरकारी निदेशक और दो गैर-आधिकारिक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक और उत्तर पूर्वी परिषद से एक प्रतिनिधि शामिल हैं। हालांकि सभी स्वतंत्र निदेशकों का छह साल का अधिकतम कार्यकाल समाप्त हो गया। नए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।

ii. बोर्ड बैठकों की संख्या

वित्त वर्ष 2021-22, में निदेशक मंडल की दो बैठकें हुई थीं जिनकी तारीखें निम्नलिखित हैं

क्र. सं.	बैठक की संख्या	बैठक की दिनांक
1.	138 वीं बोर्ड बैठक	13/08/2021
2.	139 वीं बोर्ड बैठक	24/09/2021
3.	140 वीं बोर्ड बैठक	26/11/2021
4.	141 वीं बोर्ड बैठक	10/03/2022

वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण तिमाही के अंदर पहली बैठक नहीं हो सकी। हालाँकि, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने सामान्य परिषद दिनांक 03.05.2021 के तहत अप्रैल-जून, 2021 और जुलाई-सितंबर 2021 की तिमाही के लिए लगातार दो बैठकों के बीच 120 दिनों के अधिकतम अंतर को बढ़ाकर 180 दिन कर दिया।

नीचे कंपनी के निर्देशकों की सूची दी गई है जिसमें उनकी श्रेणी और कंपनी की बोर्ड बैठक में उपस्थिति को भी दर्शाया गया है:

क्र. सं.	नाम	श्रेणी	नियुक्ति की तिथि	आयोजित बोर्ड बैठक की संख्या	बोर्ड बैठक की संख्या जिनमें उपस्थिति दर्ज की गई
1	श्री सौरभ एंडले	नामांकित निदेशक	27/07/2018	04	03
2	श्री मनोज कुमार दास	र्यपालक	30/03/2020	04	04
3	श्री राजेंद्र प्रसाद गुरुंग	स्वतंत्र गैर कार्यपालक	12/09/2013	04	03
4	श्री राजन लोहिया	स्वतंत्र गैर कार्यपालक	12/09/2013	04	00
5	श्री एम आई माइति	नामांकित निदेशक	11/11/2013	04	04
6	श्री उमेश कुमात	नामांकित निदेशक	20.10.2021	02	02

iii. आचरण संहिता

आपकी कंपनी कारोबार नीति शास्त्र के उच्च मानक के अनुसार और लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हुए कारोबार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

iv. पारिश्रमिक

केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण, हमारी कंपनी में निदेशकों की नियुक्ति, अवधि और पारिश्रमिक का निर्णय भारत के राष्ट्रपति (पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय) द्वारा किया जाता है। इसलिए, बोर्ड में निदेशकों के पारिश्रमिक पर निर्णय नहीं लिया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को केवल बैठकों में उपस्थित होने की फीस का ही भुगतान किया जाता है।

प्रत्येक निदेशक मंडल और उसकी समिति की बैठक के लिए 1500/- रुपये है। कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रमिक प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा तय किया जाता है। वर्ष के दौरान, श्री

मनोज कुमार दास, डीजीएम, नेडफी के अतिरिक्त प्रभार पर प्रबंध निदेशक (वर्ष के दौरान नेरामेक में केवल कार्यकारी निदेशक) था। उसे कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया।

ख. बोर्ड की समितियाँ

विवेकपूर्ण तरीके से जिम्मेदारियों का निर्वहन करने और शीघ्रता से निर्णय लेने के उद्देश्य से, बोर्ड ने एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है जो वित्त, कानून, लेखा, विपणन आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञ और अनुभवी होते हैं।

3. लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति का गठन कॉरपोरेट शासन के संबंध में डी पी ई के दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। इस समिति के सभी सदस्य फाइनेंस के संबंध में जानकारी रखते हैं और उनको लेखांकन अथवा संबंधित विषय का अच्छा ज्ञान होता है।

A. विचारार्थ विषय

लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय डी पी ई के दिशा निर्देशों और अन्य सांविधिक अपेक्षाओं की संगति में हैं:

- क) लेखा परीक्षा समिति को इसके द्वारा जब कभी उपयुक्त और उचित समझे जाने पर किसी गतिविधि के बारे में जांच पड़ताल करने, किसी कर्मचारी से सूचना मांगने तथा बाहरी कानूनी अथवा अन्य व्यावसायिक परामर्श प्राप्त करने का अधिकार है।
- ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का अवलोकन करना और इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटीकरण करना।
- ग) लेखा परीक्षक के लिए उसके द्वारा की गई अन्य सेवाओं के लिए देय लेखा परीक्षा शुल्क और अन्य भुगतान राशियों के निर्धारण के संबंध में बोर्ड से सिफारिश करना।
- घ) वार्षिक वित्तीय विवरणों को अनुमोदन के लिए बोर्ड के पास प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ मिलकर उनकी समीक्षा करना।
- ङ) सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के कार्य निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता तथा आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य यदि कोई हो, की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना जिसमें विभाग के कर्मचारियों की संख्या और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना भी शामिल है।
- च) जहां संदेहास्पद धोखाधड़ी अथवा अनियमितता हो अथवा किसी महत्वपूर्ण मामले में आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों की विफलता का मामला हो, वहां उन मामलों में आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई किसी आंतरिक जांच पड़ताल के निष्कर्षों की समीक्षा करना और मामले की सूचना बोर्ड को देना।

- छ). विसल ब्लोवर तंत्र, यदि यह विद्यमान हो, के कार्य संचालन की समीक्षा करना।
- ज). नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा की लेखा परीक्षा संबंधी टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
- झ). लेखा परीक्षा समिति प्रबंधन की चर्चा और वित्तीय स्थिति के विश्लेषण तथा प्रचालनों के परिणामों, प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए पार्टी के लेनदेन से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण, आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा करने के लिए अधिकृत होती है।

B. संघटन

लेखा परीक्षा समिति के प्रमुख अध्यक्ष के रूप में श्री राजेंद्र प्रसाद गुरंग हैं जोकि एक स्वतंत्र निदेशक भी हैं। वित्त वर्ष के दौरान इस लेखा परीक्षा समिति में 3 सदस्य हैं, समिति के ये दोनों ही सदस्य बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक और एक गैर कार्यपालक सरकारी नामंकित हैं।

C. बैठकें

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लेखा समिति की 2(दो) बैठक निम्न लिखित दिनांक को हुई थी।

1	25 वी लेखा समिति बैठक	27/07/2021
2	26 वी लेखा समिति बैठक	05/02/2022

आयोजित बैठकों में उपस्थिति के साथ लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों की सूची:

क्र. सं.	सदस्य के नाम	समिति में पदनाम	श्रेणी	उपस्थिति
1	श्री राजेंद्र प्रसाद गुरंग	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक	2/2
2	श्री उमेश कुमार	सदस्य	सरकारी नामंकित	1/1
3	श्री राजन लोहिया	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	2/1

4. वार्षिक आम बैठक

क अंतिम तीन आम वार्षिक बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वर्ष	आ.वा. बैठक की दिनांक	दिन व समय	स्थान	विशेष प्रस्ताव यदि कोई हो, का ब्यौरा
1.	2018-19	30.09.2019	सोमवार, सुबह		शून्य

			11.00 बजे		
2	2019-20	01.07.2021	सोमवार सुबह 11.00 बजे	पंजीकृत कार्यालय अर्थात 9, राजवारी पथ, गणेशगुरी, जी.एस. रोड, गुवाहाटी	वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की फीस संशोधित करने के लिए।
3	2020-21	30.11.2021	मंगलवार सुबह 11.00 बजे		कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को 30.23 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 60.00 करोड़ रुपये करने की मंजूरी।

- i. वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए एजीएम की तिथि को कंपनी रजिस्ट्रार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण 31.12.2020 और 30.11.2021 तक बढ़ा दी गई है।
- ii. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एजीएम 31.12.2020 को बुलाई गई थी, हालाँकि कोरम के अभाव में बैठक अगले दिन उसी दिन के लिए स्थगित कर दी गई। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 103 के अनुसार एक ही समय में बैठक 01.07.2021 को आयोजित की गई।

ख असाधारण आम बैठक

समीक्षाधीन वर्ष के अवधि में कोई असाधारण आम बैठक नहीं हुआ था।

5. प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमोटर्स, निदेशकों अथवा प्रबंधन आदि के साथ ऐसा कोई महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं हुआ था जिसका बड़े पैमाने पर कंपनी के हित से जुड़ा कोई विवाद हो। कंपनी ने कानूनों के सभी उपबंधों और बी विनियामक प्राधिकारियों के दिशानिर्देशों का विशेष रूप से पालन किया है।

6. संचार साधन

कंपनी के बारे में वित्तीय परिणाम एवं अन्य जानकारी इसकी वेबसाइट www.neramac.com पर उपलब्ध है।

7. लेखा परीक्षा अर्हताएं

कंपनी की अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखा परीक्षकों की अर्हता के संबंध में प्रबंधन द्वारा विधिवत जवाब दिया गया है जो इस रिपोर्ट के संलग्नक-घ के रूप में संलग्न है।

8. कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन

नेरामेक वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों का पालन करता है। नेरामेक को निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए डीपीई द्वारा 'उत्कृष्ट' दर्जा दिया गया था।

9. प्रकटीकरण और अनुपालन

- i. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, किसी भी पार्टी के साथ ऐसा कोई महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं हुआ जिसका बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ विवाद है।
- ii. आधार वर्ष के दौरान ऐसा कोई व्यय नहीं हुआ जो व्यक्तिगत स्वरूप का हो और वर्ष के दौरान निदेशक मंडल तथा शीर्ष प्रबंधन के लिए कोई व्यय नहीं किया गया।
- iii. वर्ष में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक कार्यालयीन व्यय 13.36 % प्रतिशत है।
- iv. कंपनी ने अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध धोखाधड़ी के बारे में सूचना देने के लिए "विसेल ब्लोवर नीति" तैयार की है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति के पास पहुंचने से इनकार नहीं किया गया है।

10. विसेल ब्लोवर नीति

कंपनी ने अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध धोखाधड़ी, अथवा आचरण या नीति शास्त्र पॉलिसी के संबंध में कंपनी के सामान्य दिशा निर्देशों के उल्लंघन के बारे में प्रबंधन को सूचना देने के लिए कर्मचारियों के लिए "विसेल ब्लोवर नीति" तैयार की है। यह विसेल ब्लोवर नीति कंपनी की वेबसाइट www.neramac.com पर उपलब्ध है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

Sd/-

कमोडर राजीव अशोक(अवकास प्राप्त)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09598427

दिनांक: 16/01/2024
स्थान: गुवाहाटी/ गंगटो

Sd/-

रोजेंद्र प्रसाद गुरुंग
निदेशक
डीआईएन: 06711139

प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग संरचना तथा विकास:

कृषि इस क्षेत्र का प्रमुख व्यवसाय होने के कारण नेरामेक ने उक्त व्यवसायको समर्थन देने और शिखर तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विशेष रूप से इस क्षेत्र का बागवानी व्यवसाय का बड़ा हिस्सा है और विकास की अपार संभावनाएँ हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र (एनईआर) की कृषि जलवायु और प्राकृतिक व्यवस्था अच्छी गुणवत्ता वाली है जिसके लिए कृषि-बागवानी जैसे अनन्नास, कटहल, संतरा, नींबू, मिर्च, अदरक और कुछ विदेशी फल जैसे कीवी, पैशन फ्रूट और ड्रैगन फ्रूट आदि के उत्पादन के लिए अनुकूल हैं।

अनन्नास उत्पादन में उत्तर पूर्व क्षेत्र 72.3% और भारत के अनन्नास उत्पादन का हिस्सा 54.5% है। उत्तर पूर्व से संतरे उत्पादन में भारत में हिस्सेदारी 10% है। पूर्वोत्तर के दो राज्य असम और त्रिपुरा से ही कटहल उत्पादन में से लगभग 23.6% की योगदान है। त्रिपुरा 300.00 मेट्रीक टन उत्पादन के साथ देश में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत नींबू का भी सबसे बड़ा उत्पादक है, पूर्वोत्तर लगभग 226 हजार टन का उत्पादन करता है जो भारत के कुल नींबू उत्पादन का लगभग 9% है। अदरक एक प्रमुख कृषि फसल है जो पूर्वोत्तर सभी आठ राज्यों में उगाई जाती है। इस क्षेत्र में भारत के अदरक उत्पादन का हिस्सा 24.1% है। उत्तर पूर्व अपने नागा राजा मिर्च और चैरी काली मिर्च के लिए प्रशिद्ध हैं। बूट झोलोकिया की खेती मुख्य रूप से असम और मणिपुर में की जाती है। अरुणाचल प्रदेश भारत में कीवी का सबसे अधिक उत्पादक है जो लगभग 6000 मेट्रीक टन उत्पादन करता है, इसके बाद नागालैंड जो 2400 मेट्रीक टन का उत्पादन कर रहा है।

इतनी विशाल संभवनाओं के बावजूद कई सारे चुनौतियाँ हैं जोकि उद्योग विकास में बाधा डालती हैं जैसे कृषि भूमि की दूरस्थता, पहाड़ी इलाके, उचित बुनियादी ढांचे की कमी, कटाई के बाद प्रबंधन सुविधाओं की कमी, क्लस्टर आधारित किसान, फलों और सब्जियों के बाजारों के लिए अविकसित सुविधाएँ।

भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों/योजनाओं के जरिए उपयोक्त कई समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और नेरामेक ने ऐसे कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत पूर्वोत्तर के कृषि-बागवानी क्षेत्र को ऊँचाई तक ले जाने के लिए आवश्यक भूमिका निभा रहा है।

नेरामेक इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित व्यावसायिक कार्य क्षेत्रों के माध्यम से क्षेत्र के कृषि-बागवानी क्षेत्र में सहायता करता है:

क. कृषि-बागवानी उत्पादों का थोक विपणन: थोक में ताजा कृषि-बागवानी उत्पाद एफपी किसानों से प्राप्त किए जाते हैं और उनका विपणन किया जाता है।

ख. कृषि-बागवानी उत्पादों की खुदरा बिक्री: प्रसंस्कृत और मूल्यवर्धित कृषि-बागवानी उत्पादों का खुदरा खंड के तहत विपणन किया जाता है।

ग. कृषि-व्यवसाय: राज्य सरकारों को कृषि-लागत और रोपण उपकरणों की आपूर्ति करता है।

घ. सरकारी परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के 10000 एफपीओ के गठन और प्रचार के तहत कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करना, राज्जिक बांस विकास, असम की बांस वृक्षारोपण परियोजना प्रमुख हैं।

ड. कौशल विकास और आजीविका प्रशिक्षण: कौशल विकास कार्यक्रमों और आजीविका प्रशिक्षण के माध्यम से कृषि-बागवानी और संबंधित क्षेत्र में क्षमता निर्माण और आजीविका सृजन।

च. इवेंट मैनेजमेंट: क्षेत्र के कृषि-बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिनियों/ कार्यक्रमों/क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन और भाग लेना।

2. शक्तियां और खामियाँ

निगम की क्षेत्र के सभी आठ राज्यों में पहुंच है और यह सभी में कार्य कर रहा है तथा स्थानीय रूप से गाए जाने वाले उत्पादों और साथ ही राज्य के विभिन्न भागों में राज्य सरकारों, एफ पी ओ/एफ पी सी, उद्यमियों और एस एच जी के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। निगम को कृषि उद्यान क्षेत्र में कार्रवाई करने और केंद्र सरकार की स्कीमों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने का 37 से भी अधिक वर्ष का अनुभव है।

बड़े पैमाने की कार्रवाइयां करने के लिए पर्याप्त निधि की कमी है और निगम वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। इसके अतिरिक्त, निगम के पास अपनी फसल कटाई के बाद की कोई प्रबंधन सुविधा नहीं है, और राज्य सरकारों के साथ उचित समन्वय की कमी है। निगम का कोई भी प्रसंस्करण संयंत्र प्रचालन में नहीं है।

3. अवसर और खतरे:

निगम के पास क्षेत्र में खोज करने के लिए इस सेक्टर में अनेक संभावनाएं हैं, क्योंकि यह क्षेत्र एक जैव बास्केट के रूप में उभर रहा है। इसलिए, निगम के पास जैविक खाद्य सेक्टर में बाजार अग्रणी बनने की सभी संभावनाएं हैं। जबकि, सरकार की "पूरब में काम करो नीति" के अंतर्गत, नए जोखिमों की खोज की जा सकती है और निर्यात संवर्धन को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

भारी जोखिम, क्षेत्र के कृषि उद्यान उत्पादन के विपणन में बिचौलियों की मौजूदगी और कॉर्पोरेट्स समूहों एवं स्थानीय उद्यमियों की भागीदारी, भौगोलिक दूरियों और क्षेत्र में अवसंरचना की कमी के कारण आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने की उच्च लागत, कृषि आवश्यक वस्तुओं की कीमत में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव तथा पैदावार के रखरखाव और संरक्षण के लिए उचित अवसंरचना की कमी के कारण अत्यधिक तेजी से नष्ट होने वाले स्वरूप की वस्तुओं के रूप में खरीदे गए उत्पादों में शीघ्र नुकसान होने की संभावना है।

4. दृष्टिकोण:

जलवायु परिवर्तन के कारक और निरंतर जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य सुरक्षा वैश्विक चुनौती के रूप में उभरी है, जबकि कोविड-19 महामारी ने भी पिछले दो वर्षों के दौरान वैश्विक खाद्य श्रृंखला को अस्त-व्यस्त कर दिया है। बाजार में मांग-आपूर्ति में भारी अंतर पैदा हो गया है। इसके अलावा, एक नया बाजार भी विकसित हुआ है, जिसमें प्राकृतिक और जैविक रूप से उगाए गए उत्पादों की भारी मांग है। मौजूदा स्थिति में, नेरामेक को घरेलू बाजार में क्षेत्र के प्राकृतिक और जैविक रूप से उगाए गए उत्पादन/उत्पादों को लोकप्रिय बनाने का लाभ है। क्षेत्र के कृषि-बागवानी उत्पादन/उत्पादों को लंबे समय से राष्ट्रीय बाजारों में पर्याप्त रूप से नहीं रखा गया है। हालांकि, उपभोक्ताओं की पसंद और स्वाद और मांग-आपूर्ति के अंतर के बाजार की गतिशीलता में बदलाव के साथ, नेरामेक को घरेलू बाजारों में क्षेत्र के उत्पादन/उत्पादों को रखकर इस अंतर को बनाने के लिए काम करना चाहिए। दूसरी ओर, नेरामेक के लिए विदेशी बाजारों, विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में, का पता लगाने के लिए अनुकूल अवसर भी उपलब्ध हैं। जहां तक कृषि-बागवानी क्षेत्र और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का संबंध है, सरकार की नीतियां भी उत्साहजनक हैं। नेरामेक को उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कृषि-बागवानी क्षेत्र के विकास और किसानों की आय में वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र / राज्य सरकारों की विकासात्मक नीतियों के साथ व्यापार विकास और विस्तार के लिए अपनी भविष्य की रणनीतियों को बढ़ोत्तरी करना चाहिए।

5. प्रदर्शन :

6. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निगम ने 26.14 जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों में सर्वाधिक है और पिछले वर्ष के राजस्व से 79% अधिक है। जबकि, कंपनी द्वारा किया गया घाटा 4.59 करोड़ (असाधारण मदों को छोड़कर) था, जो पिछले वित्तीय वर्षों की तुलना में 30% कम है।

उत्पाद वार प्रदर्शन

क्र. सं.	उत्पाद	2021-22		2020-21	
		मात्रा	मूल्य(रु.)	मात्रा	मूल्य (रु.)
1.	बड़ी इलाईची	9049.19 केजी	35,59,914.00	5400.00 केजी	25,40,292.00
2.	ताजा अदरक	4275.00केजी	51,300.00	1440.00 केजी	66,355.00
3.	काली मिर्च	39180.9 केजी	105,12,265.00	-	-
4	काला चावल	2551.60 केजी	366943.00	1300.00 केजी	1,51,000.00
5.	काली मिर्च(जड़ वाली कटिंग)	6550 नं.	74997.00	1007645 नं.	1,15,37,535.00
6	अदरक प्रकंद	38094 नं.	2,999,902.00	-	-
7	कृषि ढाँचा जाल	640345 स्को.मि.	19,912,763.00	-	-
8	सूखी हल्दी के गुच्छे	1000 नं.	1,33,300.00	-	-
9	टिशू कल्चर केले पौधे	6250 नं.	1,68,750.00	256246 नं.	69,18,642.00
10	अंकुरित हलदी	63491 केजी	2,999,950.00	-	-
11	वार्मी कमपोस्ट	13287 ब्यूटी	1100,37,339.00	81000.00 ब्यूटी	5,90,14,170.00
12	टिशू कल्चर केले का पौधा	256246.00 नं.	69,18,642.00	443755 नं0	11,981,385.00
13	ताजा अनन्नास	13846 नं.	2,51,353.00	42573.00नं.	7,66,862.00
14	ताजा तरबूज	21600 केजी	1,94,400.00	10000.00 केजी	85,490.00

15	मक्का के दाने	50000 केजी	9,39,749.00	-	-
16	प्रसंस्कृतखाद्य सामग्री और अन्यान्य विक्रियाँ	-	36,83,941.00	-	5,802,661.00
17	तेल	796 केजी	83,611.00	-	-
18	केला चूसने वाला (मलभोग)	672090 नं.	11,996,807.00	-	-
19	ड्रैगन फ्रूट कटिंग	248445 नं.	11,999,893.00	-	-
20	टिशू कल्चर आर्किड सीसीडलिंग	7112 नं.	5,600,700	-	-
21	काली सरसों के दाने	1550 केजी	89,100.00	-	-
22	दालचीनी	1000 केजी	39,458.00	-	-
23	काजू	50 केजी	20,476.00	-	-
24	ताजा एवाकाडो	-	-	665 केजी	94,295.00
25	ताजा किवी	-	-	3964 केजी	3,07,931.00
26	पेशन फ्रूट	-	-	482 केजी	15,707.00
27	हलदी पाउदर	-	-	958 केजी	2,10,8814.00
28	गिफ्ट हैम्पर (मिश्रित खुदरा उत्पादों की टोकरी)	-	-	500 नं.	4,46,430.00
29	अन्य कृषि-इनपुट और रोपण उपकरण	-	1,73,733,277.00	-	58,842,455.00
30	प्रसंस्कृत खाद्य सांग्री	-	3,665,843.00	-	36,83,942.00
	कूल(रु.)		2,60,432,116.00		145,581,920.00

7. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उनकी पर्याप्तता:

कंपनी ने डोनर मंत्रालय द्वारा निदेशक मंडल का पुनर्गठन किए जाने के बाद निदेशक मंडल की उप समिति के रूप में लेखा परीक्षा समिति का गठन दिनांक 13/12/2011 को किया था। कंपनी ने पर्याप्त नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सशक्त करने हेतु अपने सर्वोत्तम प्रयास करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की है।

निगम में व्यापारिक प्रक्रिया सामग्री तथा नियत परिसंपत्तियों की खरीद करने के लिए और साग्रियों तथा सेवाओं की बिक्री करने के लिए, कंपनी के आकार और इसके कारोबार के स्वरूप के अनुरूप एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है। वित्तीय शक्तियाँ प्रधान कार्यालय में केन्द्रित होती हैं। लेखा परीक्षा समिति और आंतरिक लेखा परीक्षक पर्याप्त नियंत्रण बनाए रखने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सशक्त करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करते हैं।

8. भारत सरकार द्वारा पुनरुद्धार पैकेज की स्वीकृति

- क. निगम के लिए पुनरुद्धार पैकेज की प्रक्रिया मार्च 2015 में डीपीई के टास्क फोर्स की सिफारिश के आधार पर (एम ओ यू की बातचीत बैठक के दौरान) शुरू की गई थी।
- ख. 2015-2017 में नेडफी को संगठन के लिए एक पुनरुद्धार योजना तैयार करने के लिए डोनर मंत्रालय से भार सौंपा गया था। मंत्रालय में रिपोर्ट के भाग 1 और भाग 2 की जांच की गई थी। नेडफी की रिपोर्ट में ताजा फंड डालकर और बकाया को रूपांतरण द्वारा नेरामेक के पुनरुद्धार की सिफारिश की गई थी। इकिटी में ऋण और नियमित कर्मचारियों के 50% के लिए वी आर एस और दंडात्मक ब्याज को बढ़े खाता डालना था।
- ग. नेडफी की रिपोर्ट को 2018 में आई आई एम, शिलांग द्वारा सत्यापित किया गया था। सत्यापन रिपोर्ट ने मौजूदा मूल्य श्रृंखला की समीक्षा की सिफारिश की और अनुबंध खेती की सुविधा, ई-कमर्स, जी आई प्रमोशन आदि जैसी नई पहलों को अपनाने की सिफारिश की। वी आर एस और निधि प्रबंधन, कार्यशील पूंजी वेतन और प्रशासनिक व्यय। पाँच साल के लिए एक ब्याजमुक्त ऋण का भुगतान करने का सिफारिश की। प्रसंस्करण संयंत्र में कोई और निवेश नहीं किया जाएगा। उन्हे या तो लाभ के बंटवारे के समझौतों के साथ चलाने के लिए अन्य पार्टियों को सौंप दिया जाना चाहिए, या उन्हें विनिमेष कर देना चाहिए।
- घ. उसके बाद, सचिव दोनर, सचिव, डीपीई और सचिव डीपीएम से मिलकर सचिवों की समिति द्वारा प्रस्ताव की समीक्षा की गई।
- ङ. नेरामेक के पुनरुद्धार के लिए कार्य योजना जनवरी, 2021 में नेडफी द्वारा तैयार की गई थी। रुपये के फंड आधारित समर्थन के लिए कार्य योजना की 17 करोड़ रुपये की और गैर-निधि आधारित सहायता 60.45 करोड़ की सिफारिश की गई थी।
- च. आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 16 अगस्त, 2021 को नेरामेक के पुनरुद्धार प्रस्ताव को मंजूरी दी। व्यापार संचालन, ईआरपी और ई-कॉमर्स पोर्टल के कार्यान्वयन और प्रतिबद्ध देनदारियों का भुगतान करने के लिए 17 करोड़ रुपये का फंड आधारित समर्थन। गैर-निधि आधारित समर्थन बकाया सरकार के रूपांतरण के रूप में 60.45 करोड़। इकिटी शेयर पूंजी में 28.23 करोड़ रुपये का कार्यशील पूंजी ऋण और 32.22 करोड़ रुपये के ब्याज और दंडात्मक ब्याज को बढ़े खाते में डालना। गैर-निधि

आधारित समर्थन कंपनी के वित्तीय पुनर्गठन और आने वाले वर्षों में सकारात्मक निवल मूल्य प्राप्त करने में मदद करेगा।

9. प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थिति

- क. नालकाटा, त्रिपुरा में फलों का रस प्रसंस्करण संयंत्र - वर्ष 1988 में चालू किया गया था। संयंत्र संचालन की एकल उत्पाद लाइन होने के कारण नुकसान उठा रहा था। उसी कारण 2012 से संयंत्र असंचालित है। हालाँकि हाल ही में संयंत्र को संचालन और प्रबंधन (O&M) के लिए खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयनित निजी भागीदार को सौंप दिया गया है।
- ख. अदरक प्रसंस्करण संयंत्र, बर्निहाट, मेघालय- प्रति दिन 5 मि.टन अदरक प्रसंस्करण की क्षमता वाली इकाई ने 2002-03 से पूर्वोत्तर के अदरक उत्पादकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। अप्रचलित प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए धन की कमी के कारण संयंत्र 2012 से गैर-परिचालन पर है। हालाँकि हाल ही में परिचालन और प्रबंधन (O&M) के लिए ऑप्शन टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए प्रूवेट पार्टनर को प्लांट सौंप दिया गया है।
- ग. काजू प्रसंस्करण इकाई, अगरतला, त्रिपुरा- त्रिपुरा के काजू उत्पादकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस इकाई को 1994 में चालू किया गया था। संयंत्र त्रिपुरा के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सख्ती के तहत रोस्टिंग सेक्शन में धुएँ के कारण प्रदूषण नियंत्रण द्वारा बंद कर दिया गया था, वर्तमान में एनईसी से वित्तीय सहायता से प्रसंस्करण इकाई को पुनर्जीवित किया जा रहा है। नए संयंत्र में प्रति दिन 500 किलोग्राम कच्चे काजू की प्रसंस्करण क्षमता होगी। संयंत्र के जुलाई 2023 की शुरुआत में चालू होने की उम्मीद है।
- घ. काजू प्रसंस्करण संयंत्र, मनकाचर, असम - काजू प्रसंस्करण संयंत्र का निर्माण 2009 में शुरू किया गया था जिसमें प्रतिदिन 4 मि.टन कच्चे काजू को संसाधित करने की क्षमता थी। निर्माण का 95% 2013-14 तक पूरा हो गया था, लेकिन चालू नहीं किया जा सका। निधि के सवितरण में देरी के परिणामस्वरूप परियोजना लागत और समय से अधिक वृद्धि हुई। सरकार की योजनाओं के तहत संयंत्र को चालू करने के विकल्पों की जांच की जा रही है।
- ङ. सीक्स माइल, गुवाहाटी में मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण- एनईसी वित्तपोषित मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के पहले चरण का निर्माण जनवरी, 2023 में पूरा हो गया है। इस भवन को हरित भवन परियोजना और क्षेत्र में अत्याधुनिक ऐतिहासिक इमारतों के रूप में डिजाइन किया गया है। पहले चरण के निर्माण में बी+जी=4 (वाणिज्यिक भवन) और बी+जी+1 (गोस्ट हाउस) शामिल हैं, जो सितंबर, 2020 में घोषित किए गए थे। मैसर्स हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार था।

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

Sd/-

कमोडर राजीव अशोक(अवकास प्राप्त)

प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 09598427

दिनांक: 16/01/2024

स्थान: गुवाहाटी/ गंगटोक

Sd/-

रोजेंद्र प्रसाद गुरुंग

निदेशक

डीआईएन: 06711139

अनुलग्नक - ग

वैधानिक लेखा परीक्षकों की प्रतिकूल राय पर प्रबंधन का जवाब (2021-22)

S.I. NO.	लेखापरीक्षक टिप्पणी	प्रबंधन उत्तर			
खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित टिप्पणियाँ/ टिप्पणियाँ					
1.	पुराने एवं अप्रचलित स्टॉक				
क्र. सं.	सामग्री	स्थान	मात्रा	मूल्य	टिप्पणियाँ
1	बड़ी इलायसी	क्षे.का.नागालैंड	100 केजी	92290	2016-17 में खरीदा गया
2	मिर्च का आचार	एफजेसापी, नालकाटा	54 नं.	6210.00	10 साल उपर
3	मिर्च का आचार(200 ग्रा. बोटल)	एफजेसापी, नालकाटा	244 नं.	9760.00	
4	मिर्च आचार(400 ग्रा. बोटल)	एफजेसापी, नालकाटा	103 नं.	7004.00	
5	कटहल का आचार	एफजेसापी, नालकाटा	313 नं.	34430.00	
6	कटहल का आचार(200 ग्रा.बोटल)	एफजेसापी, नालकाटा	55 नं.	2145.00	
7	कटहल का आचार(400 ग्रा. बोटल)	एफजेसापी, नालकाटा	109 नं.	7303.00	
8	आम का आचार	एफजेसापी, नालकाटा	23 नं.	2320.00	
9	आम का आचार(200 ग्रा. बोटल)	एफजेसापी, नालकाटा	219 नं.	8103.00	
			कूल	169565.00	

एस-2' के अनुसार भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, क्षतिग्रस्त स्टॉक, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए, इन्वेंटरी का मूल्य लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, होना चाहिए। अभिलेखों की जांच से पता चला कि मूल्यांकन से पहले उपरोक्त वस्तुओं की भौतिक स्थिति संबंधित इकाइयों से प्राप्त नहीं की गई थी और इसका मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिकांश वस्तुएँ प्रकृति में खराब होने वाली होती हैं जिनका उपयोग समय बीतने के बाद अपने वास्तविक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।

स प्रकार, लेखांकन की विवेकपूर्ण प्रथा के अनुसार, वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने के लिए इन आविष्कारों के विरुद्ध प्रावधान किया जाना चाहिए था। उपरोक्त प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप माल-सूची को अधिक बताया गया और वर्ष के लिए हानि को 1.69 लाख रुपये से कम दिखाया गया।

प्रबंधन का उत्तर:

बड़े खाते में डालने के लिए मामले को निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

2

लंबित देनदार

क्र.सं.	इकाई/पार्टी का नाम	रकम रु.	टिप्पणियाँ
1	निदेशक बागवानी, खानाजो, क्षेत्रीय कार्यालय, असम	1,94,11,040	5 वर्ष से अधिक पुराना
2	में. प्राइम एडिवील (प्रा.) लि., नई दिल्ली, एफजेसीपी, नालकाटा	4,14,754	5 वर्ष से अधिक पुराना
3	काजु संसाधन सयंत्र, अगरतला	4,10,166	5 वर्ष से अधिक समय से 36 पार्टियों से प्राप्य असमायोजित पड़ा हुआ है
4	क्षेत्रीय कार्यालय, अगरतला	77,14,746	5 वर्ष से अधिक समय से 19 पार्टियों से प्राप्य असमायोजित पड़ा हुआ है

5	क्षेत्रीय कार्यालय, चिक्किम	8,49,459	5 वर्ष से अधिक समय से 26 पार्टियों से प्राप्य असमायोजित पड़ा हुआ है
6	प्रधान कार्यालय, असम	27,75,773	3 वर्ष से अधिक समय से डोनर मंत्रालय से प्राप्य असमायोजित पड़ा हुआ है
	कुल	3,15,69,938	

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि 315.69 लाख रुपये की राशि विभिन्न पार्टियों से देय थी जो 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बकाया थी। उपरोक्त का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्तियों को 315.69 लाख रुपये से अधिक बताया गया, साथ ही प्रावधान को कम करके दिखाया गया और साथ ही समान राशि वर्ष के लिए हानि हुई।

प्रबंधन का उत्तर:

मामले को बट्टे खाते में डालने के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

3.

बैलेंस शीट नोट 10

- नकद और नकद समतुल्य के

1. नकद और 'नकद समतुल्य' रुपये से अधिक बताया गया था। 18,81,70,273.00 सावधि जमा को शामिल करने के कारण 3 महीने की परिपक्वता से ऊपर की सावधि जमा को शामिल करने के कारण इसके परिणामस्वरूप अन्य बैंक शेषों को भी 49.07 लाख कम दिखाया गया है

नोटेंड

4

लंबित लेनदार

क्र. सं.	स्थान	रकम
1	प्रधान कार्यालय	4088482.05
2	क्षेत्रीय कार्यालय, असम	1,88,08,155.00
3	क्षेत्रीय कार्यालय, अगरतला	1,14,15,097.00
4	कोलकाटा इकाई	4,46,47,377.64
5	क्षेत्रीय कार्यालय, चिक्किम	9,07,559.45
	कुल	80195245.66

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि 801.95 लाख रुपये की राशि विभिन्न पार्टियों से देय थी जो 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बकाया थी। साथ ही प्रावधान को कम करके दिखाया गया और साथ ही समान राशि वर्ष के लिए हानि हुई।

प्रबंधन का उत्तर:

मामले को बड़े खाते में डालने के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

5

माल और सेवा कर (जीएसटी)

जीएसटी रिटर्न देर से जमा करने पर भुगतान किया गया विलंब शुल्क निम्नलिखित है जिसे लाभ और हानि खाते में डेबिट नहीं किया गया और इस प्रकार वर्ष के लिए नुकसान को 3409.00 कम करके दिखाया गया है।

क्र.सं	राज्य	जीएसटी नं.	विलंब शुल्क राशि	विलंब कर भुगतान की ब्याज
1	गुवाहाटी	18AABCN2315B1Z3	2354	459
2	त्रिपुरा	16AABCN2315B2Z6	120	
3	दिल्ली	07AABCN2315B1Z6	260	
4	मणीपुर	14AABCN2315B1ZB	60	
5	चिक्किम	11AABCN2315B1ZH	160	

प्रबंधन का उत्तर:

नोटेड

6

अचल संपत्तियां
कंपनी मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 11.10.2018 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III को "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" शब्दों के साथ "अचल संपत्तियों" को बदलने के लिए संशोधित किया गया है। 31.03.2021 को खातों की बैलेंस शीट और नोट 22.1 में शब्दों "संपत्ति, संयंत्र और समीकरण" का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

अनुपालन के लिए नोट किया गया

7	<p>अनुदान संबंधी क) वित्तीय वर्ष 2017-18 में जागरूकता कार्यक्रम के लिए एनईएस द्वारा 1600000.00 रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया था लेकिन कुल व्यय राशि रुपये है 1775547.00 शेष राशि रु. 175547(1775547-1600000) अभी भी (डू. शेष) पड़ा हुआ है जिसे समायोजित करने की आवश्यकता है।</p> <p>ख 38,52,000.00 रुपये की मार्केटिंग समर्थन/बिक्री सब्सिडी अभी भी असमायोजित शेष में पड़ी है।</p>	अनुपालन के लिए नोट किया गया
8	<p>व्यय का प्रावधान न होना</p> <p>क ऑडिटर को देय टैक्स ऑडिट फीस के लिए रु. 19,000.00 का प्रावधान नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप हानि और वर्तमान देनदारियों को उसी राशि से कम बताया गया है।</p> <p>ख अप्पू राज गोगोई को कानूनी शुल्क के रूप में रु. 32650/- का भुगतान किया गया। जहां टीडीएस नहीं काटा गया है</p> <p>ग 395000.00 रुपये की राशि. अमीकांगिया किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड को का भुगतान किया गया। 23.03.2022 को 27.12.2021 से 27.06.2022 तक प्रबंधन लागत के लिए रुपये 197500.00 की ओवरबुकिंग हुई।</p>	अनुपालन के लिए नोट किया गया
सीएआरओ में की गई टिप्पणियों का उत्तर		
9	<p>प्रबंधन द्वारा अपनाई गई इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रक्रियाएँ कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त नहीं हैं।</p>	अनुपालन के लिए नोट किया गया

10	<p>प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री का मैनुअल रिकॉर्ड बनाए रखा जाता है। भौतिक स्टॉक और बही रिकॉर्ड के बीच सत्यापन में देखी गई विसंगतियों को खाते की किताबों में ठीक से नहीं निपटाया गया था।</p>	<p>अनुपालन के लिए नोट किया गया</p>										
11	<p>हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांच की गई कंपनी के आधार पर, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया राशि की सीमा नीचे दी गई है।</p> <table border="1" data-bbox="282 912 789 1371"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>टीडीएस</td> <td>61,314.00</td> </tr> <tr> <td>पेशेवर</td> <td>91541.56</td> </tr> <tr> <td>असम वेट</td> <td>2,24,807.00</td> </tr> <tr> <td>आयकर</td> <td>विवादित राशि जिसके खिलाफ विरोध राशि का भुगतान किया जाता है</td> </tr> </tbody> </table>	विवरण	रकम	टीडीएस	61,314.00	पेशेवर	91541.56	असम वेट	2,24,807.00	आयकर	विवादित राशि जिसके खिलाफ विरोध राशि का भुगतान किया जाता है	<p>अगले वित्तीय वर्ष में टीडीएस राशि का भुगतान।</p> <p>अगले वित्तीय वर्ष में 17,302/- रुपये का व्यावसायिक कर का भुगतान किया गया है और शेष राशि के विवरण का पता लगाया जा रहा है और तदनुसार राशि जमा की जाएगी।</p> <p>वैट बकाया वित्तीय वर्ष 2014-15 से देय है, जो ZO अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। हालाँकि लेन-देन का विवरण उपलब्ध नहीं है इसलिए भुगतान अभी भी लंबित है। विभाग से कोई डिमांड नहीं मिली है।</p>
विवरण	रकम											
टीडीएस	61,314.00											
पेशेवर	91541.56											
असम वेट	2,24,807.00											
आयकर	विवादित राशि जिसके खिलाफ विरोध राशि का भुगतान किया जाता है											
12	<p>हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने NEDFI/ModONER से कार्यशील पूंजी ऋण लिया है। लंबित मूल राशि रु. 28.23 करोड़ को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया है और ब्याज/दंड ब्याज अभी भी ModONER से अनुमोदन के अभाव में असमायो जित पड़ा हुआ है। कंपनी ने डिबेंचर जारी नहीं किया है।</p> <table border="1" data-bbox="353 1830 1303 2020"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>अवधि (कब से)</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>मूल</td> <td>01/10/2021</td> <td>2,00,00,000.00</td> </tr> <tr> <td>ब्याज</td> <td>01/04/2016</td> <td>27,25,08,521.00</td> </tr> </tbody> </table>	विवरण	अवधि (कब से)	रकम	मूल	01/10/2021	2,00,00,000.00	ब्याज	01/04/2016	27,25,08,521.00		
विवरण	अवधि (कब से)	रकम										
मूल	01/10/2021	2,00,00,000.00										
ब्याज	01/04/2016	27,25,08,521.00										

	कार्यशील पूंजी पर दंडात्मक ब्याज	01/04/2016	6,73,98,276.00
	<p>प्रबंधन का उत्तर:</p> <p>वर्ष 2021 में स्वीकृत पुनरुद्धार पैकेज के तहत दी गई स्वीकृति के अनुसार, भारत सरकार के 28.23 करोड़ रुपये के बकाया ऋण को वित्त वर्ष 2021-22 में इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तित कर दिया गया है और ब्याज और वास्तविक ब्याज राशि को बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।</p>		
13	<p>पुनरुद्धार अनुदान के रूप में प्राप्त 11.33 करोड़ रुपये की राशि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से नहीं भेजा गया है, जिसके परिणामस्वरूप आयकर के लिए प्रावधान नहीं बनाया गया और लाभ को 3.40 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया। प्रबंधन पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय को देय ब्याज को बट्टे खाते में डालने पर करयोग्यता पर मेसर्स सौरभ अग्रवाल एंड एसोसिएट्स की तीसरे पक्ष की विशेषज्ञ राय का पालन कर रहा है।</p>	<p>वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त अनुदान का उपयोग नहीं किया गया, इसलिए लाभ और हानि खाते में कोई अनुदान राशि हस्तांतरित नहीं की गई।</p>	

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(a) के तहत जारी किए गए टिप्पणी प्रमाणपत्र में सीएजी के पैरा पर प्रबंधन का जवाब।

पैरा नं	सि.ए.जि.पेरा	प्रबन्धन का जवाब
A. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ लाभ और हानि का विवरण		
इसमें एफडी के रूप में रखे गए सहायता अनुदान पर ब्याज के रूप में अर्जित ~19.55 लाख शामिल हैं, लेकिन इसका उल्लंघन किया गया है अनुदान की शर्तों को 'चालू' के स्थान पर अन्य आय के रूप में शामिल किया गया है। सरकार को आवर्ती/गैर-आवर्ती अनुदान पर अर्जित किसी भी ब्याज के रूप में देनदारियां वापस कर दी जानी चाहिए।	उक्त गशि रु. विषय वर्ष 2022-23 के लिए खातों में 19.55 रुपये वर्तमान देनदारियों (अनुदान प्रमुख) में स्थानांतरित किए गए और 30.01.2023 को स्वीकृत संगठन (उत्तर पूर्वी परिषद) के पास जमा किए गए।	
इस प्रकार, अन्य आय वर्तमान देनदारियाँ दोनों 19.55 लाख को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए हानि कम बताई गई है।		
B. अन्य टिप्पणियाँ		
A. कंपनी ने सी & एजी की टिप्पणियों के बिना 12 जुलाई 2023 को आयोजित एजीएम जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अनुसार नहीं है, पिछले वर्ष के खातों को अपनाया	(ए) 30.11.2021 को आयोजित 39वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) स्थगित कर दी गई थी क्योंकि सी एंड एजी की वैधानिक लेखा परीक्षा और अनुपूरक लेखा परीक्षा लंबित थी। (बी) सदस्यों द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ प्राप्त होने पर स्थगित एजीएम बुलाने का निर्णय लिया गया। (सी) सी एंड एजी की टिप्पणियाँ 04.07.2023 को प्राप्त हुईं और तदनुसार 39वीं स्थगित एजीएम 12.07.2023 को संक्षिप्त सूचना पर बुलाई गई थी। (डी) सी एंड एजी के टिप्पणी प्रमाणपत्र को निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध-डी के रूप में वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 का हिस्सा बनाया गया था। उक्त वार्षिक रिपोर्ट की प्रति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137(1) के अनुसार 39वीं स्थगित वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुलाने के नोटिस के साथ कंपनी के सदस्यों को वितरित की गई थी। (ई) एजीएम में, सदस्यों ने नोटिस के साथ प्रसारित वार्षिक रिपोर्ट की प्रति की प्राप्ति की पुष्टि की और वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 (निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक-डी सहित) के अवलोकन के बाद ही, सदस्यों ने मंज	

उत्तर पूर्वी क्षेत्र कृषि विपणन निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की होती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक इस अधिनियम की धारा 143 (6)(वी) के तहत वित्तीय विवरणों से संबंधित राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार होते हैं जो अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत विहित लेखा परीक्षा करने से संबंधित मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित होती है। ऐसा उनके द्वारा किया गया ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से दिनांकित 31.01.2023, संशोधित ऑडिटर रिपोर्ट दिनांक 09.03.2023 एवं 06.12.2023 बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, उत्तर पूर्वी क्षेत्र कृषि विपणन निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा इस अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य संचालन संबंधी कागजातों की जांच किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ करने तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों की नमूना जांच करने तक ही सीमित है। इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट को सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा संशोधित किया गया है ताकि पूरक लेखा परीक्षा के दौरान उठाई गई मेरी कुछ लेखा परीक्षा टिप्पणियों को प्रभावी किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत महत्वपूर्ण मामलों पर बल देना चाहूंगा जो मेरे ध्यानाकर्षण में आए हैं और जो मेरी दृष्टि में वित्तीय विवरणों और संबद्ध लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हैं।

A. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ
लाभ और हानि का विवरण

A.1 अन्य आय

ब्याज- ₹. 33.79 लाख

इसमें एफडी के रूप में रखे गए सहायता अनुदान पर ब्याज के रूप में अर्जित ~19.55 लाख शामिल हैं, लेकिन इसका उल्लंघन किया गया है अनुदान की शर्तों को 'चालू' के स्थान पर अन्य आय के रूप में शामिल किया गया है। सरकार को आवर्ती/गैर-आवर्ती अनुदान पर अर्जित किसी भी ब्याज के रूप में देनदारियां वापस कर दी जानी चाहिए।

इस प्रकार, अन्य आय वर्तमान देनदारियाँ दोनों 19.55 लाख को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 'वर्ष के लिए हानि' कम बताई गई है।

B. अन्य टिप्पणियाँ

B. कंपनी ने सी & एजी की टिप्पणियों के बिना 12 जुलाई 2023 को आयोजित एजीएम जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अनुसार नहीं है, पिछले वर्ष के खातों को अपनाया

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 12.01.2024

के लिए और की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

Sd/-
(राजीव कुमार पांडे)
लेखापरीक्षा महानिदेशक
(केंद्रीय व्यय)

कॉर्पोरेट प्रशासन के अनुपालन का प्रमाण पत्र

सदस्य

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड

9, राजबाड़ी पथ, गणेशगुड़ी, जी.एस. रोड, गुवाहाटी - 781005

हमने नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CIN: U01409AS1982GOI001932) के रिकॉर्ड और अनुपालन की जांच 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ('कंपनी' के रूप में संदर्भित) वाले "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के दिशानिर्देशों" के संदर्भ में की है। भारत सरकार के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 14.05.2010 के मेमो नंबर 18(8)2005-जीएम द्वारा परिचालित किया गया (उसके बाद उसे 'दशानिर्देश' कहा गया है)।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच उपर्युक्त दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो ऑडिट है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित खंडों को छोड़कर, उपर्युक्त दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है:

बोर्ड की संरचना से संबंधित खंड 3.1.1: हालांकि बोर्ड के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 5 निदेशकों से अधिक है, तथापि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 23 के अनुसार बोर्ड का गठन नहीं किया गया है, जैसा कि कंपनी ने नियुक्त किया है उत्तर पूर्वी राज्यों से केवल एक प्रतिनिधि और उत्तर पूर्वी राज्यों से दो प्रतिनिधि नहीं। हालांकि, स्वतंत्र निदेशकों का अधिकतम कार्यकाल समाप्त हो चुका है।

बोर्ड बैठकों की संख्या से संबंधित खंड 3.3.1: वर्ष के दौरान चार बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं और बैठकें कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में आयोजित की गईं। हालाँकि, खंड 3.3.1 के प्रावधानों का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया गया था। 137वीं और 138वीं बैठक के बीच का अंतर 192 दिन है जो 3 (तीन) महीने से अधिक है और 140वीं और 141वीं बोर्ड बैठक के बीच का अंतर 104 दिन है जो 3 (तीन) महीने से अधिक है। बोर्ड की बैठकों के एजेंडे में कंपनी के परिचालन व्यवसाय के तिमाही परिणामों की न्यूनतम जानकारी शामिल नहीं थी।

समीक्षा किए जाने वाले कानूनों के अनुपालन से संबंधित खंड 3.3.3: कंपनी पर लागू केवल कुछ कानूनों के अनुपालन और समीक्षा की सूचना दी जा रही है।

वार्षिक आधार पर आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि से संबंधित खंड 3.4.2: आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में बोर्ड द्वारा पुष्टि के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं पाया जा सका।

जोखिम प्रबंधन से संबंधित खंड 3.6: कंपनी ने कंपनी को प्रभावित करने वाले जोखिमों और जोखिम और जोखिम प्रबंधन को कम करने के उपायों/नीति के बारे में प्रकाश नहीं डाला है। हालाँकि, प्रबंधन की ओर से जोखिम प्रबंधन नीति लागू करने का प्रस्ताव लाया गया था।

निदेशकों के प्रशिक्षण से संबंधित खंड 3.7: निदेशकों को उनकी भूमिकाएं और नियम प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान नहीं किए गए हैं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दर्ज नहीं किए गए हैं।

लेखापरीक्षा समिति की बैठक से संबंधित खंड 4.4: लेखापरीक्षा समिति की न्यूनतम 4 (चार) बैठकों के बजाय दो बैठकें आयोजित की गईं, और 25वीं और 26वीं लेखापरीक्षा समिति की बैठक के बीच का अंतर 194 दिन है जो 4 (चार) महीने से अधिक है।

पारिश्रमिक समिति से संबंधित खंड 5.1: कंपनी ने यह मानते हुए पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है कि कंपनी घाटे में है।

बोर्ड प्रकटीकरण-जोखिम प्रबंधन से संबंधित खंड 7.3: कंपनी ने बोर्ड को जोखिम प्रबंधन और न्यूनतमकरण प्रक्रियाओं के बारे में प्रक्रियाएं नहीं बताईं और इसलिए व्यावसायिक जोखिम और आंतरिक जोखिम दोनों जोखिम प्रबंधन की कोई आवधिक समीक्षा नहीं हुई।

प्रबंधन से संबंधित खंड 7.5.1: प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट संगठन के जोखिमों और चिंताओं को कवर नहीं करती है।

हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की आगे की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

Sd/-

सुधा एवं एसोसिएट्स के लिए

सीएस सुधा सरमा

प्राैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी

M.No. F6278 /COP: 15754

UDIN: **F006278E003248385**

तारीख: 18th January, 2024

स्थान: गुवाहाटी

एमबोरार और कम्पनी.

शासपत्रीत लेखाकार

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की संशोधित रिपोर्ट

सेवा में,

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के सदस्य गण,

वित्तीय विवरणों से संबंधित रिपोर्ट

हमने वित्तीय वर्ष दिनांक 31.01.2023 ("मूल रिपोर्ट") ऑडिट रिपोर्ट जारी की है। महा नियंत्रक एवं नियंत्रक की अनंतिम टिप्पणियों के अनुसरण में भारत के महालेखा परीक्षक यू/एस कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के कुछ मदों में मूल रिपोर्ट में संशोधन किया गया है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट बिंदु संख्या 3(सी),(डी),(ई),6, 7(1),7(2),8 और आधार पर प्रतिकूल राय बिंदु संख्या (1) की उनकी टिप्पणियों का अनुपालन करने के लिए।

हमने दिनांक 09.03.2023 (संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट) की एक संशोधित ऑडिट रिपोर्ट जारी की है। वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक की अतिरिक्त अनंतिम टिप्पणियों के अनुसरण में भारत के महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत संशोधित रिपोर्ट दी है रिपोर्ट की कुछ मदों में संशोधन किया गया अर्थात राय/राय का आधार, अन्य कानूनी के पैरा 3 और विनियामक आवश्यकताएँ बिंदु कैरो 2020

राय

हमने उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम ("कंपनी"), के संलग्न वित्तीय विवरण का ऑडिट किया है जिसमें 31 तारीख की बैलेंस शीट शामिल है। मार्च 2022, लाभ का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि और नकदी प्रवाह विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और व्याख्यात्मक जानकारी (इसके बाद) "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" के रूप में जाना जाता है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनियों द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं

अधिनियम, 2013, यथा आवश्यक तरीके से संशोधित ("अधिनियम") और इसमें एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है भारत के मामलों की स्थिति में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2022 को कंपनी और उस पर समाप्त वर्ष के लिए उसका घाटा और उसका नकदी प्रवाह तारीख।

राय के लिए आधार

हमने अधिनियम 143 की धारा (एसए)(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण खंड की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान साथ-द्वारा जारी आचार संहिता के साथ (आईसीएआई) स्वतंत्रता आवश्यकताओं के साथ कंपनी से स्वतंत्र हैं जो अधिनियम के प्रावधानों और बनाए गए नियमों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। इसके तहत, और हमने इन आवश्यकताओं और 'आईसीएआई' की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य पारंपरिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित बोर्ड की रिपोर्ट, व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी को सम्मिलित करती है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त ज्ञान या अन्यथा प्रकट होती है कि भौतिक रूप से गलत बताया जाना।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह के अनुसार सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और धोखा देने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन, उचित निर्णय और अनुमान लगाना शामिल है। विवेकी; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की

तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त होते हैं। चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एक चालू संस्था के रूप में कंपनी को जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, चालू संस्था से संबंधित मामलों का, जैसा लागू हो, खुलासा करने और लेखांकन के चालू आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या बंद करने का इरादा न रखता हो। संचालन, या ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समग्र रूप से समग्र वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जो हमारी राय को प्रभावित करती है, उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुरूप किए गए ऑडिट में हमेशा कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी मौजूद होने पर भी उसका पता लगाया जाएगा। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन समेकित वित्त विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

- एसए के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर उदासीनता बनाए रखते हैं। हम भी: स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में भौतिक गलतबयानी के जोखिम की पहचान करें और उसका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई किसी गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी शामिल हो सकती है। या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन।

- परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा चल रही चिंता के आधार पर लेखांकन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और, प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू कंपनी के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, आगे की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक चालू संस्था के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।
- भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलतबयानी की व्यापकता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभावित बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक अच्छे जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं, और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
- हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं, के संबंध में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं।
- हमने उन लोगों को एक बयान भी दिया है जिन पर शासन का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य

मामलों के साथ संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर असर डाल सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में सोचा जाता है।

- शासन के प्रभारी लोगों के साथ संचारित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए, मुख्य ऑडिट मामले हैं। हम अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, जब तक कि कानून या विनियम सार्वजनिक प्रकटीकरण को हमारी रिपोर्ट पर संप्रेषित नहीं करने से रोकता है क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से अकेले वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में, और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में नीचे वर्णित मामलों को निर्धारित किया है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा ने उस प्रमुख लेखापरीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया
व्यापार प्राप्तियों का मूल्यांकन	
व्यापार प्राप्य में कंपनी की तरल संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है, तदनुसार, व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता का अनुमान एक महत्वपूर्ण निर्णय क्षेत्र है और इसलिए इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला माना जाता है।	हमारा लेखापरीक्षा दृष्टिकोण आंतरिक नियंत्रणों और मूल प्रक्रियाओं के परीक्षण का एक संयोजन था जिसमें निम्नलिखित शामिल थे: खंड-वार व्यापार प्राप्य और बाढ़ की वसूली के प्रबंधन के लिए नियंत्रण का मूल्यांकन और परीक्षण करें जहां वसूली के लिए संदिग्ध माना जाता है, वहां लंबे समय से बकाया/विवादित प्राप्य राशि की वसूली और प्रावधान का आकलन करें संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पूर्णता का आकलन करें व्यापार प्राप्तियों के शेष की पुष्टि उचित अंतराल पर की जानी चाहिए।

आविष्कार का अस्तित्व और मूल्यांकन	
इन्वेंट्री में कंपनी की तरल संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल होता है, विभिन्न प्रक्रियाओं में विभिन्न स्थानों पर इन्वेंट्री मात्रा को मान्य करने में शामिल होते हैं	<p>हमारा लेखापरीक्षा दृष्टिकोण आंतरिक नियंत्रणों और मूल प्रक्रियाओं के परीक्षण का एक संयोजन था जिसमें निम्नलिखित शामिल थे:</p> <ul style="list-style-type: none"> • अप्रचलन को पकड़ने के लिए प्रावधान प्रदान करने के मूल्यांकन और प्रक्रिया के लिए खंड-वार धीमी गति से चलने वाली सामग्री की पहचान और मूल्यांकन करना। • ओपनिंग स्टॉक, आवरचेज कंजम्पशन और क्लोजिंग स्टॉक सहित समग्र इन्वेंट्री समाधान

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा (रिपोर्ट की परीक्षक लेखा) कंपनियों जारी द्वारा सरकार केंद्र में संदर्भ के 11 धारा उप की 143 आदेश, 2016(आदेश) द्वारा आवश्यक के रूप में, हम अनुच्छेद में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान आदेश के 4 और 3 अनुलग्नक में देते हैं।
2. कंपनी के खातों की पुस्तकों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम धारा 143(5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप पर निर्देशों-अधिनियम का एक रिपोर्ट नीचे देते हैं।

वर्ष 2020-21 के लिए धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश/उप-निर्देश	ऑडिटर की टिप्पणी	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1. क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, कहा जा सकता है।	जी हाँ कंपनी में आई टी प्रणाली टेली ईआरपी के माध्यम से संबंधित करने की व्यवस्था है। की गई लेखा परीक्षा के आधार पर और हमें दी गयी स्पष्टीकरणों और सूचनाओं के अनुसार प्रणाली आईटी , नहीं संसाधित देन-लेन कोई बाहर के की खातों तदनुसार है। गया कियया है। पड़ता नहीं प्रभाव कोई पर सत्यनिषठा	ना
2.क्या किसी मौजूदा ऋण की कोई पुनर्चना है या ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा	ऋण है कर्जदार कंपनी जंहा ऋण/ की गई लेखा परीक्षा के आधार पर और हमें दी गयी स्पष्टीकरणों और सूचनाओं के	प्रदत्त शेयर पूंजी में 28.23 करोड़ की वृद्धि हुई और डोनर मंत्रालय,

<p>कंपनी को ऋण की आदि ब्याज/ऋण/ है मामले के डालने में खाते बल्ले/छूट? यदि हों जा बताया प्रभाव वित्तीय तो , है। सकता</p>	<p>अनुसार किसी भी ऋणदाता व्दारा पुर्नगठन या छुट की डालने में खाते बल्ले/ मामला कोई का आदि ब्याज/ऋण/बहस 2020 वर्ष वित्त था। नहीं- दौरान के 21 है। मता7 की कंपनी की चुकाने ऋण ऋण लेखा -है ऋणदाता कंपनी ऋण / हम और पर आधार के योंप्रक्रि परीक्षाें दी गई जानकारी स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष 2020- या पुर्नगठन दौरान के 1 में वट्टेखाते/पुर्नरचना के आदि ब्याज/ऋण को पार्टियों अन्य व्दारा कंपनी का डालने मामला कोई का में संबंध के राशि गई दी था। नहीं</p>	<p>पूर्वोत्तर क्षेत्र से अनुमोदन के अभाव में राइट-ऑफ लंबित है।</p>
<p>3.क्या केंद्र विशिष्ट से राज्यएजेंसियों/ योग्य करने प्राप्त/प्राप्त लिए के योजनाओं के शर्तों और नियमों इसके को निधियों किया उपयोग/लेखा से उचितरूप अनुसार था गया?विचलन के मामलों की सूची बनाएं।</p>	<p>की गई लेखा प्रक्रियाओं के आधार पर पर और हमें दी गई जानकारी स्पष्टीकरण के अनुसार केंद्र योजनाओं विशिष्ट से राज्यएजेंसियों/ योग्य करने प्राप्त/प्राप्त लिए के नियमों को (रियायत/अनुदान)निधियों से रूप उचित अनुसार के शर्तों और था कियागया पयेगउ/लेखा।</p>	<p>ना</p>

3.अधिनियम 143(3) व्दारा यथा अपेक्षित कंपनी नियम ,2013 अनुसार- कि है करते रिपोर्ट भी यह आगे हम ,

- क) हम ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण नहीं दे सकें है और जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थी।
- ख) हमारी राय में , विधि द्दारा यथा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकाएं कंपनी व्दारा रखी गई है जैसा की उन पुस्तिकाओं की हमारी जांच से प्रतीत होता है और हमारे द्दारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न प्राप्त हुए हैं।
- ग. हमारी राय में, वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जैसा कि लागू होता है।
- घ. बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह के विवरण सहित लाभ और हानि का विवरण इस रिपोर्ट में निपटाए गए मामले संबंधित लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं
- ङ. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164(2) कंपनी पर लागू नहीं होती है।

- च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक बी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।
- छ. प्रतिकूल राय पैरा के लिए आधार में वर्णित मामले को छोड़कर, हमारी राय में बैलेंस शीत, लाभ और हानि का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी(लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पठित , अधिनियम की धारा 133 के अंगत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं
- ज. अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 दिनांक 5 जून, 2015 द्वारा सरकारी कंपनियों के निदेशकों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164(2) के प्रावधानों से छूट दी गई थी।
- झ. कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर्स) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में सबसे अच्छी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार है।
- i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है-वित्तीय विवरण देखें.
- ii) कंपनी ने प्रावधान किया है, जैसा कि लागू कानून या लेखा मानकों के तहत आवश्यक है सामग्री के अनुमानित नुकसान के लिए, यदि व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है।
- iii) कंपनी द्वारा किसी भी राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित नहीं था। खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित हमारी टिप्पणियां/टिप्पणियां नीचे दी गई हैं :-

1. पुराने और अप्रचलित स्टॉक

क्र. सं.	सामग्री	स्थान	मात्रा	मूल्य	टिप्पणियाँ
1	बड़ी इलायसी	क्षे.का.नागालैंड	100 केजी	92290	2016-17 में खरीदा गया
2	मिर्च का आचार	एफजेसापी, नालकाटा	54 नं.	6210.00	
3	मिर्च का आचार(200 ग्रा. बोटल)	एफजेसापी, नालकाटा	244 नं.	9760.00	
4	मिर्च आचार(400 ग्रा. बोटल)	एफजेसापी, नालकाटा	103 नं.	7004.00	

5	कटहल का आचार	एफजेसापी, नालकाटा	313 नं.	34430.00	10 साल उपर
6	कटहल का आचार(200 या.बोटल)	एफजेसापी, नालकाटा	55 नं.	2145.00	
7	कटहल का आचार(400 या. बोटल)	एफजेसापी, नालकाटा	109 नं.	7303.00	
8	आम का आचार	एफजेसापी, नालकाटा	23 नं.	2320.00	
9	आम का आचार(200 या. बोटल)	एफजेसापी, नालकाटा	219 नं.	8103.00	
			कूल	169565.00	

वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, क्षतिग्रस्त स्टॉक, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए, 'ए एस-2' के अनुसार माल मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, और होना चाहिए। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि उपरोक्त मदों की भौतिक स्थिति मूल्यांकन से पहले संबंधित इकाइयों से प्राप्त नहीं की गई थी और उनका मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिकांश वस्तुएं प्रकृति में खराब होने वाली हैं जिनका समय बीतने के बाद अपने वास्तविक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार, लेखांकन के विवेकपूर्ण अभ्यास के अनुसार, वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को दर्शाने के लिए इन आविष्कारों के विरुद्ध प्रावधान किया जाना चाहिए था। उपरोक्त प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए मालसूची की अधिकता और हानि को 1.69 लाख रुपए कम बताया गया है।

2. लंबित देनदार

क्रं सं.	इकाईनाम का पार्टी/	रकम रु.	टिप्पणियाँ
1	निदेशक, बागवानी, खानापारा, क्षेत्रीय कार्यालय, असम	1,94,11,040	5 वर्ष से अधिक पुराना
2	मे. प्राईम एडीविल(प्रा.) लि., नई दिल्ली, एफ जे सी पी, नालकाटा	4,14,754	5 वर्ष से अधिक पुराना
3	काजू संसाधन संयंत्र, अगरतला	4,10,166	5 वर्ष से अधिक समय से 36 पार्टियों से प्राप्य असमायोजित पड़ा हुआ है
4	डोनर मंत्रालय, भाईबेंट नर्थ इस्ट 2017	17,85,278.00	3 वर्ष से अधिक समय से डोनर मंत्रालय प्राप्य असमायोजित पड़ा हुआ है
5	डोनर मंत्रालय, वर्ल्ड फूड इंडीया 2017	9,90,495.00	3 वर्ष से अधिक समय से डोनर मंत्रालय से प्राप्य असमायोजित पड़ा हुआ है

6	क्षेत्रीय कार्यालय, अगरतला	77,14,746	5 वर्ष से अधिक समय से 19 पार्टियों से प्राप्य असमायोजित पड़ा हुआ है
7	क्षेत्रीय कार्यालय, चिक्किम	8,43,459	5 वर्ष से अधिक समय से 26 पार्टियों से प्राप्य असमायोजित पड़ा हुआ है
	कुल	3,15,69,938	

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि 315.69 लाख रुपये की राशि विभिन्न पार्टियों से देय थी जो 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बकाया थी। उपरोक्त का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्तियों को 315.69 लाख रुपये से अधिक बताया गया, साथ ही प्रावधान को कम करके दिखाया गया और साथ ही समान राशि वर्ष के लिए हानि हुई।

3. बैलेंस शीट नोट 10 नकद और नकद समतुल्य के

1. एक निश्चित जमा को शामिल करने के कारण 3 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली सावधि जमा को शामिल करने के कारण 'नकद और नकद समतुल्य' को 18,81,70,273.00 रुपये से अधिक बताया गया था, इसके परिणामस्वरूप अन्य बैंक शेष को भी उसी राशि से कम बताया गया था।

4. लंबित लेनदारों

क्र सं.	स्थान	रकम
1	प्रधान कार्यालय	4088482.05
2	क्षेत्रीय कार्यालय असम,	1,88,08,155.00
3	क्षेत्रीय कार्यालय अगरतला,	1,14,15,097.00
4	कोलकाटा इकाई	4,46,47,377.64
5	क्षेत्रीय कार्यालय, चिक्किम	9,07,559.45
	कुल	80195245.66

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि 801.95 लाख रुपये की राशि विभिन्न पार्टियों से देय थी जो 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बकाया थी।

5. माल और सेवा कर (जीएसटी)

जीएसटी रिटर्न देर से जमा करने पर भुगतान किया गया विलंब शुल्क निम्नलिखित है जिसे लाभ और हानि खाते में डेबिट नहीं किया गया और इस प्रकार वर्ष के लिए नुकसान को 3409.00 कम करके दिखाया गया है।

क्र.सं	राज्य	जीएसटी नं.	विलंब शुल्क राशि
1	गुवाहाटी	18AABCN2315B1Z3	2350
2	त्रिपुरा	16AABCN2315B2Z6	120
3	दिल्ली	07AABCN2315B1Z6	260
4	मणीपुर	14AABCN2315B1ZB	60
5	चिक्किम	11AABCN2315B1ZH	160

6. अचल संपत्तियां

कंपनी मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 11.10.2018 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III को "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" शब्दों के साथ "अचल संपत्तियों" को बदलने के लिए संशोधित किया गया है। 31.03.2021 को खातों की बैलेंस शीट और नोट 22.1 में शब्दों "संपत्ति, संयंत्र और समीकरण" का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

7. अनुदान संबंधी

क) वित्तीय वर्ष 2017-18 में जागरूकता कार्यक्रम के लिए एनईएस द्वारा 1600000.00 रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया था लेकिन कुल व्यय राशि रुपये है 1775547.00 शेष राशि रु. 175547(1775547-1600000) अभी भी (इ. शेष) पड़ा हुआ है जिसे समायोजित करने की आवश्यकता है।

ख) 38,52,000.00 रुपये की मार्केटिंग समर्थन/बिक्री सब्सिडी अभी भी असमायोजित शेष में पड़ी है।

8. पूर्व अवधि सामग्रियाँ

एस-5 के पेरा के अनुसार अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि 15. पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन वरणावि पूर्व अवधि की मदों की प्रकृति और राशि को लाभ और हानि" -में अलग से प्रकट किया जाना चाहिए ताकि उनका प्रभाव वर्तमान लाभ या हानि को देखा जा सकता है।"

विवरण	डेबिट	क्रेडिट
क्षेत्रीय कार्यालय अगरतला		8273.58
बिजली बिल	258804.00	
नई दिल्ली इकाई	113388.00	
एसएस इं (जीएसटी भुगतान)	6772	
बैंक चार्ज	9970.00	

9. खर्चों का प्रावधान न होना

- a) ऑडिटर को देय 19,000.00 रुपये की कर ऑडिट फीस का प्रावधान नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप हानि और वर्तमान देनदारियों को उसी राशि से कम दिखाया गया है।
- बी) अप्पू राज गोगोई को 32650/- रुपये की कानूनी फीस का भुगतान किया गया, जहां टीडीएस नहीं काटा गया है।
- ग) अमिक रंगिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को 395000.00 रुपये की राशि का भुगतान किया गया 23.03.2022 को। 27.12.2021 से 27.06.2022 तक प्रबंधन लागत के लिए 197500.00 रुपये का व्यय बुक किया गया।

10. पुनरुद्धार पैकेज

1. डोनर मंत्रालय द्वारा 28.23 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार अनुदान की मंजूरी में गैर-निधि सहायता को इक्विटी में बदलने और ब्याज-पैनल ब्याज को माफ करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन यह अभी भी डोनर मंत्रालय से अनुमोदन के अभाव में असमायोजित पड़ा हुआ है
2. पुनरुद्धार अनुदान के रूप में प्राप्त 11.33 करोड़ रुपये की राशि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप आयकर के लिए प्रावधान नहीं बनाया गया और लाभ को 3.40 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया। प्रबंधन रक्षा मंत्रालय एनईआर को देय ब्याज को बट्टे खाते में डालने पर करयोग्यता पर मेसर्स सौरभ अग्रवाल एंड एसोसिएट्स से तीसरे पक्ष के विशेषज्ञ की राय का पालन कर रहा है।

एम बोरार ,ओ कंपनी
शासपत्रीत लेखाकार
एफआरएन -314255इ

दिनांक-06.12.2023
स्थान - गुवाहाटी

Sd/-
(सीए मनीश बागारीया)
पार्टनर
सदस्य नं .303339

इउ डी आई एन नं. 23303339बीजीवीएलएलआई5229

एमबोरार और कम्पनी.

शासपत्रीत लेखाकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड .

लेखाकार रिपोर्ट "संलग्नक क"

दिनांक 31-03- 2022 को समाप्त वर्ष के लेखों के संबंध में उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के सदस्यों को लेखा परीक्षक की सम दिनांकित रिपोर्ट के पैरा VI में उल्लिखित अनुलग्नक।

- (1) (ए) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मात्रात्मक विवरण और स्थिति; कम्पनी ने संपूर्ण विवरण सहित उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
- (बी) कम्पनी ने अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।
- ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे आधार पर कम्पनी के रिकॉर्ड, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की जांच की गई है। प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया गया; कोई भौतिक विसंगतियों नहीं थीं ऐसे सत्यापन पर ध्यान दिया गया।
- ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे आधार पर कम्पनी के रिकॉर्ड, सभी अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेखों की जांच वित्तीय विवरणों में खुलासा कम्पनी के नाम पर किया जाता है।
- ई) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे आधार पर कम्पनी के रिकॉर्ड की जांच में कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या की जा रही है। बेनामी लेनदेन के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कम्पनी के खिलाफ मामला लंबित है (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाये गये नियम।
- (2) (ए) भौतिक रूप से सत्यापित नहीं किया जाता है, इसलिए हम भौतिक इन्वेंट्री सत्यापन में किसी भी विसंगति पर रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं और 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए इसे समायोजन में नहीं लिया जाता है।
- (ख) प्रबंधन द्वारा अपनाई गई इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया कम्पनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त है।
- (ग) इन्वेंटरीसामानों के दस्ती रिकॉर्ड प्रबंधन द्वारा रखे जाते हैं। सत्यापन करने पर वास्तविक स्टॉक/ और पुस्तिकाओं में दर्ज अभिलेखों के मध्य पाई गई विसंगतियों का लेखा पुस्तिकाओं में यथोचित निपटान नहीं किया गया था।

- (3) (क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में दर्ज कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व की भागीदारी फर्मों अथवा अन्य पार्टियों को कोई प्रत्याभूत अथवा गैर प्रत्याभूत ऋण नहीं दिया है।
- हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा जांच की गई पनी के अभिलेखों के अनुसार कंपनी ने इस वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 185 के तहत शामिल कोई ऋण, गारंटी और प्रतिभूति नहीं दी है।
- (ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किया है, तदनुसार आदेश के खंड 3 (iii) (सी) का प्रावधान लागू नहीं है।
- (घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान नब्बे दिनों से अधिक के लिए कोई अतिदेय राशि नहीं है, तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(डी) का प्रावधान लागू नहीं है।
- (ड) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान देय ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किया है, आदेश के खंड 3 (iii) (ई) का प्रावधान लागू नहीं है।
(हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने मांग पर चुकाए जाने वाले या किसी भी नियम या पुनर्भुगतान की अवधि निर्दिष्ट किए बिना ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(एफ) का प्रावधान लागू नहीं है।
- (4) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा दिए गए ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में, जहां भी लागू हो, कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।
- 5 (कंपनी ने पब्लिक से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है, और इस प्रकार से, पब्लिक से स्वीकार की गई जमा राशियों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 तक के उपबंध अथवा अधिनियम के कोई अन्य संगत उपबंध कंपनी जमा राशियों की स्वीकृतिनियमावली (, 2014 के उपबंध लागू नहीं होते हैं।
- (6) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के संबंध में अधिनियम की धारा 148 की धारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया है। तदनुसार आदेश की धारा 3(vi) के प्रावधान लागू नहीं होते।
- (7) क) सांविधिक देय राशियों के संबंध में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, बिक्री-कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर सहित अविवादित वैधानिक देय राशि जमा

करने में नियमित है। उपकर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया, उपयुक्त अधिकारियों के पास जैसा कि उस पर लागू होता है।

- (ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारे द्वारा जांच की गई कंपनी के अभिलेखों के आधार पर, वित्त वर्ष की अंतिम तारीख में देय होने की तारीख से 6 माह से अधिक समय से बकाया सांविधिक देय राशियों की मात्रा नीचे दी गई है।

विवरण	राशि
टीडीएस	61,314.00
प्रोफेशनल टैक्स	91541.56
असम वेट	2,24,807.00
आयकर	बिबादित राशि जिसके खिलाफ विरोध राशि का भुगतान किया जाता है।

- (8) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो खातों की किताबों में दर्ज नहीं है और आयकर अधिनियम 1961(43 का 1961) के तहत वर्ष के दौरान कर निर्धारण में आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया है। तदनुसार, तीसरे आदेश के खंड 3(viii) के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
- (9)(क) कंपनी द्वारा हमारे द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने नेडफी/डोनर मंत्रालय से कार्यशील पूंजी ऋण लिया है। लंबित मूल राशि 28.23 करोड़ रुपये को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया है और ब्याज/दंड ब्याज अभी भी डोनर मंत्रालय से अनुमोदन के अभाव में असमायोजित पड़ा हुआ है। कंपनी ने डीबेचर जारी नहीं किया है।

विवरण	अवधि (प्रभावी)	राशि
मूल राशि	01 / 04 / 2021	2,00,00,000.00
ब्याज राशि	01 / 04 / 2016	27,25,08,521.00
दंडात्मक ब्याज	01/04/2016	6,73,98,276.00

- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा घोषित विलफुल डिफॉल्टर नहीं है। तदनुसार आदेश की धारा 3(ix)(बी) का प्रावधान लागू नहीं होता है।
- (ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix)(एफ) का प्रावधान लागू नहीं है।
- (डी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और समय जांच के अनुसार कंपनी की बैलेंस शीट में, हम रिपोर्ट करते हैं कि अल्पावधि आधार पर कोई धनराशि नहीं जुटाई गई है जो कि कंपनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।
- (ई) 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी किसी सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम (जैसे) में से कोई निवेश नहीं रखती है। (अधिनियम के तहत परिभाषित) तदनुसार, खंड 3(ix)(ई) लागू नहीं है।
- 10) क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) पर पैसा नहीं लगाया। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(ए) का प्रावधान लागू नहीं है।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान खंड 3(x)(वी)के प्रावधान के अनुसार, शेयर का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है। तदनुसार आदेश लागू नहीं होता है।
- (ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix)(एफ) का प्रावधान लागू नहीं है।
- (11) (क) प्रबंधन द्वारा दी गई ऑडिट प्रक्रियाओं की जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि, हमारे ऑडिट में शामिल अवधि के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है, तदनुसार, खंड 3 (xi) (ए) का प्रावधान आदेश लागू नहीं है।
- (ख) निष्पादित ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, धोखाधड़ी से जुड़े संदिग्ध अपराध से संबंधित मेरे अवलोकन की अनुपस्थिति में, आदेश के खंड 3 (xi) (बी) का प्रावधान लागू नहीं होता है।
- (ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायतें, नहीं मिला है तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi)(सी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

- (12) क्योंकि यह कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है, इसलिए निधि नियम 2014 इस पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए आदेश के भाग 3 (xii) का उपबंध कंपनी पर लागू नहीं है।
- (13) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं हुआ है।
- (14) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।
(ख) हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार किया है।
- (15) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- (16) (ए) हमारी राय और हमारी जांच के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत, कंपनी को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है कि तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(ए) लागू नहीं होता है।
(बी) हमारी राय और हमारी जांच के आधार पर, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण (सीओआर), 1934. वैध माणपत्र के बिना कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियाँ कंपनी ने संचालन नहीं किया है तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(बी) लागू नहीं होता है।
(सी) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी एक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(सी) लागू नहीं होता है।
(घ) समूह प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार समूह के हिस्से के रूप में कोई सीआईसी नहीं है।
- (17) चालू वित्तीय वर्ष में 4,54,24,725.00 रुपये की नकदी हानि हुई है।
- (18) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा इस्तीफे का कोई मामला नहीं आया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xviii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (19) सामग्री अनिश्चितता ऑडिट रिपोर्ट की तारीख के रूप में मौजूद है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है और जब वे बैलेंस शीट की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर आती हैं

- (20) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- (21) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरण में शामिल कंपनियों की सीएआरओ रिपोर्ट में कोई योग्यता या प्रतिकूल खुलासा नहीं है।

दिनांक-06.12.2023
स्थान - गुवाहाटी

एम बोशर ,औं कंपनी
शासपत्रीत लेखाकार
एफआरएन -314255E

Sd/-
(सीए मनीश बागारीया)
पार्टनर
सदस्य नं .303339

इउ डी आई एन नं. 23303339बीजीवीएलएलआई5229

एम बोरार और कम्पनी

शासपत्रीत लेखाकार

सतंत्र लेखाकार रिपोर्ट "संलग्नक ख"

हमने उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन लिमिटेड ("कंपनी") के 31 मार्च, 20 22 तक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा कंपनी के इसी तारीख को समाप्त वर्ष के विशिष्ट वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ साथ की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन भारत के चार्टरित लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड संबंधी आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल हैं जिन्हें कंपनी के कारोबार का व्यवस्थित और कार्यक्षम संचालन तथा कंपनी की नीतियों के अनुसरण, इसकी परिसंपत्तियों के रक्षोपाय, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की रोकथाम व उनका पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की यथार्थता और परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित, विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप में लागू किया जा रहा था।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों से संबंधित राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत अंतरिक्ष वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू परिमाण तक विहित किया जाना समझी गई, वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शी टिप्पणी") और लेखा परीक्षा करने से संबंधित मानकों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुसार की है जो दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू होती हैं तथा दोनों को ही आईसीएआई द्वारा जारी किया गया था। उन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणियों के लिए यह अपेक्षित है कि हम इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए थे और क्या उक्त नियंत्रण हर महत्वपूर्ण दृष्टि से प्रभावी रूप से लागू किए गए थे, नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और कार्य निष्पादन करें।

किसी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी प्रभावकारिता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादक प्रक्रियाएं निहित होती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, उस जोखिम का मूल्यांकन करना जिसमें कोई महत्वपूर्ण शिथिलता विद्यमान होती है और मूल्यांकित जोखिम

पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन प्रभावकारिता की जांच करना और उसका मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के अधिनिर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें विशिष्ट वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो अथवा त्रुटि के कारण हुई हो, के जोखिमों का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं।

(1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित, उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेन-देन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है;

(2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के साथ वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेन-देन आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं;

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका वित्तीय विवरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें नियंत्रणों की मिलीभगत अथवा अनुचित प्रबंधन की संभावना भी है, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। अविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के अनुमान भी इस जोखिम के अधीन होते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन होने के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, अथवा नीतियां या कार्य विधियों के अनुपालन की मात्रा में कमी आ सकती है।

प्रतिकूल राय

हमारी राय में और जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हमें दिया गया है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कंपनी के आकार के अनुरूप है, शाखा स्तर को छोड़कर और इन्वेंट्री की खरीद, अचल संपत्तियों और वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री, चेक पर हस्ताक्षर करने के अधिकार के संबंध में इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है।

दिनांक-06.12.2023

स्थान - गुवाहाटी

एम बीरार .औ कंपनी
शासक वित्त लेखाकार
एफआरएन -314255इ

Sd/-
(सीए मनीश बागरीया)
गुवाहाटी
सदस्य नं 303339
पार्टनर

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2022 तक की बैलेंस शीट

विवरण	टिप्पणी सं०	31.03.2022 तक (000 रु.में)	31.03.2021 तक (000 रु.में)
I. इक्विटी और देयताएं			
1. शेयर धारक की निधि			
(क) शेयर मूलधन	1	3,58,500	76,200
(ख) आरक्षित और अधिशेष	2	<u>-5,78,257</u>	<u>-5,92,695</u>
		-2,19,757	-5,16,495
2. निवर्तमान देयताएं			
(क) दीर्घ कालीन ऋण	3	<u>20,000</u>	<u>1,72,300</u>
(ख) दीर्घ कालीन व्यवस्था	4	<u>17,872</u>	<u>19,426</u>
		37,872	1,91,726
3. वर्तमान देयताएं			
(क) अल्प कालीन ऋण		-	-
(ख) व्यापार देय राशि	5	<u>1,48,541</u>	<u>1,62,261</u>
(ग) अन्य वर्तमान देयताएं	6	<u>6,34,396</u>	<u>6,34,181</u>
		7,82,937	7,96,442
कुल -		<u>6,01,051</u>	<u>4,71,673</u>
II. परिसंपत्तियां			
1. निवर्तमान संपत्तियाँ			
(क) नियत परिसंपत्तियां			
(i) मूर्त परिसंपत्तियां	7	15,934	16,663
(ii) प्रगतिधीन कार्य		84,804	24,052
(ख) दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम		-	-
(ग) विविध व्यय		-	-
		<u>1,00,738</u>	<u>40,716</u>

2. वर्तमान परिसंपत्तियां

(क) माल सूची	8	3,789	3,341
(ख) व्यापार प्राप्तियां	9	1,25,743	1,14,561
(ग) नकद और बैंक में जमा राशि	10	2,84,866	2,14,672
(घ) अल्प कालीन ऋण और अग्रिम	11	79,598	92,754
(इ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	12	<u>6,283</u>	<u>5,630</u>
		5,00,313	4,30,957
	कुल	6,01,051	4,71,673

1 से 22 तक की सहवर्ती टिप्पणियां वित्तीय विवरणों की अभिन्न अंग हैं।

कृते उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विवणन निगम।

शासपत्रीत लेखाकार

हस्ता/
कमोडर राजीव अशोक(अव.)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09598427

हस्ता/
श्री एम आई माईटी
निदेशक
डीआईएन:0820500

हस्ता/
श्री संजीव कुमार राय
कंपनी सचिव
एम सं०,AS52998

हस्ता/
(सीए मनीश बागारीया)
पार्टनर
सदस्य नं .303339

दिनांक : 01/12/2022

स्थान : गुवाहाटी

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड

31.03.2022 की वित्तीय विवरण

टिप्पणी 1 शेयर पूंजी विवरण	31.03.2022 तक (₹.000 में)	31.03.2021 तक (₹.000 में)
प्राधिकृत		
प्रत्येक 1000 रुपए के 600000 इक्विटी शेयर	6,00,000	100,000
जारी, अभिदत्त तथा प्रदत्त		
प्रत्येक 1000 रुपए के 358500 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष)	3,58,500	76,200
कुल	3,58,500	76,200

कंपनी के 1000 के एक समान मूल्य के इक्विटी शेयर के रूप में उल्लिखित एक ही श्रेणी के शेयर हैं।

टिप्पणी 1 क

31 मार्च, 2021 और 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बकाया शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी की राशि का समाधान नीचे दिया गया है:

विवरण	31.03.2022 तक		31.03.2021 तक	
	इक्विटी शेयर संख्या (₹. 000 में)		इक्विटी शेयर संख्या (₹. 000 में)	
वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर	76,200	76,200	76,200	76,200
जोड़े: - वर्ष के दौरान जारी	2,82,300	2,82,300	-	-
वर्ष के अंत तक बकाया शेयर	3,58,500	3,58,500	76,200	76,200

टिप्पणी 1 ख

शेयर धारकों की मार्च 31, 2022 और तक कुल प्रदत्त पूंजी के 5% से अधिक धारिता निम्नानुसार है:

क्र. शेयर धारक के नाम	धारित शेयरों की	% धारिता	31.03.2022 तक		31.03.2021 तक	
			धारित शेयरों की सं.	% धारिता	धारित शेयरों की सं.	% धारिता
1 भारत के राष्ट्रपति	3,58,4800			99.99		
2 सचिव, एन ई सी	10			0.0027		
3 उप सचिव, एन ई सी	10			0.0027		

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड

31-03-2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग की टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी 2 आरक्षित एवं अधिशेष

विवरण	31.03.2022 तक (रु. 000 में)	31.03.2021 तक (रु. 000 में)
लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष/(घाटा) आदि शेष	-6,29,886	-5,64,486
(+) निवल लाभ/(निवल हानि इति शेष	<u>-46,314</u>	<u>-65,400</u>
भवन गांट	94,393	33,641
पूंजी आरक्षित- कर्मचारियों के लाभ के लिए (वीआरएस)	-	-
मूल्य हास रिजर्व	-358	-358
सब्सिडी रिजर्व-बिक्री सब्सिडी	3,852	3,852
सहायता अनुदान- एन एम एफ पी के तहत सेमिनार	<u>56</u>	<u>56</u>
कुल -	<u>-5,92,695</u>	<u>-5,27,735</u>

टिप्पणी 3 दीर्घकालीन ऋण

विवरण	31.03.2021 तक (रु. 000 में)	31.03.2020 तक (रु.000 में)
गैर प्रत्याभूत डोनर मंत्रालय	20,000	1,52,300
नेडफी	-	<u>20,000</u>
कुल -	<u>20,000</u>	<u>1,72,300</u>

टिप्पणी 4 दीर्घकालीन व्यवस्था

विवरण	31.03.2022 तक (रु. 000 में)	31.03.2021 तक (रु.000 में)
दीर्घकालीन व्यवस्था उपदान की व्यवस्था	11,593	12,557
छुट्टी रियायत की व्यवस्था	<u>6,279</u>	<u>6,868</u>
कुल	<u>17,872</u>	<u>19,426</u>

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विवणन निगम लिमिटेड

31-03-2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग की टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी 5 व्यापार देय

विवरण	31.03.2022 तक (₹. 000 में)	31.03.2021 तक (₹ .000 में)
अन्यान्य	1,48,541	1,62,261
कुल	1,48,541	1,62,260

विवरण	31.03.2022 तक (₹.000 में)	31.03.2021 तक (₹ .000 में)
-------	------------------------------	-------------------------------

टिप्पणी 6 चालू परिसंपत्तियां

विवरण	31.03.2022 तक (₹.000 में)	31.03.2021 तक (₹ .000 में)
उधार राशियों पर प्रोद्भूत ब्याज और देय	17,707	2,56,372
उधार राशियों पर प्रोद्भूत दंड ब्याज और देय	-	60,972
अन्य देय*	2,89,880	2,05,374
खड़ाब स्टॉक व्यवस्था	-	7
उपदान की व्यवस्था	3,069	885
छुट्टी नकदीकरण प्रावधान	1,541	571
असंचित लोन-दोनर मंत्रालय(परिपक्व)	-	1,10,000
कुल	6,34,396	6,34,181

* सांविधिक देय राशि, प्रतिभूति जमा राशि और ग्राहकों से अग्रिम शामिल हैं।

टिप्पणी 7 नियत परिसंपत्तियां

विवरण	31.03.2022 तक (₹. 000 में)	31.03.2021 तक (₹ .000 में)
आदि शेष	16,663	12,345
जोड़ें - परिवर्धन	160	5,385
घटाएं - अवमूल्यन रिजर्व में अंतरिक्त	-	-
घटाएं- अवमूल्यन	890	1,067
कुल	15,934	16,663

टिप्पणी 8 माल सूची

विवरण

31.03.2022 तक

31.03.2021 तक

(रु.000 में)

(रु.000 में)

कच्ची सामग्रियां

-

-

तैयार माल

3,338

2,890

भंडार और अधिशेष

182

181

अन्य*

269

269

कूल

3,789

3,340

*अन्य के अंतर्गत पैकिंग सामग्रियां और ईंधन सामग्रियां शामिल है जिन्हें लागत पर लाया जाता है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विवणन निगम लिमिटेड

31-03-2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग की टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी 9 व्यापार प्राप्त योग्य राशियां	31.03.2022 तक (रु. 000 में)	31.03.2021 तक (रु .000 में)
विवरण		
भुगतान के लिए देय होने की तारीख से 6 माह से कम समय से बकाया व्यापार प्राप्त योग्य राशियां	-	
भुगतान के लिए देय होने की तारीख से 6 माह से अधिक समय से बकाया व्यापार प्राप्त योग्य राशियां	1,25,743	114,561
कुल	1,25,743	141,561

टिप्पणी 10 नकदी और बैंक में जमा राशि	31.03.2022 तक (रु. 000 में)	31.03.2020 तक (रु .000 में)
विवरण		
क. बैंक में शेष		
ख. उपलब्ध नकदी	95,441	88,814
ग. मार्गस्थ प्रेषण	1,288	225
घ. बैंकों में सावधिक जमा	1,83,264	1,20,939
ड. पी एन बी, जू रोड बी आर एच के तहत सावधिक जमा	4,907	4,694
कुल	2,84,899	214,672
कृते उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विवणन निगम।		

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विवणन निगम लिमिटेड

31-03-2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग की टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी 11- अल्पकालिक-मियादी ऋण और अग्रिम

विवरण	31.03.2022 तक (रु. 000 में)	31.03.2021 तक (रु .000 में)
ख. अन्य		
जमा	3,249	2,840
ऋण और अग्रिम	32,485	31,982
अन्य	43,864	57,932
कुल	79,598	92,754

टिप्पणी 12 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

विवरण	31.03.2022 तक (रु. 000 में)	31.03.2021 तक (रु .000 में)
वापसी योग्य कर	6,214	5,561
अप्रत्यक्ष प्राप्य कर	69	69
कुल	6,283	5,630

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विवणन निगम लिमिटेड

31.03.2022 समाप्त वर्ष का लाभ हानि विवरण

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2022 को समाप्त वित्त वर्ष (रु.000 में)	31.03.2021 समाप्त समाप्त वित्त वर्ष (रु. 000 में)
1. प्रचालनों से राजस्व	13	2,61,420	1,46,067
2. अन्य आय	14	5,497	4,165
3. कुल राजस्व (1+2)		<u>2,66,917</u>	<u>1,50,232</u>
4. व्यय:			
उपयोग में लाई गई सामग्री की लागत			
व्यापार स्टॉक की खरीद		2,48,046	1,37,280
व्यापार स्टॉक सामग्री में परिवर्तन	15	-448	-414
कर्मचारी लाभ व्यय	16	27,518	27,482
फाइनेंस लागतें	17	22,563	42,228
अवमूल्यन	7	890	1,067
अन्य व्यय	18	<u>14,281</u>	<u>8,621</u>
कुल व्यय		<u>3,12,851</u>	<u>2,16,265</u>
5. आपवादिक मद और कर से पहले लाभ	(3-4)	-45,934.45	-66,033
6. आपवादिक मद		-	-
7. कर से पहले लाभ (V+VI)		45,934	-66,033
8. विशेष सामग्री	20	380	633
9. कर से पहले लाभ (VI+VII)		46,314	-65,400
10. कर व्यय			
(1) चालू कर		-	-
(2) आस्थगित कर		-	-
11. वर्ष के दौरान लाभ (IX-X)		<u>46,314</u>	<u>-65,400</u>

12.	प्रचालन रहित में से लाभ	-	-
13.	प्रचालन रहित में से कर व्यय	-	-
14.	वर्ष में प्रचालन रहित में से कर के वाद लाभ (XII-XII)	- 46,314	-65,400
15.	वर्ष में लाभ	- 46,314	-65,400
16.	प्रति इक्विटी शेयर लाभ(1,000 पर)		
	1. बेसिक	-0.61	-0.86
	2. तनुकृत		
17.	प्रति इक्विटी शेयर आय (विशेष सामग्री के वाद (1,000 पर)		
	1. बेसिक	- 0.60	- 0.87
	2. तनुकृत	- 0.60	0.87

1 से 22 तक की सहवर्ती टिप्पणियां वित्तीय विवरणों की अभिन्न अंग हैं। कृते उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विवणन निगम।

कृते उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विवणन निगम।

शासपत्रीत लेखाकार

हस्ता/
कमोडर राजीव अशोक(अव.)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09598427

हस्ता/
श्री एम आई माईटी
निदेशक
डीआईएन:0820500

हस्ता/
श्री संजीव कुमार राय
कंपनी सचिव
एम सं0,AS52998

हस्ता/
(सीए मनीश बागारीया)
पार्टनर
सदस्य नं .303339

दिनांक : 01/12/2022
स्थान : गुवाहाटी

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विवणन निगम लिमिटेड

31-03-2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग की टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी 13

प्रचालनों से राजस्व

विवरण

31.03.2022 अंत तक

31.03.2021 अंत तक

(रु. 000 में)

(रु .000 में)

बिक्रियाँ

2,59,442

1,45,581

अंतर-शाखा विक्री

990

-

अन्य प्रचालन राजस्व

988

485,87

सेवाओं की बिक्री

कुल

2,61,420

1,46,067

टिप्पणी 14 अन्य आय

विवरण

31.03.2022 अंत तक

31.03.2021 अंत तक

(रु. 000 में)

(रु .000 में)

मताधिकारी फीस

-

ब्याज

3,379

2,807

वाहनों के किराए से आय

विविध प्राप्ति

117

60

उपदान

496

इवेंट और प्रदर्शनी परियोजना

2,001

802

कुल

5,497

4,165

कृते उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विवणन निगम।

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विवणन निगम लिमिटेड

31-03.2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग की टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी 15 व्यापार स्टॉक में सामग्री सूचियों में परिवर्तन

विवरण	31.03.2022 तक (रु. 000 में)	31.03.2021 तक (रु. 000 में)
इति स्टॉक	3338	2,890
आदि स्टॉक	2890	2,476
कुल	-418	-414

टिप्पणी 16 कर्मचारियों के लाभ पर व्यय

विवरण	31.03.2022 तक (रु. 000 में)	31.03.2021 तक (रु. 000 में)
मजदूरी और वेतन (बोनस सहित)	23,297	24,951
स्टॉफ कल्याण	2,346	468
भविष्य निधि के लिए अंशदान प्रभार सहित	1,875	2,063
कुल	27,518	27,482

टिप्पणी 17 वित्तीय लागत

विवरण	31.03.2022 तक (रु. 000 में)	31.03.2021 तक (रु. 000 में)
कार्य पूंजी ऋण पर ब्याज	16,137	30,819
कार्यशील पूंजी ऋण पर दंड ब्याज	6,426	1,410
कुल	22,563	42,228

कृते उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विवणन निगम।

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग की टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी 18 अन्य व्यय

विवरण	31.03.2022 तक (रु. 000 में)	31.03.2021 तक (रु .000 में)
विज्ञापन व्यय	188	139
प्रशासनिक व्यय	76	84
लेखा व्यय	40	40
नीलामी व्यय	-	
लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक	173	
बैंक प्रभार	33	16
बोर्ड बैठक का व्यय	2	19
पुस्तकें और पत्रिकाएं	7	5
परामर्श प्रभार	4	-
विद्युत व्यय	749	656
प्रदर्शनी एवं व्यापार मेला	-	35
इवेंट एवं प्रदर्शनी	1,811	784
भाड़ा और परिवहन	172	542
इंधन लागत (कोल, एलपीजी, डीजल)	312	276
जी एस टी फीज	7	200
बीमा	36	13
साक्षात्कार व्यय	10	
मजदूरी व्यय	64	14
पट्टा भाड़ा	-	8
विधिक खर्च	399	
बैठक एवं सम्मेलन	8	179
विविध व्यय	40	7
कार्यालय व्यय	139	17

पेकिंग सामग्री	10	165
जरिमना	158	
डाक एवं कोरियर	24	
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	255	25
पूर्व अवधि का समायोजन	-	163
प्रसंस्करण व्यय	128	-
प्रोफेशनल व्यय	290	287
दर एवं कर	-	428
नवीकरण फीस	16	15
किराया	2,114	2,324
मरम्मत और रखरखाव	149	198
आर ओ सी व्यय	4,237	9
कमीशन व्यय	4	
स्टॉल व्यय	103	135
यात्रा व्यय	839	418
टेलीफोन और इंटरनेट व्यय	53	254
यात्रा और भत्ता	91	113
वाहन का रखरखाव	470	374
अन्य व्यय	1,405	342
वाहन किराया प्रभार	-	-
कुल	14,281	8,621

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2022 तक की बैलेंस शीट (जारी)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
	तक	तक
	(000 रु.में)	(000 रु.में)
टिप्पणी 19 वर्ष के दौरान लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक का किया गया भुगतान		
(क) वैधानिक लेखापरीक्षा शुल्क		
(ख) कर लेखापरीक्षा शुल्क	80	80
कुल	80	80
टिप्पणी 20 असाधारण सामग्री		
	31.03.2022	31.03.2021
	तक	तक
	(000 रु.में)	(000 रु.में)
(क) हानि क्षति		
(ख) पूर्व अवधि समायोजन	380	-633

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड

नकदी प्रवाह विवरण
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष

विवरण	2021-22		2020-21	
	(रु. 000 में)	(रु. 000 में)	(रु. 000 में)	(रु. 000)
प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
वर्ष के दौरान निवल लाभ जोड़े: अवमूल्यन	-46,314		-65,400	
ग्रेच्युटी का प्रावधान	890		1,067	
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	1,220		-3,460	
खड़ाब स्टॉक व्यवस्था	380		1,736	
अचल संपत्तियों की बिक्री लोभ	-7		-	
ब्याज भूगतान	0		-	
प्राप्त ब्याज	22,563		42,228	
बड़े परिवर्तन करने से पहले प्रचालनों से उत्पन्न नकदी	-3,379		-2,807	
स्टॉक में कमी (वृद्धि)/कमी)	-24,648		-30,108	
देनदारों में कमी(वृद्धि)/कमी)	-449		-413	
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी)	-11,183		14,760	
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी)	13,156		-10,289	
व्यापार उधार दाताओं में (वृद्धि)/कमी)	-654		-235	
आरक्षित एवं अधिशेष(वृद्धि)/कमी)	-13,720		10,886	
वर्तमान देयताओं में (वृद्धि)/कमी)	60,752		440	
	-2,932		1,56,969	
	20,324		1,42,010	

प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क)		20,324	
निवेशक गतिविधियों से नकदी प्रवाह			1,42,010
नियत परिसंपत्तियों की खरीद	-160		-5,385
नियत परिसंपत्त का निपटान	-		-
प्राप्त ब्याज	3,379		2,807
पूँजि कार्य-प्रगति में वृद्धि	-60,752		1,389
निवेशक गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		-57,534	-1,189
फाइनेंस गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
दीर्घकालीन ऋण उधार लेना	-1,52,300		
शेयार पूँजी	2,82,300		
ब्याज की भूगतान	-22,563		-42,228
फाइनेंस गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		1,07,437	-42,228
अवधि के प्रारंभ में नकदी		70,227	98,592
अवधि के अंत में नकदी		214672	1,16,080
		2,84,899	2,14,672

कृते उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विवणन निगम।

शासपत्रीत लेखाकार

हस्ता/
कमोडर राजीव अशोक(अव.)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09598427

हस्ता/
श्री एम आई माईटी
निदेशक
डीआईएन:0820500

हस्ता/
श्री संजीव कुमार राय
कंपनी सचिव
एम सं0,AS52998

हस्ता/
(सीए मनीश बागारीया)
पार्टनर
सदस्य नं. 303339

दिनांक : 01/12/2022
स्थान : गुवाहाटी

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी

31-03-2022 तक के वित्तीय विवरण भाग की टिप्पणियां

टिप्पणी: 19

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क) वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

- वित्तीय विवरण को कंपनी द्वारा संगत रूप से ग्रहण किए गए अनुसार सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों और कंपनी अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार, ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत (लेखा मानक) नियम 2006 (कंपनी लेखा मानक) कंपनी एक्ट 2013, नियम 2016 एक जारी प्रतिष्ठान के रूप में तैयार किया गया है।
- कंपनी ने प्रतिस्थित आय एवं व्यय बढ़ोत्तरी के आधार पर व्यापारिक प्रणाली की अनुसरण करते हैं।
- जब कि लेखांकन नीतियाँ विशेष रूप से सुसंगत हैं और आम तौर पर लेखा नितियों के साथ स्वीकृत हैं।

ख) आकलन का प्रयोग:

सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की अनुरूपता में वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को ऐसे प्राक्कलन करने और अनुमान लगाने अपेक्षित होते हैं जिनका वित्तीय विवरण की तारीख की परिसंपत्तियों के सूचित शेष और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान आय एवं व्यय की सूचित राशियों पर प्रभाव पड़ता है। प्रबंधन को यह विश्वास होता है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त आकलन विवेक और युक्ति संगत हैं। वास्तविक परिणाम और आकलनों के मध्य अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम जात होता है/परिणाम को मूर्त रूप दिया जाता है।

ग) नियत परिसंपत्तियाः(सम्पत्ती,परयोजना और सामग्री)

सम्पत्ती,संयंत्र और सामग्री उपकरण को संचित हानियाँ यदि कोई हो, शुद्ध अधिग्रहण लागत पर बताया गया है। बाद की लागतों को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल किया जाता है या उपयुक्त रूप में एक अलग संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है। केवल तभी जब यह संभव हो कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रभावित होंगे और वस्तु की लागत को मजबूती से मापा जा सकता है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव का शुल्क उस अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण पर लगाया जाता है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

- सेवानिवृत्ति या संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के निपटान पर होनेवाले लाभ और हानि को लाभ हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

- संपत्ति, सयंत्र और उपकरण (यदि कोई हो) जो तुलन पत्र की तिथि को इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें "प्रगति में पूंजीगत कार्य" के रूप में प्रकट किया जाता है।
 - कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर लिखित मूल्य पद्धति के आधार पर मूल्यह्रास प्रो-राटा आधार पर प्रदान किया जाता है। हालांकि रुपए की लागत वाली संपत्ति खरीद के वर्ष में 5.000 या उससे कम का पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है।
 - फ्री होल्ड जमीन मूल्यहीन नहीं है।
 - प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्मूल्यांकन, उपयोगी जीवन और संपत्ति, सयंत्र और उपकरणों के मूल्यह्रास विधि की समीक्षा की जाती है और यदि उफयुक्त हो तो संभावित रूप समायोजित किया जाता है।
 - बैलेंस शीट के आंकड़ों में तीन लीजहोल्ड भूमि विवरण शामिल नहीं हैं जैसा कि नीचे बताया गया है क्योंकि स्वामित्व और शीर्षक विलेख नेरामेक के नाम पर स्थानांतरित नहीं किया गया है।
- क) असम सरकार द्वारा दिनांक 05.01.2009 को 2,30,400 वर्ग फुट पट्टे की भूमि सिलचर में की आवंटित की। उसी के आवंटन को असम सरकार, o/o महाप्रबंधक, जिला, उद्योग और वाणिज्य केंद्र, कछार द्वारा अपने पत्र (12/2/2018) द्वारा रद्द कर दिया गया था। जनवरी 2020 को जीएमडीआई और सीसी द्वारा भूखंड का अधिग्रहण किया गया था।
- ख) 30.03.2001 को मेघालय सरकार द्वारा आवंटित 4000 वर्ग मीटर भूमि बर्णीहाट में पट्टे पर आवंटित किया है।
- ग) 05.09.1986 को त्रिपुरा सरकार द्वारा 3.64 हेक्टेयर नालकाटा में पट्टे पर भूमि आवंटित किया है।

घ) **मूल्यह्रास :**

अवमूल्यन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची -II के भाग ग में यथा उल्लिखित उपयोगी जीवन अवधि के आधार पर दिया गया है।

(ङ) **परिसंपत्तियों की विरूपण:**

किसी परिसंपत्ति को विकृति के रूप में उस समय समझा जाता है जब परिसंपत्तियों की वह क्षमता इसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक होती है। विकृति हानि को उस वर्ष में लाभ- हानि लेखा में प्रभावित किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति की विकृत पर संपत्ति के रूप में पहचान की जाती है।

च) माल (इन्वेंटरी):

इन्वेंटरी का मूल्यांकन उनकी लागत पर अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य पर जो भी निवेशों का मूल्यांकन लागत कम (फीफो पर) भारित औसत, जैसा भी मामला हो, और अप्रचलन और अन्य हानियों के लिए प्रदान करने के वाद शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है, जहां आवश्यक समझा जाता है। लागत पर माल को बिक्री के स्थान पर लाने के सभी शुल्क शामिल हैं। उपभोज्य भंडारके के स्टॉक का मूल्य कम लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

छ) राजस्व मान्यता:

माल की बिक्री से प्राप्त होने वाले राजस्व को रिटर्न और व्यापार छूट के शुद्ध रूप में मान्यता दी जाती, जब माल/सेवाओं के स्वामित्व का महत्वपूर्ण जोखिम और पारितोषिक खरीदार को हस्तांतरित किए जाते हैं, जो आम तौर पर रीजस्व ग्राहकों को माल की डिलीवरी के साथ मेल खाता है।

अन्य आय जैसे ब्याज आय को सास्तविक/समय के आधार पर मान्यता दी जाती है जबकी लाभांश (यदि कोई हो) को तब मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार स्थापित हो गया हो।

ज) कर्मचारी लाभ:

गैर छूट आधार पर प्रत्याशित दायित्व पर आधारित कर्मचारी के अल्पकालिक लाभों को उस वर्ष में संबंधित अवधि के लाभ एवं हानि के विवरण में खर्चों के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है।

रोजगार के बाद लाभ:**परिभाषित अनुदान योजना:**

पश्च नियोजन और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों को उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी ने सेवा की है। निगम के कर्मचारी उपर्युक्त स्कीमों में कर्मचारी के कुल वेतन के विनिर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर मासिक नियत अंशदान करते हैं।

परिभाषित लाभ योजना:

उपदान/गेच्युटी: गेच्युटी की व्यवस्था लेखांकन मानक (ए एस) 15-कर्मचारियों के लाभ के शर्तानुसार किसी लिपिक द्वारा, वित्त वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

छुट्टी नकदीकरण: छुट्टी नकदीकरण की व्यवस्था लेखांकन मानक (ए एस) 15-कर्मचारियों के लाभ के शर्तानुसार किसी लिपिक द्वारा, वित्त वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

झ) कर्मचारी पृथक्करण लागत:

उन कर्मचारियों के लिए क्षतिपूर्ति को जिन्होंने कंपनी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अंतर्गत सेवानिवृत्ति के लिए विकल्प दिया है, विकल्प के वर्ष में लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

ञ) प्रति शेयर कामाई

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर पश्चात लाभ/हानि (असाधारण मद के कर पश्चात प्रभाव, यदि की हो) को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर पतला ईयरिंग की गणना कर के बाद लाभ/हानि को विभाजित करके (असाधारण आईटेम कर के बाद के प्रभाव यदि कोई हो) को विभाजित करके लाभांश, ब्याज और अन्य शुल्कों को व्यय या आय के लिए समायोजित किया जाता है जो कि संभावित साम्य शेयरों से संबंधित है। प्रति शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए साम्य शेयरों की भारित औसत संख्या और साम्य शेयरों की संख्या जो सभी कमजोर संभाविक साम्य शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकते थे।

ट) सरकारी अनुदान और रियायत

किसी व्यय मद से संबंधित सरकारी अनुदान या रियायत को इसकी प्राप्ति के समय आय के रूप में मान्यता दी जाती है। अचल संपत्तियों के संबंध में सरकारी अनुदान संबंधित अचल संपत्तियों की वास्तविक लागत से कम कर दिया जाता है।

ठ) प्रस्तावित लाभांश

संशोधित लेखा मानक 4 तुलन पत्र तिथि के बाद होनेवाली आकस्मिकताओं और घटनाओं के अनुपालन में, साम्य शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश और वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन कर को देयता के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। तुलन पत्र की तारीख और ऐसे घषित होने पर मान्यता दी जाएगी।

ड) उधार लागत:

वह उधार लागतें जो अर्हक परिसंपत्तियों के अर्जन अथवा निर्माण पर आरोप्य होती हैं, उनको इस प्रकार की परिसंपत्तियों के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्हक परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति होती है जिसमें इसके निर्दिष्ट प्रयोग अथवा बिक्री के लिए इसे

तैयार कराने के लिए काफी समय लगता है। अन्य उधार लागतों को एक ऐसे खर्च के रूप में माना जाता है जिसमें उनका व्यय किया जाता है।

ढ) आकस्मिक देयताएं:

आकस्मिक देयताएं ऐसे मौजूदा संभावित देयताओं के संबंध में बताई जाती हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है किंतु उनके अस्तित्व की पुष्टि एक अथवा एक से अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के घटित होने अथवा घटित नहीं होने से की जाती है जोकि पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में होती हैं।

ण) खंड रिपोर्टिंग:

कंपनी का एकल कारोबार है जिसे "उत्पाद आधारित कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन" के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से कंपनी का कारोबार कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अंतर्गत जारी ए एस -17 में यथा परिभाषित भिन्न खंड रिपोर्टिंग के अंतर्गत नहीं आता है।

त) निवेश के लिए लेखांकन:

निवेश लागत पर किए जाते हैं। नियत जमा में निवेश पूंजी व्यय और राजस्व व्यय के लिए लगाई जाने वाली उपयोग में लाई गई निधि को निरूपित करता है

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी

31.03 2022 तक के वित्तीय विवरण भाग की टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी: 20

वित्तीय विवरणों से संबंधित अतिरिक्त सूचना

1. आंकड़ों को मौजूदा वर्ष के प्रस्तुतीकरण से पुष्टि करने के लिए जहां कहीं आवश्यक होने पर दोबारा समूहवद्ध किया गया है/द्वारा वर्गीकृत किया गया है।
2. अदरक प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना करने के लिए निगम के पास 4000 वर्ग मीटर का एक अपना भूखंड है जो ई पी आई पी, बिरनीहॉट में संख्या 12 पर स्थित है, जिसे मेघालय सरकार द्वारा अस्थाई रूप से आवंटित किया गया है और जिस का मूल्य शून्य लिया गया है।
3. कार्यालय भवन के निर्माण के लिए निगम के पास कामरूप ,असम में दिसपुर राजस्व सर्किल के अंतर्गत स्वयं की 1.54 बीघा जमीन है जिसे असम सरकार द्वारा 22,50,000/- रुपए की कुल कीमत पर आवंटित किया गया है। इस राशि का भुगतान 25 वर्ष के लिए भू राजस्व और करों की 28,210/की राशि के साथ मई 2011 में किया गया था।
4. काजू फैक्ट्री की स्थापना के लिए निगम के पास धुबरी जिला के मनकाचार में 6 बीघा 2 कट्टा और चार लाचा जमीन है जिसका मूल्य 2,03,932/- है।
5. निगम ने असम के मानकाछार में काजू संसाधन सयंत्र जो एनएलसीपीआर के तहत सेंट्रल फिनानसीयल एसीसटेंट के अनुमोदन पर काजू प्रोसेसिंग सयंत्र के स्थापन, जिसका रु. 248.34 लाख में से जो कि रकम 203.19 लाख वित्त वर्ष 2018-19 को मिला है। सयंत्र की लागत ज्यादा होने के कारण निर्माण संपूर्ण कर नहीं पाए, और वर्तमान रोक लगाया गया है। उत्तर पूर्व परिषद को सयंत्र को पूरा करने हेतु फंड के लिए अनुरोध किया गया है।
6. नेरामेक ने सीक्स माईल, गुवाहाटी में एक मार्केटिंग परिसर का निर्माण कर रहा है, जिसे उत्तर पूर्व परिषद(एन ई सी) द्वारा स्वीकृत किया जा रहा है। पत्र सं. दिनांक - 14/03/2017, एनईसी कार्यालय सह वाणिज्यिक भवन (ब्लाक 1) के लिए बी+जी+5 और अतिथि गृह (ब्लाक 2) के लिए जी+3 के प्रावधान के साथ 6040.00 वर्ग मीटर। के

दिनांक-28/03/2018 को जीएमडीए/जीएमसी प्राधिकरणों को निर्माण की अनुमति आवश्यक प्राप्त करने के लिए रखा गया था।

7. कर योग्य लाभ के अभाव में कोई भी अस्थगित कर देयता नहीं है। भविष्य में लाभों की अनिश्चितता के कारण भी कोई भी अस्थगित कर परिसंपत्ति सृजित नहीं की गई है।
8. वित्त वर्ष 2004-05 के दौरान कंपनी ने मियादी जमा संख्या 18/2004 दिनांक 06-08-2004 और संख्या 1/2005 दिनांक 11-01-2005 को रेहन पर 19,62,430.85/-रुपए की राशि के लिए महा रजिस्ट्रार, कोलकाता उच्च न्यायालय (अपील वाद) के पक्ष में दो बैंक गारंटी जारी किए हैं जो पंजाब नेशनल बैंक, जू रोड शाखा, गुवाहाटी पर आहरित हैं। बाद में इनका वार्षिक आधार पर नवीकरण किया गया है क्योंकि मामला अभी भी न्यायाधीन है।
9. परिसंपत्तियों की वाहक राशियों की समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख पर की जाती है। यदि इसमें आंतरिक/बाहरी कारकों पर आधारित विकृति का कोई संकेत होता है, तो जब कभी किसी परिसंपत्ति की वाहक राशि के इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक बढ़ने पर विकृति माना जाता है।
10. व्यापार प्राप्तियों में पश्चिम बंगाल राज्य बीज निगम लिमिटेड से प्राप्तियां शामिल हैं। आदेश संदर्भ संख्या 920/WBSSC दिनांक 31.10.2011 के अनुसार 1500.76 लाख टन प्रमाणित गेहूं बीज की आपूर्ति के लिए 496.97 लाख, 7 साल बाद भी राशि का निपटारा होना बाकी है और मामला मुकदमेबाजी के तहत है और राशि की प्राप्ति संदिग्ध है।
11. आकस्मिक देनदारियों का प्रावधान नहीं किया गया है

(रु.000 में)

देनदार	दावा का गई राशि	उपबंधित देयताएं	आकस्मिक देयताएं
सौभाग्य एडवरटाइजिंग, कोलकाता	1,990.00	1,262.00	728.00
मे.हरवल अगुवा प्रा.लि.	3534	1224	2310
रत्नागिरी इम्पेक्स प्रा.लि.	41492	18725	22767
कूल	49340	21211	28129

12. आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार पैकेज के तहत, 31/03/2021 तक भारत सरकार के बकाया 28.23 करोड़ ऋण को इक्विटी शेयर पूंजी में बदल दिया गया और भारत के राष्ट्रपति के नाम पर 1000/- रुपये के 282300 इक्विटी शेयर जारी किए गए हैं।
जैसा कि पुनरुद्धार पैकेज में मंजूरी दी गई कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 10.00 रुपये से बढ़कर 60.00 रुपये हो गई है, जो बकाया ऋण के रूपांतरण को समायोजित करती है।
13. अनुमोदित पुनरुद्धार पैकेज के रूप में 30/09/2021 तक बकाया ऋण और ब्याज और दंडात्मक ब्याज को फ्रीज कर दिया जाएगा और ऋण को इक्विटी में बदलने तक गैर-ब्याज वाली देनदारी में परिवर्तित कर दिया जाएगा और ब्याज और दंडात्मक ब्याज को बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।
14. सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को देय उपदान/ग्रेच्युटी के संबंध में देयता बीमांकित मूल्यांकन ए एस- 15 की अपेक्षाओं के अनुसार 14,661,865 रुपए किया गया है (जो पिछले वर्ष 13442129 था)।

लेखांकन मानक 15 के अनुसार कर्मचारी लाभ से संबंधित प्रकटीकरण :

क. 31.3.22 को समाप्त अवधि का पी एवं एल के के विवरण में मान्य व्यय	2021-2022	2020-2021
1. वर्तमान सेवा लागत	4,49,2354.00	24,860.00
2. ब्याज लागत	7,79,643.00	10,14,148.00
3. योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्राप्ति	-	-
4. पहले की सेवा लागत	-	-
5. बीमांकित हानि/(लाभ)	14,20,923.00	13,940.00
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	26, 49,801.00	4,52,948.00
ख. शुद्ध संपत्ति/(देयता) को बैलेंस शीट में मान्यता दी गई है- 31.03.2022	2021-22	2020-21
1. परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	14,66,18,651.00	34,42,129.00
2. योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	-	-
3. वित्तपोषित स्थिति(अधिशेष/(घाटा))	(1,46,61,865.00)	(1,34,42,129.00)
4. शुद्ध संपत्ति/(देयताएं) को मान्यता दी गई	(1,46,61,865.00)	(1,34,42,129.00)

ग. परिभाषित लाभ दायित्वों में परिवर्तन:

1. दिनांक 31.03.2022 को डी बी ओ का मौजूदा मूल्य	1,34,42,129.00
2. वर्तमान सेवा लागत	4,49,235.00
3. ब्याज लागत	7,79,643.00
4. बीमांकित (लब्धियां)/हानियां	14,20,923.00
5. लाभ का भुगतान	(14,30,065.00)
31.03.2022 को डीबीओ का वर्तमान मूल्य	1,46,61,865.00

घ. बीमांकिक अनुमान:

1. छूट देने की दर	5.85% p.a वार्षिक
2. वेतनो में वृद्धि की दर	5.00% वार्षिक
3. योजना परिसंपत्ति पर प्राप्ति की प्रत्याशित दर	लागू नहीं

15. सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को देय छुट्टी नकदीकरण के संबंध में देयता का बीमांकिक मूल्यांकन 7439723 रुपये (पिछले वर्ष 9176196 रुपये) की राशि के रूप में ए एस 15 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार और लेखांकन मानक 15 के अनुसार कर्मचारी लाभ से संबंधित प्रकटीकरण:

क. 31.03.22 को समाप्त अवधि का पी एवं एल के के विवरण में मान्य व्यय	2021-2022	2020-2021
1. वर्तमान सेवा लागत	2,44,799.00	2,40,606,00.00
2. ब्याज लागत	4,31,504.00	5,50,572.00
3. योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	-	-
4. बीमांकिक हानि/(लाभ)	57,976.00	(387370.00)
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	734279.00	4,03,808.00
ख. 31.03.2022 की बैलेंस शीट में मान्य निवल परिसंपत्ति/(देयता)	2021-2022	2020-2021
1. परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	17819258.00	74,39,723.00
2. योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	-	-
3. निधि की स्थिति (अधिशेष/घाटा)	(78,19,258.00)	(74,39,723.00)
4. बैलेंस शीट में मान्य निवल परिसंपत्ति	(78,19,258.00)	(74,39,723.00)

ग. परिभाषित लाभ दायित्वों में परिवर्तन:

1. दिनांक 01.04.2021 को डी बी ओ का मौजूदा मूल्य	74,39,723
2. वर्तमान सेवा लागत	44,799.022
3. ब्याज लागत	4,31,504,004
4. बीमांकित (लब्धियां)/हानियां	57,976.00
5. लाभ का भुगतान	(3,54,744.00)
31.03.2022 को डी बी ओ का वर्तमान मूल्य	78,19,258.00

घ. बीमांकिक अनुमान:

1. छूट देने की दर	6.00% वार्षिक
2. वेतनो में वृद्धि की दर	5.00% वार्षिक
3. योजना परिसंपत्ति पर प्राप्ति की प्रत्याशित दर	लागू नहीं
4. मृत्यु दर	10% आईएएलएम 12-14
5. निकासी दर	2.00% वार्षिक

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मूल्यहास अनुसूची

विवरण	01/04/2021 को WDV खुल रहा है	वर्ष के दौरान परिवर्धन	मूल्यहास	बरकरार रखी गई कमाई के साथ समायोजित	डब्ल्यूडीवी यथावत 31/03/2022
इमारत	1,25,36,045.00	-	6,10,505.00		1,19,25,540.00
कार्यालय उपकरण	1,50,131.00	10,030.00	39,265.00		1,20,896.00
कंप्यूटर	1,65,478.00	13,000.00	69,628.00		1,08,850.00
इलेक्ट्रिकल्स	4,86,592.00	-	87,044.00		3,99,548.00
फर्नीचर	2,94,830.00	85,145.00	67,337.00		3,12,638.00
विद्युत उपकरण	45,491.00	52,300.00	12,789.00		85,002.00
मशीनरी	4,70,754.00		3,113.00		4,67,641.00
वाहन	60,662.00				60,662.00
भूमि	24,53,932.00				24,53,932.00
कुल	1,66,63,915	1,60,475.00	8,89,681.00		1,59,34,709